(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम विधान सभा के सप्तम् सत्र का 37वां दिवस [संख्या 28

मंगलवार,

25 मार्च, 1975।

विधान सभा की बैठक म. पू. 8.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, सिंचाई, कृषि, सहकारिता, खनिज, स्वायत्त शासन, उपनिवेशन, पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण, जन-स्वास्थ्य, पर्यटन, खाद्य, विद्युत, सहकारिता, पंचायत, वन, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग)

प्रश्न संख्या 765

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 766

श्री राजेन्द्र भारतीय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 767

श्रीमती नगेन्द्र बाला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 768

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 769

श्री अजीत सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदनकौर।

ग्राम अरावा की नल योजना

770. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव अरावा (जिला बाड़मेर) के लिए एक नल-योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके लिए कब और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(2) उक्त योजना के तहत क्या क्या काम पूरे किये जा चुके हैं ? शेष काम कब तक पूरे कर लिए जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि अभी उक्त योजना के पानी के सोर्स के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) जी हां। ग्राम डोली ग्ररावा की योजना दिनांक 22–6–72 को 2 लाख रुपये के लिए स्वीकृत की गई थी एवं इसकी रिवाइज्ड स्वीकृति दिनांक 6–1–75 को 2.20 लाख रुपये के लिए की गई थी।

(2) ग्रभी तक ग्ररावा में होद का कार्य पूरा किया जा चुका है। जनरेटिंग सेट रूम एवं क्वार्टर का कार्य चल रहा है जो कि मई, 1975 तक पूरा होने की संभावना है।

(3) योजना के लिए जल–स्रोत ग्राम समदड़ी में उपलब्ध कुए को काम में लेने का निर्णय लिया जा चुका है।

श्रीमती मदन कौर: ग्रध्यक्ष महोदय, जिस स्रोत से ग्ररावा को पानी दिये जाने का माननीय मंत्रीजी बताते हैं उस स्रोत से बड़े बड़े 15–20 गांवों की नल–योजना बन चुकी है। उससे कल्याणपुर गांव तक पानी पहुंच चुका है। इस स्रोत से ग्ररावा गांव को पानी देना उचित नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो पहले योजना बनी थी ग्रौर पहले जिस तरह से तय किया गया था डोली के नलकूप से ग्ररावा को पानी दिया जायगा उस पर विचार किया जाय।

श्री चन्दनमल बैद: ग्रध्यक्ष महोदय, पहले डोली से ग्ररावा को पानी देने के लिए जल-स्रोत माना गया था लेकिन डोली में पानी की मिकदार कम मिली है इस वास्ते यह सोचा गया है कि डोली से ग्ररावा को पानी नहीं मिल सकेगा इसलिए समदड़ी से पानी देने का निश्चय किया गया है। ग्रगर सम-दड़ी ग्रौर डोली के ग्रलावा माननीय सदस्या के ध्यान में कोई दूसरा जल-स्रोत हो तो उसकी जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं।

श्रीमती मदनकौर: डोली में दो नलकूप हैं ग्रौर वहां पर मकानात बने हुए हैं ग्रौर होद बनाना बाकी है। ग्रगर पानी की मात्रा कम थी तो फिर मकानात क्यों बनाये गये?

श्री चन्दनमल बैद: वहां पर कोई क्वार्टर बने हुए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे यह सूचना मिली है कि डोली में पानी की कमी के कारण ग्ररावा को पानी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए समदड़ी का नया स्रोत उसके लिए विचार किया गया है।

प्रश्न संख्या 771

श्री विजयसिंह।

(ग्रनुपस्थित : कृपया ग्रागे देखिये)

प्रश्न संख्या 772

श्री श्रीराम गोटेवाला।

(ग्रनुपस्थित : कृपया ग्रागे देखिये)

श्री रामगोपाल।

विलासी बांध का सर्वे

773. **श्री रामगोपाल (किशनगंज)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विलासी बांध, तहसील किशनगंज, जिला कोटा का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि यह योजना उस ग्रादिवासी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना है जो बहुत लम्बे समय से चल रही है?

(श्री रामगोपाल)

यदि हां, तो इस विकास कार्य में विभाग की ओर से क्यों उदासीनता बरती जा रही है ?

(3) क्या अब सरकार इस योजना की क्रियान्विति के लिए त्वरित गति से कार्य करने के कदम उठायेगी ?

सिचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, 1972 में बिलासी बांध का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया था।

(2) इस योजना का जल-ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और उससे आने वाले पानी के उपयोग करने के पहले मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। धनाभाव के कारण भी यह योजना अब तक कार्यान्वित नहीं हो रही है।

(3) यथासम्भव उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि दो साल पहले भी इसके बारे में प्रश्न मैंने उठाया था यहां पर तो मंत्री महोदय ने जवाब में बताया था कि टेक्नीकल जांच में यह चल रहा है तो मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह टेक्नीकल जांच समाप्त हो गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 71-72 में इसकी जांच वगैरह कम्प्लीट हो गई है। जिस समय आपने पहले पूछा था तो उस समय ज्योलॉजीकल सर्वे बाकी थी। वह सारी सर्वे हो गई है। वहां का स्ट्रेटा जो था वह डिफेक्टिव था इसलिए ज्योलॉजीकल सर्वे होकर जांच पूरी हो चुकी है।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार से पूछना पड़ेगा क्योंकि यह जल-स्रोत वहां से आता है तो क्या मध्य प्रदेश से पत्र-व्यवहार किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका पत्र-व्यवहार अब शुरू करेंगे।

श्री रामगोपाल : पहले क्यों नहीं किया गया अब तक, इसका जवाब दे सकते हैं आप ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका मध्यम प्रोजेक्ट है और हमारे पास पहले से कई प्लान में प्रोजेक्ट हैं लेकिन प्लानिंग कमीशन के यह साफ डाइरेक्शन हैं कि जो पहले से हाथ में मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट हैं उनको जब तक पूरा न कर लें तब तक नये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किये जायेंगे। यह प्रोजेक्ट आज की जो आर्थिक स्थिति चल रही थी इसलिये सैंक्शन नहीं हो पा रही है इसलिए शुरू नहीं किया गया, इसमें मध्य प्रदेश से करसपोन्डेन्स प्रारम्भ कर दी जायगी।

श्री रामगोपाल : करसपोन्डेन्स अब तक क्यों नहीं की गई ? क्यों इसमें ढिलाई बरती गई ? इसके बारे में जवाब दें। आपकी टेक्निकल जांच दो साल पूर्व हो गई थी। उसके बाद यह दो साल तक करसपोन्डेन्स नहीं की गई, यह बतायें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ढिलाई बरतने का प्रश्न नहीं है। इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से हम बात चीत कर भी लें और उनका क्लियरेन्स मान लें

Page No 4

(४)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मिल भी जाता तो भी उनके पास से पैसा तो माने वाला नहीं था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की साफ डाइरेक्शन है कि जो प्रोजेक्ट मेजर और मीडियम हाथ में हैं पहले से उनको पहले पूरा किया जाय। उससे पहले कोई मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किया जा सकता है।

श्री रामगोपाल : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हमारे पास और प्रोजेक्ट है और जब तक उनको पूरा न करलें उसके बाद में लेंगे इसको हाथ में तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धनाभाव भी आपने बताया है। मैं केवल यह पूछना चाहूंगा कि मान लें कि धनाभाव समाप्त हो गया तो भी जब तक आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से पत्र-व्यवहार नहीं कर लेंगे इसको नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब तक धनाभाव कम्प्लीट न हो तब तक इसकी पूरी कार्यवाही करलें। जब धनाभाव पूरा हो जायगा तब फिर आप यह कहेंगे कि यह कमजोरी रह गई, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना रह गया और वहां से क्लियरेन्स मिलेगा तब करेंगे। इसलिए यह आश्वासन दें कि इस कार्यवाही को आप जल्दी पूरा कर लेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने पहले ही कह दिया है, अध्यक्ष महोदय, कि मध्य प्रदेश से शीघ्र ही इस बारे में पत्र-व्यवहार प्रारम्भ कर दिया जायगा। यह मैं कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री माणकचन्द सोगानी।

अजमेर में पर्यटन विकास की योजना

774. **श्री माणकचन्द सोगानी** (अजमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर में पर्यटन विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई गईं ?

(2) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दरगाह शरीफ क्षेत्र में सफाई की दृष्टि से अन्डरग्राउण्ड ड्रेनेज हेतु विभाग द्वारा राज्य सरकार के मारफत कोई प्रयास किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने श्री दरगाह शरीफ के एक समारोह में इसकी आवश्यकता पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या किया गया है और आगे की क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन विभाग (श्री जुझार सिंह) : (1) पंचम पंचवर्षीय योजना काल में पर्यटक विश्राम गृह के विस्तार हेतु 5.00 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रशासक, म्युनिसिपल कौन्सिल, अजमेर ने सूचित किया है कि अजमेर में सीवेज नहीं होने के कारण दरगाह शरीफ में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंध करना सम्भव नहीं है।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में देश विदेश से वहां पर कई सज्जन पधारते हैं इस कारण से वहां पर ड्रेनेज की बड़ी आवश्यकता है। मैं यह

Page No 5

(श्री माणकचन्द सोगानी)
निवेदन करूंगा कि अभी हमारे राष्ट्रपति जब वह खाद्यमंत्री थे तो खाद्यमंत्री की हैसियत से अजमेर पधारे थे तो उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान खींचा था कि अजमेर के विधायक लोग जहां पर दरगाह स्थित है वहां पर एक ड्रेनेज नहीं निकलवा सकते हैं तो इस बारे में आपको कोशिश करना चाहिए। राज्य सरकार से इसलिए निवेदन है कि यह ऐसा प्रस्ताव है तो कृपा कर इस पर ध्यान दें।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वैसे टूरिस्ट डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं है। यह ड्रेनेज और सीवेज का प्रश्न है इसके बारे में म्युनिसिपल कोन्सिल और यू.आई.टी. अजमेर को लिखा है कि इसमें ड्रेनेज का थोड़ा सा इन्तजाम किया जाय और फण्ड्स प्रोवाइड किये जायं। जहां तक इस डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है उससे ड्रेनेज का प्रश्न उठता नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या यह सही है कि इसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं। दरगाह शरीफ एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। इस सारी स्थिति में मैं आपका ध्यान पर्यटन की दृष्टि से उन्नत करने की ओर नहीं जाती है। यह ड्रेनेज सिस्टम होने से ही अच्छी स्थिति में हो सकता है। यदि सीवेज सिस्टम भी आप हाथ में ले लेते हैं तो वह जगह ज्यादा उजागर होगी।

श्री जुझारसिंह : मैंने निवेदन किया ··

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आप तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरीबाजार) : वह एक बड़ा टूरिस्ट सैन्टर भी है।

श्री जुझारसिंह : उस जगह की जो एप्रोच है, वह नेरो है। पानी भर जाता है। इसको लेकर राजस्थान सरकार को लिखा था। उसके करने की आवश्यकता है। यू.आई.टी. को लेटर लिखा। अजमेर की म्युनिसिपल कौंसिल को लिखा है कि वह व्यवस्था करें। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के करने की दृष्टि से जहां तक बात है, वहां पर टूरिस्ट बंगलो है। उसके लिए 5·7 लाख का प्रावधान है। दूसरे उर्स शरीफ में लोग आते हैं मेले में उसके लिए राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में म्युनिसिपल कौंसिल और यू.आई.टी करेगी। हमसे हो सकेगा, वह हम भी करेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ···

श्री माणक चन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक म्युनिसिपैलिटि का सम्बन्ध है वहां की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह तनख्वाह भी बांट नहीं सकते हैं। वहां की यू. आई. टी. कर्जे में है। उससे यह कराना सम्भव नहीं है यह राज्य सरकार कराये तभी सम्भव हो सकता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह लिखा-पढ़ी तो भूतकाल में भी हुई थी और भविष्य में भी होती रहेगी। नगर परिषद् और नगर विकास न्यास वहां वर्षों से चल रहे हैं। अनेक वर्षों तक चलते रहेंगे। आपकी कांक्रीट और पोजिटिव एप्रोच क्या है, वह बता दीजिये। वह आपकी घाटे की रिपोर्ट आती है।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, जहां तक टूरिस्ट डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं। जो दरगाह शरीफ में आने वाले हैं, उनके लिए उर्स में मेले में व्यवस्था की जाती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : ड्रेनेज की व्यवस्था करने का सवाल है। उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कोई बंगला स्पेशियली बनाया नहीं है। जो पहले के बने हुये हैं, उनको आप क्यों काउण्ट करते हैं ? अजमेर एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सेण्टर है। आपने उसके लिए क्या किया है ?

श्री जुझारसिंह : आपको मालूम नहीं है। उर्स के मेले में जो आते हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बार बार उसे क्यों कहना चाहते हैं ? यू. आई. टी. और नगर परिषद् की बात आप बार बार क्यों दुहराते हैं ? वहां की यू. आई. टी चैयरमैन, स्वायत्त शासन मन्त्री, आप और मुख्यमन्त्री जी चारों बैठकर इस पर डिसीजन ले सकते हैं। इस प्रकार से निर्णय ले लें। तो कुछ हो जायेगा।

श्री जुझारसिंह : इस बारे में क्या हो सकता है, उसके बारे में देखा जायेगा।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका और नगर सत्यानाश (नगर न्यास) की बात कर रहे हैं। (हंसी–व्यवधान) राज्य सरकार को इसे हाथ में लेना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मन्त्री महोदय को बहुत सही नाम मिला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

घासलेट के तेल का वितरण

775 **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को कितना कोटा घासलेट का प्राप्त होता है ? तथा जिलेवार इसका किस प्रकार वितरण किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घासलेट तेल की वितरण व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है ? क्या इस बारे में राज्य सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके वितरण में क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) कैरोसिन तेल के कोटे में प्रति माह फेरबदल होता रहता है। पिछले 6 माह में राज्य सरकार को कैरोसिन का कोटा जो प्राप्त हुआ है, उसकी तालिका (क) सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं पड़ा। जरा दुबारा पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष : ध्यान देकर सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : (1) कैरोसिन तेल के कोटे में प्रति माह फेरबदल होता रहता है। पिछले 6 माह में राज्य सरकार

(श्री शिवचरण माथुर)

को कैरोसिन का कोटा जो प्राप्त हुआ है उसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। राज्य में प्राप्त कोटा का ग्रामीण व शहरी जनसंख्या को देखते हुये जिस प्रकार जिलेवार आवण्टन किया गया है जिसकी सूची (ख) भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसिन तेल के वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयत्नशील है। ग्रामीण क्षेत्रों को तेल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण कोटा अलग से सूचित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रिटेलर नियुक्त करने के लिए समस्त जिलाधीशों को निर्देश दे दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तेल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नत्थासिंह यादव (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि जिला वाइज कोटा किस आधार पर रखा है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करनपुर): क्या यह सच है कि जिलेवार कोटा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिया गया है ? अभी जो दिया जा रहा है, वह तो बहुत कम मंजूर हुआ है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अलग-अलग कितना-कितना कोटा दिया जाता है ? दूसरे पंचायत समिति स्तर पर घासलेट कोटा फिक्स है या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि कैरोसिन डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी जिले के लिए जो नियुक्त हैं वह जितना भी कैरोसिन केन्द्र से उठाते हैं, वह उस जिले के नाम से वह जरूर ले जाते हैं, लेकिन उस जिले में नहीं बेचते हैं ? जहां उन को ज्यादा कीमत मिले वहां ब्लेक मार्केट में जाकर बेचते हैं। उस जिले में वह नहीं जाता है। इस पर कोई देखभाल नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेलर मुकर्रर नहीं हैं, इस बारे में महोदय क्या सोचते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्थिति मैंने बता दी है। अभी कुल मिलाकर जो कोटा ग्रामीण और शहरी इलाके के लिए है, वह इस प्रकार से है। 4200 किलो लीटर ग्रामीण क्षेत्र और 2550 किलो लीटर शहरी क्षेत्र के लिए है। पिछले दिनों कैरोसिन की उपलब्धि सन्तोषपूर्ण रही है। एक यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेलर्स नहीं मिल पाते हैं। मैंने इण्डियन ऑयल के अधिकारियों से कहा है कि पंचायत समिति के स्तर पर और तहसील के स्तर पर होलसेलर मुकर्रर किये जायें। जिले के स्तर पर मुकर्रर हैं। उससे आगे अभी नहीं बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा है कि पंचायत स्तर पर और जिले स्तर पर मुकर्रर किये जायें। होल सेलर हो जायेंगे तो रिटेलर भी हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायत स्तर पर रिटेलर मुकर्रर होना मुश्किल है। ऐसा हो नहीं सकता है। इतनी व्यवहारिकता है। पंचायत स्तर पर हो जायेंगे तभी यह हो सकता है। मैंने भारत सरकार के पैट्रोलियम विभाग से

(श्री शिवचरण माथुर)
बातचीत की है कि वह अधिक से अधिक रिटेलर मुकर्रर करायें। जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वह एक भिन्न क्वेश्चन है। एक जिले से दूसरे जिले में जाता है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो वह आप कह सकते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि क्या शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो केरोसीन राशन कार्ड पर दिया जाता है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो तेल दिया जाता है वह अपर्याप्त है, और वहां पर इसमें काफी अनियमिततायें भी होती है जिनके बारे में राज्य सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं उसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में और शहरों में जो केरोसीन वितरण किया जाता है उसका आधार क्या है क्या आबादी का आधार है या और कोई आधार है।

श्री अध्यक्ष : (श्री मोहम्मद गफ्फार अली की तरफ देख कर) आप भी फरमाईये।

श्री मो. गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जो कि यह चैक कर सके कि जो तेल आपने एक पर्टीक्यूलर ऐरिया के लिए निर्धारित किया है वह वहां पर नहीं पहुंच पाता है ? इसके लिए क्या आप पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स को डिस्ट्रिब्यूशन करने में इनवोल्व करेंगे या पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करेंगे ? इसके लिये क्या आप व्यवस्था करने का विचार रखते हैं ?

श्री नत्थीसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया है कि हमारे भरतपुर में केरोसिन की बहुत भारी किल्लत है और आज वहां पर फसल सूख रही है तो इसके लिए आपने केरोसिन का जो डिस्ट्रिब्यूशन है वह आबादी के बेसिस मात्रा उसकी निर्धारित की है या पैदावार कितनी होती है उसके आधार पर आप केरोसीन देते हैं ? आपका आधार क्या है ? अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां भरतपुर में बहुत ही हालत खराब हो रही है किसान वहां पर बी. डी. ओ. के पास डोलते हैं वहां पर तेल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपका आधार कोटा निर्धारित करने का क्या है? आप पैदावार के अनुसार अगर कोटा निर्धारित करते है या आबादी के अनुसार ? इसके लिए आप जवाब दें तथा भरतपुर के लिए केरोसीन का कोटा बढ़ाने की कृपा करें। वहां केरोसीन की बहुत कमी है। खड़ी फसल सूख रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक तो हमें यह बताया जाय कि देहातों में और शहरों में केरोसीन देने का क्या प्रोपोर्शन आपने रखा है ? क्या आपने जो देहातों के लिए तेल की मात्रा रखी है वह कम नहीं है ? क्या आप इस प्रोपोर्शन को अनुचित नहीं मानते हैं ? गांवों में मंत्री महोदय को वैसे भी शहरों से ज्यादा तेल का प्रोपोर्शन रखना

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
चाहिए क्योंकि वहां पर आजकल आबादी भी बढ़ रही है साथ में वहां पर बिजली के अभाव के कारण पम्प वगैरह चलने के लिए तेल की ज्यादा खपत होती है।

श्री मगराज चौधरी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, काफी हो गया है दूसरा प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष : अभी लेते हैं दूसरा सवाल। माननीय मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, केरोसीन के बारे में कोई दिक्कत नहीं है और अभी तक हमारे पास में इसकी कोई शिकायत भी नहीं आयी है। यदि आपको कहीं पर शिकायत मिली है तो आप मुझे बतादें मैं उसके लिये कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सवाल का आधार है जिले में कन्जम्पशन कितना होता है उसके आधार पर किया जाता है। अभी भी हमने देहातों में केरोसीन दिया है अभी जब हमारे पास केरोसीन का कोटा बढ़ा तब हमने उस बढ़े हुए कोटे को देहात में डाइवर्ट कर दिया है। सारा का सारा देहातों में डाइवर्ट किया है। काफी उपलब्धि हुई है और मैं समझता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री मीठालाल।

ट्रान्सफार्मर की खरीद

776. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने 1974–75 वर्ष में विभिन्न प्रकार के कितने ट्रान्सफार्मर किन–किन पार्टियों से कितने मूल्य में खरीदे ? कृपया पार्टियों के पते सहित पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त खरीदे गये ट्रान्सफार्मरों में से अब कितने ट्रान्सफार्मर सही हालत में चल रहे हैं ? कितने सुधारने के पश्चात् चालू हुए हैं ? कितने ऐसे है जो जल कर या खराब होकर पड़े हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड ने मद्रास की किसी एक पार्टी से लगभग दस ट्रान्सफार्मर खरीदे थे ? जिनमें मो ट्रान्सफार्मर चालू करते ही खराब हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार सारे मामले की कोई जांच कर दोषी अधिकारियों का पता लगाकर दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मन्त्री): (1) वर्ष 1974–75 में विद्युत मण्डल द्वारा खरीदे गये विभिन्न प्रकार के ट्रान्सफार्मरों का विवरण, पार्टीज के नाम, पते व मूल्य बताते हुए सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) काम में आ रहे व खराब होने वाले ट्रान्सफार्मर आदि के बारे में सूचना उपरोक्त सूची 'अ' में दिखादी गयी है।

(3) जी नहीं, वर्ष 1974–75 में विद्युत मण्डल ने मद्रास की किसी भी फर्म से दस ट्रान्सफार्मर नहीं खरीदे। अतः ट्रान्सफार्मर के खराब होने या मामले में जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय इसको 74–75 का नहीं मानकर 73–74 को मानले इसमें। क्या यह सही है कि मद्रास की एक कम्पनी से विद्युत् मण्डल ने ट्रान्सफार्मर्स खरीदे और वह लाते ही खराब हो गये ? उसके लिये बाहर से विशेषज्ञों को ठीक करने के लिये बुलाया गया, और आज भी वह ट्रान्सफार्मर खराब पड़े हुए हैं। उन्हें न तो कम्पनी बदलने को तैयार है और न ही कम्पनी उनको ठीक करने को तैयार है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1969-70 में दस ट्रान्सफार्मर मद्रास की एक कम्पनी से खरीदे थे जिसमें से 9 तो बिलकुल ठीक थे और एक ट्रान्सफार्मर दो साल चलने के बाद खराब हो गया उस को बाद में कम्पनी ने ठीक करा दिया, और वह रिपेअर हो चुकने के बाद ठीक काम कर रहा है।

श्री मीठालाल मीणा : क्या वह आते ही चालू हो गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बिलकुल आते ही चालू हो गया था और अभी तक भी चल रहा है।

श्री मीठालाल मीणा : आपके आज राजस्थान में कितने स्थानों पर ट्रान्सफार्मर खरीदे हुए पड़े है जो बेकार हैं और काम नहीं आ रहे हैं, या वह काम नहीं आने के कारण पड़े पड़े खराब हो गये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है और वैसे जो ट्रान्सफार्मर खराब हो जाते हैं उन्हें हमारे वर्कशाप में ठीक करके काम में लिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपने 74-75 में कितने ट्रान्सफार्मर खराब बताये थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो मैंने सूची दे दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह हमारे पास नहीं आयी है, टोटल कहां कहां पर कितने खराब पड़े हैं, अलग अलग बतावें। वैसे टोटल कितने आज तक खरीदे गये वह बता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : एक तो मीठालाल जी के यहां पर खराब है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 5 ट्रान्सफार्मर को रिपेअर करके ठीक कर दिया। वैसे पांच ही नहीं सैंकड़ों खरीदे। जहां तक आप नम्बर का कहते हैं तो वह तो अभी मेरे पास नम्बर जोड़े हुए नहीं हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैसे खराब होने की परसेन्टेज क्या रही ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक दो परसेन्टेज हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (अनुपस्थित)।

(कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशन तोमावत ।

कचरा कच्ची बस्ती विवेकानन्द गृह निर्माण समिति, जयपुर

777. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कचरा कच्ची बस्ती विवेकानन्द गृह निर्माण समिति, जयपुर में कितने व्यक्तियों को भू—खण्ड आवन्टन किये तथा इन्हें कब तक पट्टे दे दिये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने व्यक्ति हैं जिनकी जयपुर शहर में भी निःशुल्क भू-खण्ड आवन्टन करने को सरकार सहमत है ? यदि सहमत है, तो कब तक ?

(3) क्या इस बस्ती में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं है, तो कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

नगर विकास न्यास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) 77 आवंटन-पत्र जारी किये जा चुके हैं, व दो मामले विचाराधीन हैं। रिहायशी इकाई बनने के बाद नियमानुसार पट्टा जारी किया जायेगा। आवन्टियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) 77 आवन्टियों में से 24 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के हैं। जयपुर शहर में निःशुल्क भूमि आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) सार्वजनिक बिजली एवं पानी की व्यवस्था इस बस्ती में उपलब्ध है। योजना मानचित्र के अनुसार पानी और बिजली की लाइन डालने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय पहले बात तो यह है कि मुझे कोई अभी तक सूची नहीं मिली है। दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पट्टे क्यों नहीं दिये गये हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उन्हें भी दिये गये हैं नगरपालिका क्षेत्र में नहीं दिये गये।

श्री जयकिशन लाल : दूसरे लोगों को पट्टे दिये गये है और बेचारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पट्टे नहीं दिये गये तो बेचारे इन गरीबों का क्या गुनाह है इन्होंने क्या गुनाह किया है उन्हें क्यों नहीं पट्टे दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नन्दलाल बैरवा।

केशोराय पाटन के पशु चिकित्सालय

778. श्री नन्दलाल बैरवा (केशोराय-पाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की तहसील केशोराय पाटन में कितने पशु चिकित्सालय कहां कहां

(श्री नन्दलाल बैरवा)
हैं और इस तहसील की पशुओं की कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कापरेन एवं लाखेरी में पशु-चिकित्सालय पशुओं की संख्या के आधार पर खोलने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और कहां ?

पशुपालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सुरेशचन्द्र।

कोटपूतली ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

779. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली की सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विद्युतिकरण योजना कब स्वीकृत हुई है तथा स्वीकृति के बाद अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कोटपूतली तहसील के सभी गांवों का विद्युतिकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कितने समय में पूरी करने का लक्ष्य है तथा कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के संचालन के लिये नामजद बोर्ड होगा ? यदि हां, तो उसका गठन किस प्रकार होगा और कौन कौन सदस्य नामजद किये गये हैं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) कोटपूतली तहसील की सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विद्युतिकरण योजना बनाई जाकर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है।

(2) जी हां, इस योजना को 5 वर्ष में पूरी की जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना पर अनुमानतः 2.027 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(3) जी हां। संचालन बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश जारी कर दिये गये हैं। अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : इस योजना को बने छः माह का अर्सा हो गया है लेकिन बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है। बोर्ड के गठन में छः माह लग गये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बने छः माह तो नहीं हुए हैं, दो तीन माह जरूर हो गये हैं। कोआपरेटिव के आधार पर नई योजना सारी तहसीलों का विद्युतिकरण करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि यह नई योजना थी इसलिए उसमें कई बातें सोचनी थी। अब सारी चीजों को प्रोसेस करके भेजा है। अब बोर्ड का गठन करने का मामला फाइनल हो चुका है। कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसका चेयरमैन

(श्री हीरालाल देवपुरा)
एपाइन्ट कर दिया है। अब बोर्ड के सदस्यों का एपाइन्टमेंट करना है, उसमें कुछ आफिशियल होंगे, कुछ नॉन-आफिशियल होंगे। इसको विदिन ए वीक फाइनल करके जल्दी से जल्दी इसको चालू करा देंगे।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए जो 31 मार्च तक के लिए रुपया एलोट किया गया है, क्या उसको मार्च के एण्ड तक यूटिलाइज कर लेंगे ? दूसरी बात, इसका काम निश्चित रूप से कब शुरू करा देंगे ? यह महत्वपूर्ण योजना है, 2 करोड़ रुपये की, यह कब शुरू होगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह योजना फाइव ईयर्स के पीरियड की है। इसके अन्दर रुपया अगर मार्च के एण्ड तक खर्च नहीं हुआ तो आगे साल में काम में नहीं आयेगा–ऐसी बात नहीं है। मार्च खत्म होने वाला है, मार्च में उपयोग नहीं कर सके तो आगे कर लेंगे। यह योजना पांच साल में पूरी करनी है, और पांच साल के लिए यह रुपया मिला है, पांच साल में इसे यूटिलाइज कर लेंगे। जल्दी से जल्दी हम काम शुरू करना चाहते हैं और काम की शुरूआत होने की स्थिति आ गई है।

श्री सुरेशचन्द्रशर्मा : अप्रेल में शुरू करा देंगे ? कब तक शुरू करा देंगे ?

श्री रामगोपाल : शुरू होने से बाल बाल बच रहा है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अप्रेल में शुरू करा देंगे ? कब शुरू करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : पहली अप्रेल से शुरू करा दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : कॉर्पोरेशन की मीटिंग होगी, उसमें पास होते ही शुरू करा देंगे ?

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या इस तरह की सहकारिता के आधार पर योजना दूसरे क्षेत्रों में बनाने को तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरे क्षेत्रों में भी बनाने की योजना है। अभी देख रहे हैं, इसमें कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं। उसके बाद दूसरे क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भोमाराम चौधरी !

डीडवाना की जल प्रदाय योजना

780. श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डीडवाना शहर में जल-योजना है और क्या डीडवाना शहर के मोहल्ले जो नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं उसमें जल-वितरण की व्यवस्था है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस सुधार के लिये कोई प्रोवीजन रखा है या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि डीडवाना तहसील के क्षेत्र में जो जल-योजना की स्कीम है, उनमें से कुछ गांव, बड़ी-बड़ी

Page No 14

(१४)

(श्री मोमाराम चौधरी)
ढाणियां इस योजना के तहत नहीं आयी हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें भी जल-योजनाओं के अन्तर्गत लेने का विचार है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां । डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र के सभी मोहल्लों में पेय जल की लाइनें नहीं हैं । पाइप लाइनें धन की उपलब्धि के अनुसार डाली जाती हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 74–75 में डीडवाना नगर में इम्प्रूवमेंट आफ वेल्स के लिये 10 हजार रुपये का प्रावधान किया गया था ।

(3) नगरीय जल प्रदाय योजना डीडवाना से ग्रामों अथवा ढाणियों को जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में नई जल-प्रदाय योजना वर्ष 75-76 में जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेगस्ट । श्री गोपाल सिंह !

श्री माधोपुर–नीम का–थाना सड़क

781. **श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर-नीम का थाना के वर्तमान बस के मार्ग की लम्बाई खण्डेला मोड़ होकर 41 मील है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मार्ग को श्रीमाधोपुर, जयरामपुरा, काचरडा, ढानी जोरावरसिंह, भादवाडी गांवों से होकर जोड़ दिया जाये तो उक्त श्रीमाधोपुर—नीम का थाना मार्ग की कुल लम्बाई केवल 30 मील ही हो जावेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सीधे मार्ग पर सड़क बनाने का कोई इरादा करती है ? और यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) श्री माधोपुर से नीम का थाना वाया खण्डेला मोड़ से सड़क की लम्बाई 33 मील है ।

(2) जी हां । यह 24 मील है ।

(3) अभी यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

श्री मोमाराम चौधरी : क्या यह सही है कि खेतड़ी प्रोजेक्ट इस मार्ग से जुड़ा हुआ है ? अगर हां, तो इतने इम्पॉर्टेन्ट प्रोजेक्ट को जोड़ना सरकार उचित नहीं समझती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह रोड तार रोड बनी हुई है और 9 मील का डिफरेन्स पड़ता है लेकिन डिपार्टमेंट के पास प्राथमिकता के आधार पर सड़क बनाने की योजना है, उसमें यह नहीं आती है । खेतड़ी प्रोजेक्ट का रेफरेन्स दिया है, अगर खेतड़ी प्रोजेक्ट से सहयोग मिल जायगा तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल (बाड़ी) !

क्रय-विक्रय सहकारी समिति बाड़ी में गबन

782. **श्री रामलाल (बाड़ी)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :— क्या यह सही है कि बाड़ी क्रय-विक्रय सह-

(श्री रामलाल)
कारी समिति लि. वाडी में हुए गबन की राशि 1,19,200 रुपये के लगभग है ? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने गबन किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उक्त राशि की वसूली गबनकर्ताओं से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : जी हां । सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही चल रही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : गबन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की या नहीं ? इस सिलसिले में तो फर्माइये !

श्री रामनारायण चौधरी : गबन किया है, कार्यवाही की है, पैसे की वसूली की है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): 1 लाख 19 हजार के आस-पास का गबन है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत भारी रकम है ।

श्री रामलाल : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, गबन की कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही तीन चार साल हो गये, चल रही है । पैसा वापिस मिला है, वसूली भई है या नहीं ? जो वसूली भई है उसके बारे में आपने कार्यवाही अब तक क्या कर दी है ?

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : कितनी वसूली भई है यह बतायें ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : भई है कि नहीं भई है ?

श्री रामनारायण चौधरी : 4516.36 रुपये पैसे की वसूली हो चुकी है । 3655 रुपये का मामला साबित होने के कारण इस मामले को समाप्त कर दिया है । 14800 रुपये का मामला धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने का प्रमाणित होने के कारण पुलिस के सामने जांच हेतु भेज दिया गया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह 14 हजार का मामला है, यह जांच हेतु कब भेजा गया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुकदमा दर्ज कराया है या जांच हेतु भेजा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : तारीख उपलब्ध नहीं है । पिछली बार विधान सभा में यह मामला उठा था . . .

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह मामला पहले आ चुका है . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए, जांच हेतु क्यों भेजा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुकदमा दर्ज करने को भेजा है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 29200 का मामला पहले आ चुका है इसके बारे में किनको छोड़ दिया गया, किनका मामला दर्ज किया है और बीच में पैसे का गबन निकला है ...

श्री रामगोपाल : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य की भावना गम्भीर है, यह मंत्री महोदय ध्यान में रख कर कार्यवाही करें।

श्री जयकिशन : रिकवरी भई या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : सम्बन्धित वक्त से वसूली करनी है, वह हो रही है। अमानत में खयानत जिसने की है, उसका पुलिस में मामला दर्ज कराया जा चुका है, और सम्बन्धित अधिकारी हे कोआपरेटिव के, भवरसिंह निरीक्षक और सुरेशसिंह–इन दोनों को सस्पेन्ड किया जा चुका है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें वसूली की है, क्या वसूली करना ही पर्याप्त है ?

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनमें वसूली होना ही पर्याप्त समझा जाता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसा है कि आप पैसा ले लेंगे तो कोई भी गबन कर लेगा।

श्री अध्यक्ष : पुलिस को रेफर कर दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : केवल उससे वसूली करना, पैसा वसूल करना पर्याप्त नहीं होता। जिसके ऊपर गबन करने का आरोप है, उस आरोप की जिम्मेदारी उस पर डालनी और जिम्मेदारी के साथ उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए पुलिस में।

श्री रामगोपाल : पुलिस में कब केस गया, क्या इन्वेस्टीगेशन रही ?

श्री रामनारायण चौधरी : सारा मामला गबन का नहीं है, इसमें अनियमितता का भी है, और एक्सेस का भी है। इसलिए कुछ में वसूली करना पर्याप्त है। जैसा कहा, सारा मामला पुलिस में दिया जाय–यह उचित नहीं है। जो मामला बनता है निश्चित उसको पुलिस को दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनके पास ज्यादा पैसा आया है, वह क्यों एक्सेस आया है ? जो अनियमितता ध्यान में आयी है, वह क्यों है ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : पुलिस को दिया है।

नेक्स्ट ! श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

हिण्डोली एवं नैनवां क्षेत्र के ग्राम का विद्युतिकरण

783. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हिण्डोली और नैनवां पंचायत समितियों के किन-किन ग्रामों का स्वतंत्रता के पश्चात् विद्युतिकरण किया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में उपरोक्त दोनों पंचायत समितियों में क्या कोई आर. ई.सी. की स्कीम स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो किस पंचायत समिति में और यदि नहीं, तो कारण सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या ग्राम उमर जिला बूंदी जहां मारबल के पर्याप्त भण्डार हैं और 15–20 खानें कार्य रूप में चल रही हैं ऐसे स्वयं विकसित होने वाले ग्राम में विद्युत् पहुंचने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो कारणों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) नैनवां व हिन्डोली तहसील के 32 ग्रामों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नेनवां पंचायत समिति को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बनाने के लिये चयनित किया गया है। आगामी वर्ष में इसकी योजना बनाई जाकर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के पास स्वीकृति के लिये भेज दी जावेगी।

(3) सरकार ग्राम उमर का विद्युतीकरण करना अवश्य चाहती है पर धनाभाव के कारण यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका। इसका विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा, इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : क्या मन्त्री महोदय बतला सकते हैं कि पंचायत समिति हिण्डोली के ग्रामों के अन्दर विद्युतिकरण कितने प्रतिशत हुआ है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के ग्रामों का कितना प्रतिशत विद्युतिकरण हुआ–यह नहीं कह सकता। हर पंचायत समिति के ग्रामों के विद्युतिकरण का पर्सेन्टेज मेरे पास नहीं है। बूंदी जिले में नेनवां में और ई. सी. स्कीम के लिए पूछा है, उसके लिए आर्डर कर दिया है, सर्वे होकर, 1975–76 में स्वीकृत करके करा देंगे। हिण्डोली के लिए आर.ई. सी. की स्कीम हो, इसके लिए जल्दी ही प्रयास करेंगे।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रश्न में गांव उमर के लिए पूछा है, इसके लिए कितने साल से प्रयास कर रहे हैं–यह बता सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उमर गांव (कई माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने पर) एक पूछ लें।

उमर गांव का सर्वे वर्ष 1971–72 में किया गया, उसमें करीब 1 लाख 89 हजार रुपया खर्च होने का एस्टीमेट बना था, वह फिजेबल नहीं हुआ है क्योंकि सात किलोमीटर की सेपरेट 11 के. वी. लाइन थी, उसके वोल्टेज को देखते हुए उसमें फीजेबिलिटी नहीं थी। आई. ई. सी. की हिण्डोली की स्कीम बनेगी उसमें ले लेंगे और विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। एक सिंगल लाइन लम्बी होने की वजह से टेक्निकल और आर्थिक दृष्टि से फीजेबल नहीं हो पाती है।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : यह बताने का कष्ट करेंगे कि डिस्ट्रिब्यूटी कितनी दूर है ? यह डेढ़ दो मील है। यह इतना महत्वपूर्ण गांव है वहां मारबल निकलता है वह मकराना में चिरता है। ऐसा महत्वपूर्ण वह गांव है। बूंदी में उद्योग है, उसको इगनोर करते हैं यह उसके साथ खिलवाड़ है। आप यह आश्वासन दें कि उसका विद्युतिकरण करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, न तो कोई दबाने की बात है और न कोई

(श्री हीरालाल देवपुरा)
दूसरी बात है। गांव महत्वपूर्ण है, इससे इन्कार नहीं करते, लेकिन राजस्थान में कई गांव महत्वपूर्ण हैं। आप कहते हैं कि लाइन पास में से होकर गुजरती है। यह हो सकता है लेकिन यह लाइन इतनी ओवर-लोडेड है कि उससे और कनेक्शन देना उचित नहीं होगा। जब सेपरेट लाइन देनी पड़ेगी तब ही कनेक्शन दिया जा सकेगा। टेक्निकल दृष्टि से वह ही ठीक होगा।

प्रश्न संख्या 784

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनोहर कोठारी। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये) श्री भगराज।

भीनमाल तहसील के ग्रामों में बिजली

785. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल तहसील के गांव थूर एवं रानीवाड़ा जालौर के गांव रेवतड़ा विद्युतिकृत घोषित हैं?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के कृषि कुओं एवं घरों में विद्युत् कनेक्शन शीघ्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, भीनमाल तहसील के ग्राम थूर व रानीवाड़ा तथा जालौर तहसील का ग्राम रेवतड़ा विद्युतिकृत है।

(2) जी हां। वर्ष 1975-76 में।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बताया कि तीनों गांव विद्युतिकृत हैं। इसकी घोषणा तो की गई थी लेकिन अभी तक घरों और कुओं को बिजली नहीं दी गई आप उनको बिजली क्यों नहीं दे रहे? आप इन ग्रामों के अन्दर शीघ्र बिजली दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर में कुओं और घरों में बिजली देने का प्रोग्राम है। रानीवाड़ा का जो प्राब्लेम है वह रेल्वे क्रासिंग का प्राब्लेम है। उसमें रेल्वेज से क्लीएरन्स न मिलने के कारण देरी हो रही है, हम इसमें प्रयत्नशील हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अब तो आपको क्लीएरेन्स मिल गया है न?

श्री हीरालाल देवपुरा : रेल्वे क्रासिंग का जहां तक सवाल है, यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट से बात ••

श्री भगराज चौधरी : रेल्वे लाइन का तो केवल बहाना मात्र है। मैंने रेल्वे विभाग से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हम क्लीएरेन्स दे देंगे। रानीवाड़ा पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है और आपने घोषित भी कर दिया कि वहां विद्युतिकरण हो गया है लेकिन वहां पर घरों और कुओं पर अभी तक कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो यह कब तक कर देंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट कह दिया है कि नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर में जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की व्यवस्था की जायेगी। रेल्वे क्रासिंग से लाइन ले जाने में समय लगता है•••

श्री भगराज चौधरी : आप नक्शे बनवाकर दे दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : नक्शे बनाकर दिये हैं। केवल रानीवाड़ा में ही यह बात हो ऐसा नहीं है, और भी कई जगहों पर रेल्वे क्रासिंग आती हैं। और बहाने बनाने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी सरकार की स्पीड आप लोग भी नहीं समझते ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा एक प्रश्न रह गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : रह गया वह रह गया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-2-75)

दौसा क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता दौसा के कार्यक्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है ?

(2) उक्त क्षेत्र में गत दस वर्षों में कितने कनेक्शन्स दिये गये ?

(3) कनेक्शन्स के लिये आवेदन-पत्र किस किस तारीख को दिये गये ? एस्टीमेट्स किस किस तारीख को व किस किस के द्वारा बनाये गये ?

(4) उसमें से कितने एस्टीमेट्स रिवाइज्ड क्यों व किसके द्वारा किये गये ? मूल एस्टीमेट्स व रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में कितना अन्तर रहा ?

(5) दौसा में जे.ई एन. श्री झालानी ने कार्यभार किस दिन सम्भाला ? उस दिन से आज तक श्री झालानी ने कितने कनेक्शन्स के एस्टीमेट्स बनाये ?

(6) इसमें से कितनों को पुनः बनाना पड़ा ?

(7) पूर्व के बाद के एस्टीमेट्स में कितनी कितनी धनराशि का अन्तर रहा ? प्रत्येक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या श्री झालानी द्वारा जो एस्टीमेट्स बनाये गये उनके कनेक्शन फर्स्ट-कम फर्स्ट सर्व के आधार पर ही दिये गये या कुछ परिवर्तन के साथ ? यदि परिवर्तन किया गया तो किस किस के नाम ? पता व परिवर्तन का कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) क्या यह सही है कि दौसा की जनता की ओर से श्री झालानी के विरुद्ध लगातार शिकायतें आ रही हैं ?

(10) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश श्री झालानी द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में है। यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सहायक अभियन्ता दौसा के कार्यक्षेत्र में तहसील बसवा, लालसोट, दौसा, सिकराय एवं बस्सी तहसील का कुछ भाग व जमवारामगढ़ के दो ग्राम आते हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2), (3) व (4) उक्त क्षेत्र में गत 10 वर्षों में कुल 7766 कनेक्शन दिये गये। दस वर्षों में दिये गये सारे कनेक्शन्स का विस्तृत विवरण मय आवेदन की तारीख, एस्टीमेट बनाने की तारीख व एस्टीमेट बनाने वालों के नाम, एस्टीमेट रिवाइज करने के कारण तथा मूल व संशोधित एस्टीमेट की राशि का अन्तर आदि के बारे में पूरी सूचना अभी तक एकत्र नहीं हो पाई है। क्योंकि इतनी अधिक संख्या के प्रार्थना-पत्रों की सूचना पृथक् पृथक एकत्रित करने में काफी समय की आवश्यकता है ?

(5) श्री झालानी ने दौसा उपखण्ड में कनिष्ठ अभियन्ता का पदभार दिनांक 11–7–1973 को सम्भाला। श्री झालानी कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने कार्यकाल में अभी तक 1539 कनेक्शन्स के एस्टीमेट बनाये।

(6) उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से केवल 24 व्यक्तियों के एस्टीमेटों को पुनः बनवाना पड़ा।

(7) उपरोक्त संशोधित एस्टीमेट्स में मूल अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान में 1007 रुपये अधिक हो गये जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) श्री झालानी द्वारा बनाये गये कुछ एस्टीमेट्स में कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर नहीं दिये गये। ऐसे केसेज की सूची भी मय कारण बताते हुए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(9) श्री झालानी के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(10) श्री झालानी द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कई माननीय सदस्य : 11 तो है ही नहीं। दस नम्बर ही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : दस के दो पार्ट अलग अलग कर दिये हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : देवपुरा साहब को दस नम्बर पसन्द नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : (11) यदि कोई स्पष्ट शिकायत प्राप्त हो तो जांच करवाई जा सकती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे तो यह निवेदन करना है कि आपने जो कहा कि जानकारी नहीं थी, तो आप जानकारी कर लें। और इस प्रश्न को स्थगित फर्मा लें।

दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्राथमिकता के आधार आपने बना रखे हैं, और जो सूची में रीजन्स दिये हैं, वह ऐसे रीजन्स हैं जो आपको नहीं बोलने चाहियें। पहले आदमी को तो कनेक्शन इसलिये नहीं दिया गया क्योंकि मीटर नहीं है और बाद में आने वाले को कनेक्शन दे दिया। तो क्या दूसरे आदमी को विना मीटर ही कनेक्शन दे दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्राथमिकता में अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच हो सकती है। और जहां तक एक को न देकर दूसरे को देने का सवाल है, उसमें यह भी तो हो सकता है कि पहले आदमी ने कोई फार्मेलिटीज पूरी नहीं की हों और दूसरे ने पूरी कर ली हों। ऐसी हालत में यह तो नहीं हो सकता कि पहले आदमी की वजह से पीछे आने वाले सभी लोगों का कनेक्शन रोक लिया जाये।

मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है कि ऑफिसर्स ने जानबूझ कर दयानती करके या पैसे लेकर कोई बात की हो। अगर माननीन सदस्य ऐसा कोई स्पेसीफिक केस बता सकते हों तो हम निश्चित कार्यवाही करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा सीधा सवाल है कि आपने कई जगह बताया है कि नान अवेलेबिलिटी आफ मीटर। तो फिर जिन लोगों को दिया गया उनके लिये मीटर कहां से आ गए ? या उनको बिना मीटर के ही आपने कनेक्शन दे दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप किस को रेफर कर रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह जो आपने एक और दो नम्बर के लिये लिखा है कि नान अवेलबिलिटी आफ मीटर, फिर लिखा है कन्डक्टर्स की नान अवेलेबिलिटी। तो फिर दूसरों को कैसे कनेक्शन मिल गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नान अवेलेबिलिटी से मतलब है नान अवेलेबिलिटी आफ डिजायर्ड कैपेसिटी मीटर। जिस कैपसिटी का मीटर चाहिये था वह नहीं होगा, और दूसरे लोगों को हो सकता है कि उनकी डिजायर्ड कैपेसिटी के मीटर अवेलेबिल हों।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मीटर की कौनसी कैपेसिटी होती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह टेक्नीकली बहुत वेग रिप्लाई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सवाल यह है कि जिस कन्जूमर को जितनी कन्जम्पशन का मीटर चाहिये वैसा मीटर अगर अवेलेबिल नहीं है, और दूसरे नम्बर को जिस कन्जम्पशन का मीटर चाहिये वह अवेलेबिल है, तो दूसरे आदमी को कनेक्शन दिया जा सकता है। अब अगर कोई माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक केस बतादें जिसमें कोई इर्रेगुलरिटी हुई हो तो निश्चित रूप से हम उस पर ऐक्शन लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने यह एन्शोअर कर लिया क्या कि वहां पर उस कैपेसिटी के मीटर्स अवेलेबिल नहीं थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यह तो नहीं कहता कि एन्श्योअर कर लिया है, अब मैं एन्शोअर कर लूंगा। लेकिन स्पेसीफिकली अगर कोई आप बतादें तो हमें भी मदद मिलेगी और हम कार्यवाही कर देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने डिजायर्ड कैपसिटी की बात कही है, आपने यह भी कहा है कि कुड नाट बी यूटिलाइज्ड ड्यू टु नान अवेलेबिलिटी आफ मीटर्स। नम्बर 67 से नम्बर 70 तक के बारे में आपने लिखा है नान अवेलेबिलिटी आफ मीटर्स। आपने डिजायर्ड कैपेसिटी की बात नहीं

((श्री भानुकुमार शास्त्री)
लिखी है। इसका अर्थ है कि पक्षपात हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : डिजायर्ड कैपेसिटी की ही बात है। हो सकता है एक आध जगह नहीं लिखा हो, इसके लिये मैं ना नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य कहीं भी ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि बेईमानी हुई है, तो मैं कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं। मैंने जो रेकार्ड दिया गया है, उसको प्राइमा फेसी सही मानकर जवाब दिया है। और फिर भी अगर कोई माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि कहीं बेईमानी हुई है, तो वह मुझे बतादें, हम अवश्य एक्शन लेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह जो लिखा है कि नान अवेलेबिलिटी आफ मीटर्स, यह फिक्टीशस है। आप इसकी जांच करवा लें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : नौन-अवेलेबिलिटी का क्या कारण है? क्या मीटर्स कम यूज में नहीं आ सकते थे? कोई नोन-अवेलेबिलिटी का कारण तो होना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : बोर्ड के हाथ में नहीं है। मीटर्स कम होते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक क्वश्चन...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। बहुत पूछ लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक क्वश्चन बस। मैंने कहा था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आयीं थीं। आपने बताया कि स्पष्ट तया भ्रष्टाचार की बात नहीं थी। लेकिन भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप हैं। किस भाषा में शिकायत करें जिससे आप यह समझें कि आरोप हैं या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा : स्पेसिफिक केसेज नहीं आये हैं जिनमें कि शिकायतें हुई हों। निश्चित रूप से, स्पेसिफिक केसेज बतायें, मैं जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ!

स्थगित प्रश्न
(दि. 17-3-75)

समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड़

552. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड़ (मावली तहसील) के अन्तर्गत कुम्भारी, चमारी, सुथारी, चर्खा उद्योग कब से कब तक चलते रहे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति खादी ग्रामोद्योग, बम्बई के सहयोग से चलती रही?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था अब डिजोल्व कर दी गई है और उसकी सम्पत्ति कुर्क की जा कर नीलामी की जा रही है?

राज्य मंत्री (श्री मूलचन्द मीणा) :
(1) समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड़

(श्री मूलचन्द मीणा)
में निम्न समय तक अंकित उद्योग का कार्य चलता रहा :

1. ग्रामीण कुम्भारी उद्योग] 60.61
2. चर्म उद्योग]
3. सुथारी उद्योग दिसम्बर, 67
4. सूती खादी (चर्खा) 71-72

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। संस्था डिजोल्व नहीं की गई है बल्कि संस्था की अचल सम्पत्ति को कब्जे में लेकर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : कुमारी क्या है ?

श्री मूलचन्द मीणा : कुम्भारी कहा है ?

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि खादी ग्रामोद्योग बम्बई की सहायता से कहां कहां ये उद्योग लग रहे हैं और आर्थिक स्थिति क्या है ? आपने बताया कि यहां तक चलते रहे हैं लेकिन शुरू कब हुए यह बतायें ?

श्री मूलचन्द मीणा : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह बम्बई से सम्बन्धित संस्था है। वहां से जो सूचना मेरे पास आयी है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि ये उद्योग विभिन्न वर्षों में चले हैं। जैसे कुम्भारी उद्योग हैं, चर्मोद्योग हैं 60.61 से चले हैं, सुथारी उद्योग दिसम्बर 67 से चले हैं और उसी वर्ष में समाप्त हो गये हैं। इसी प्रकार से सूती खादी का काम 71.72 में चल कर समाप्त हो गया। दूसरी संस्थाओं के बारे में मैंने पहले निवेदन किया था कि लगभग 26 संस्थायें ऐसी हैं जो कमीशन से सम्बन्धित हैं। अलग अलग की डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन हैं ? दूसरा आपने कहा कि डिजोल्व नहीं की गयीं। समिति में परिवर्तन कर दिया हो, सदस्यों और अध्यक्ष का परिवर्तन कर दिया तो क्या कार्यक्रम चल रहा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बम्बई से सम्बन्धित बताया। सत्यापन किसने किया है ?

श्री गोपाल जोशी : बम्बई से क्या सम्बन्ध है ? वित्तीय भार के बारे में या और कोई ? किस तरह का सम्बन्ध है ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो खादी ग्रामोद्योग चलते हैं। ये दो प्रकार के हैं। एक तो बम्बई से सम्बन्धित हैं, वहां से उनको ग्रान्ट इन एड लोन वगैरा मिलता है। दूसरा, बोर्ड से सम्बन्धित हैं, उनको बोर्ड के द्वारा लोन दिया जाता है लेकिन सब पैसा कमीशन से ही मिलता है। इस संस्था का कमीशन की देखरेख में काम होता है। आडिट वगैरा भी वे ही करते हैं। समिति के मेम्बर, अध्यक्ष कौन कौन हैं न तो प्रश्न में चाहा गया है और न ही इस समय मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-75)

दी गोविन्द बृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि. तामकोट

562. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी गोविन्द बृहत् ऋणदात्री सहकारी समिति लि. तामकोट का निर्माण कब हुआ ? कौन कौन और कब कब उसका मैनेजर किसके द्वारा नियुक्त किया गया ? मैनेजर समिति में कौन कौन सी तिथि में हाजिर रहा ? उनके द्वारा अपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे और बतलाया जावे कि आखरी मैनेजर ने कब और किस को चार्ज दिया और किस आधार पर ?

(2) जिसे चार्ज दिया गया उसने चार्ज सम्भालने के बाद उस सहकारी समिति में क्या क्या कार्य किया ?

(3) सहकारी समिति, तामकोट के मैनेजरों आदि के विरुद्ध कब कब शिकायतें पेश हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सहकारी समिति के मैनेजर कभी भी तामकोट में हाजिर नहीं रहे उन्होंने अपने कार्य काल में कोई भी कार्य नहीं किया और आखरी मैनेजर 1963 में कागजात पंचायत समिति के हवाले करके चला गया जबकि पंचायत समिति को उसका चार्ज सम्भालने का कोई अधिकार न था ?

(5) क्या यह सच है कि यह सारा कार्य इसलिये किया गया कि सहकारी समिति, तामकोट के कागजात कर्जा आदि जाली तैयार किये हुए थे ?

(6) क्या यह सच है कि उपरोक्त कागजात सम्भालने के कारण थोड़ा बहुत कर्जा वसूल होने वाला था वह वसूल नहीं हो सका और जो वसूली की सरकारी कर्ज की 9 साल की मियाद होती है वह समाप्त हो चुकी ?

(7) क्या सरकार उपरोक्त कर्ज की वसूली मैनेजरों आदि से कर के सहकारी समिति, तामकोट में जमा करवाएगी ? और उस समिति को कार्यरत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) दी गोविन्द बृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि., तामकोट का गठन दिनांक 4-10-1958 को पंजीयन क्रमांक 689 के. पर हुआ। समिति में निम्न मैनेजर तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किये गये तथा उनके सामने अंकित तिथियों में वे समिति में कार्यरत रहे :

1. श्री जसराम दिनांक 7-3-59 से 5-8-59 तक

2. श्री महादेवसिंह 6-8-59 से 7-7-60 तक

3. श्री शेरसिंह रायजादा 31-7-60 से 16-7-63 तक

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैनेजरों द्वारा अपने कार्यकाल में कार्य किया गया जिसके लिए वे नियुक्त किये गये तथा जो कार्य प्रबन्धकारिणी द्वारा उन्हें सौंपा गया। आखिरी मैनेजर श्री शेरसिंह रायजादा का त्याग-पत्र समिति की प्रबन्ध-कारिणी समिति की विशेष बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार दिनांक 16-7-63 को प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चार्ज लेकर उन्हें रिलीव किया जावे। रिकार्ड से स्पष्ट जाहिर नहीं होता कि श्री शेरसिंह ने चार्ज किस को और कब दिया। परन्तु उपलब्ध जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने चार्ज प्रबन्धकारिणी के सदस्य श्री देवराज देहाती को दिया।

(2) ऐसा प्रतीत होता है जिस व्यक्ति को चार्ज दिया गया था उसके बाद प्रबन्ध-कारिणी समिति ने कोई विशेष कार्य नहीं किया है।

(3) उक्त समिति के मैनेजरों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता इसलिए सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) यह सही नहीं है कि मैनेजर ताम-कोट सहकारी समिति में कभी भी उपस्थित नहीं रहे तथा उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। सहकारी समिति के मैनेजरों का कोई हाजरी रजिस्टर तो नहीं रखा गया, ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु रेकार्ड से जाहिर होता है कि मैनेजरों ने सहकारी समिति में कार्य किया है तथा वे समिति में हाजिर रहे हैं। अन्तिम मैनेजर श्री शेरसिंह रायजादा की ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिनांक 31-7-60 को दी हुई समिति के रेकार्ड में उपलब्ध है तथा ज्वाइ-निंग रिपोर्ट के बाद मैनेजर के माहवारी वेतन के बिल नियमानुसार बनाये गये हैं और वे श्री गुरदयालसिंह सन्धु उपाध्यक्ष सहकारी समिति द्वारा पास किये गये हैं। यदि मैनेजर हाजिर नहीं होता और काम नहीं करता तो न तो उसकी ज्वानिंग रिपोर्ट होती और न उसके वेतन के माहवारी बिल बनाये जाते और ना ही भुगतान होता।

यह सही नहीं हैं कि आखरी मैनेजर श्री शेरसिंह समिति के कागजात पंचायत समिति को सौंप कर चला गया क्योंकि समिति का रिकार्ड 1967 में प्रबन्ध कारिणी के सदस्य श्री देवराज देहाती से सहकारिता प्रसार अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर द्वारा प्राप्त किया गया। उससे यह प्रतीत होता है कि मैनेजर ने चार्ज प्रबन्धकारिणी के सदस्य श्री देवराज देहाती को ही दिया था।

(5) यह सही नहीं है।

(6) यह सही नहीं है।

(7) केवल मैनेजरों से ही वसूली का प्रश्न नहीं है। जिनमें भी रकम बकाया है उनसे वसूली की जाने की कार्यवाही जारी है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरा प्रश्न बिलकुल स्पष्ट था। उन मैनेजरों ने क्या क्या काम अपने कार्यकाल में किये हैं उनका उत्तर मुझे नहीं मिला है। मेरा यह भी प्रश्न था कि जो रिकार्ड तैयार किया गया है वह

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

जाली है। 30 हजार का उल्लेख किया है किस आधार पर किया है, किस आधार पर उठाया गया है ? जब प्रधान सेक्रेटरी वहां है। क्या अधिकार था ? तीसरी मेरी यह शिकायत है कि बड़ी भारी तादाद में खाद नहीं उठाया और पंचायत समिति के आज भी कब्जे में है। और यह बताया है कि कार्यकारिणी के पास है। यह बिलकुल निराधार है।

यह बिल्कुल असत्य है और यह सारी की सारी जालसाजी है और इसको मैनेजर और श्री देवराज ने खा लिया है, हजम कर गए हैं और फिर कहते हैं कि कोई दोष नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्नकर्ता के अलावा किसी को इजाजत नहीं दे सकता। मंत्री महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह खुद ही उपाध्यक्ष हैं। सवाल कन्वेंशन का है, ही इज दी मैन कंसर्निंग अफेयर्स और खुद ही सवाल पूछें और खुद ही जानकारी पूछें मंत्री महोदय से अब कि खुद ने बिल पास किया है, क्या ऐसा उचित है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इसके सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी दे दूं।

श्री अध्यक्ष : जरूरी नहीं है। अगर जरूरत होगी तो बाद में ले लेंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैंने कोई बिल पास नहीं किया है और चार महीने की तनख्वाह का बिल उनके पास है मैंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जो इतने सालों तक मैनेजर का काम करता रहा सिर्फ चार महीने की तनखवाह के आधार पर वह काम नहीं करता रहा। उनकी हाजरी का बिल मेरे पास नहीं है कोई बिल पास नहीं किया है यह बिल्कुल गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि मैनेजर ने क्या क्या काम किया। मैंने बताया है मेरे उत्तर में कि प्रबन्धकारिणी समिति ने जो काम उसको सौंपा वह काम किया गया है। प्रबन्धकारिणी समिति के उपाध्यक्ष स्वयं माननीय सदस्य थे और उन्होंने जो काम उनको बताया होगा वही काम किया गया प्रतीत होता है। माननीय सदस्य ने बहैसियत उपाध्यक्ष इस समिति के बिलों को पास किया। मैं उनको जानकारी दूं ऐसी स्थिति में क्या यह अच्छा महसूस होता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष नहीं होने की वजह से अध्यक्ष का काम भी उन्होंने ही किया और इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते आपको सब जानकारी है।

इसके अलावा जैसा अभी कहा गया कि खाद बीज का रिकार्ड तैयार किया गया वह जाली है तो इसको तो माननीय सदस्य ही अधिक जानते हैं। खाद बीज माननीय सदस्य ने उठाया है और उसका रिकार्ड पंचायत समिति में मौजूद है। माननीय सदस्य ने खाद बीज उठा कर बिल बना कर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं समझता हूं कि जब इस सदन के माननीय सदस्य के स्वयं के हस्ताक्षर हैं और अगर वे ही जाली हैं तो मैं क्या कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य जाली मानते हैं तो उनको ज्यादा पता है या आपको ज्यादा पता है।

श्री अध्यक्ष : दोनों को ही पता है, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली शहर के तालाब में गिरने वाला औद्योगिक बस्ती का गन्दा पानी

765. श्री **शंकरलाल** (पाली).–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पाली शहर में जिस तालाब का पानी फिल्टर कर के पीने हेतु सप्लाई किया जाता है उस तालाब में पाली औद्योगिक बस्ती का गन्दा पानी स्टेशन के पुलिये के नीचे होकर तालाब में गिरने की शिकायत नगरपालिका पाली को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

नगरपालिका पाली ने गन्दे पानी को रोकने के प्रयास किये किन्तु सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये फलस्वरूप उक्त कार्यवाही को रोक दिया गया है।

चम्बल कमाण्ड एरिया में लैण्ड लेवलिंग का कार्य

766. श्री राजेन्द्र **भारतीय** (बूंदी)–क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल कमाण्ड एरिया में, बूंदी तहसील के ग्राम सुबासा के पैटर्न पर, लैण्ड लेवलिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत क्या और कितना कार्य हुआ ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकारी काश्तकारों में इस कार्यक्रम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में असफल रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस असफलता का एक कारण अधिकारियों द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग न लेना है ? यदि हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा क्यों की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जिलों की सोयल कन्जरवेशन कमेटियों में जन प्रतिनिधि

(उपनिवेशन मंत्री)

सम्मिलित किये गये थे। अतः उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कोटा जिले की आर. ई. सी की मिनि स्कीम

767. **श्रीमती नगेन्द्र बाला (दिगोद)**–क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

कोटा जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में इस पंचवर्षीय योजना में आर. ई. सी. मिनि स्कीम द्वारा कितना विद्युतिकरण योजना के किस वर्ष तक सम्पन्न हो जायगा ?

उत्तर

कोटा जिले के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निम्न योजनायें स्वीकृत है :

योजना का नाम	गांवों की संख्या	स्वीकृति वर्ष	विद्युतिकरण काम पूरा होने की अवधि
सांगोद तहसील	115	1970–71	3 वर्ष
अटरू तहसील	65	1972–73	4 वर्ष
चेचट तहसील	68	1974–75	4 वर्ष

उपरोक्त योजनाओं के अलावा कोटा जिले के छबड़ा, सुलतानपुर, बारां व शाहबाद क्षेत्र ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बनाने के लिए चयनित हैं। इन योजनाओं के अधीन गांवों की विद्युतिकरण के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह योजना बनने के बाद उनकी निगम द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु मोबाइल यूनिट

768. **श्रीमती निर्मला कुमारी (चितौड़गढ़)**–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य सरकार द्वारा चितौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये?

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड, गाय, भैंस, की कौन-कौन सी नई नस्ल तैयार की गई ? कृपया पंचायत समितिवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नई नस्ल तैयार करने के लिये जिले में कोई मोबाइल यूनिट है ? यदि हां, तो कृपया उन ग्राम पंचायत मुख्यालय के नाम बतायें जावें जहां यह मोबाइल यूनिट 1974–75 में गया ?

उत्तर

(1) चितौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये उन्नत नस्ल के नर सांडों, भैंसों, भेंडों व बकरों का वितरण व कृत्रिम गर्भाधान आदि की व्यवस्था की गई है।

(2) इस कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में भेड़ों को कोरिडेल से, गायों को जरसी व गीर से, भैंसों में मुर्रा नस्ल से संवर्धन कराया जा रहा है। वर्ष 1974–75 में अब तक किये गये कृत्रिम गर्भाधान के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

कोटा–जयपुर सड़क पर टोंक में बाईपास

769. **श्री अजीत सिंह (टोंक)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा–जयपुर सड़क टोंक शहर में होकर गुजरती है जिससे भयंकर दुर्घटना होती रहती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार एक बाईपास सडक बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कोटा–जयपुर सड़क टोंक शहर में से गुजरती है। सरकार टोंक बाईपास बनाना चाहती है, किन्तु अर्थाभाव के कारण कार्य अभी वार्षिक योजना में स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना की जांच

771. **श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर दुग्ध वितरण योजना का 3।63 से 5 65 तक का विस्तृत लेखा परीक्षण पशुपालन के आन्तरिक जांच दल द्वारा अप्रेल, 65 से जुलाई, 65 तक किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षण का जांच प्रतिवेदन कृषि उत्पादन सचिव के निर्देश से श्री टी.आर. अग्रवाल को फरवरी, 66 में भिजवाया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 68 में उक्त प्रतिवेदन सचिवालय स्तर पर स्वीकार किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि लाखों की गम्भीर अनियमितताओं वाले प्रतिवेदन को बिना कार्यवाही के दबा दिया गया ?

(5) उक्त मामले से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना, जयपुर का अंकेक्षण मार्च 63 से मई 65 का नहीं बल्कि अप्रेल 63 से मार्च 65 तक की अवधि का पशुपालन विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षण दल द्वारा किया गया था और यह कार्य 12 अप्रेल, 1965 से 8 अगस्त, 1965 तक किया गया।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। प्रतिवेदन को सचिवालय स्तर पर स्वीकार किये जाने की प्रणाली नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आक्षेप लगाये गये थे उनके संबंध में जांच की जा रही है।

नगर परिषद् जयपुर के भूतपूर्व प्रशासक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

772. **श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर)** एवं

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद् जयपुर के आयुक्त एवं प्रशासक के दोनों पदों पर श्री जी. डी. भारद्वाज कब से कब तक रहे ?

(2) उपरोक्त अवधि में श्री भारद्वाज के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? क्या उन शिकायतों में से किसी शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या रहा और अग्रिम कार्यवाही क्या की गई ? यदि नहीं तो क्यों? और अब कब तक सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री जी. डी. भारद्वाज ने दिनांक 30–10–73 से 11–12–73 तक आयुक्त के पद पर व दिनांक 12–12–74 से 26–12–74 तक आयुक्त एवं प्रशासक के पदों पर कार्य किया।

(2) श्री जी.डी. भारद्वाज प्रशासक नगर परिषद् जयपुर के विरुद्ध श्री निर्मलदास बेनीवाल प्रधान सचिव, अखिल भारतीय वालमिक समाज राज., जयपुर, श्री ग्यारसी लाल अध्यक्ष, सफाई मजदूर कांग्रेस, जयपुर, श्री मोहनलाल शर्मा अध्यक्ष, म्यु. कर्मचारी फैडरेशन जयपुर एवं श्री रामशरण ने भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें इस विभाग को की । श्री मोहन लाल शर्मा एवं श्री रूपनारायण पारीक, ने श्री भारद्वाज के विरुद्ध शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के समक्ष भी कीं एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच चल रही है ।

उक्त विभाग की रिपोर्ट आते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

हल्दी घाटी के विकास की योजना

784. **श्री मनोहर कोठारी** : (नाथद्वारा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि हल्दी घाटी का समुचित विकास करने की दिशा में राज्य सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है और उससे वहां आने वाले पर्यटकों को इस उपेक्षा वृत्ति के कारण निराश होकर लौटना पड़ता है ?

(2) क्या अब भी राज्य सरकार इस दिशा में उक्त स्थान की गरिमा के उपयुक्त वहां कोई स्मारक निर्माण करने, पर्यटकों की सुविधा आदि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना है ? कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण हल्दी घाटी के विकास के लिये कोई योजना स्वीकृत नहीं हो सकी ।

(2) हल्दी घाटी के विकास के लिये कुछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर इनमें से कुछ योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नायब तहसीलदार का मृत्यु के बाद प्रमोशन

474. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1974 में एक नायब तहसीलदार को उसकी मृत्यु के बाद प्रमोशन देकर तहसीलदार बनाया और उसी मृत व्यक्ति का पोस्टिंग बांसवाड़ा कर दिया ?

(2) यदि हां, तो ऐसी गलत कार्यवाही करने वाले का नाम बताने की कृपा करें, एवं जिसने ऐसी गलती की उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सन्त रुस्तमजी का धोरा

475. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आलसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू में सिद्ध सम्प्रदाय के तपस्वी सन्त रुस्तमजी के नाम का एक प्रसिद्ध धोरा है जिसे जमा की छात भी कहते हैं ? यदि हां, तो यह कितने एकड़ का है और रक्षित धोरा गैर मुमकिन भूमि का है।

(2) क्या यह सही है कि यह स्थान तहसील रतनगढ़, सुजानगढ, श्री डूंगरगढ के तिकोटे पर विख्यात धार्मिक स्थान है और ओरण में खूब कुंभट आदि के वृक्ष लगे हुए हैं तथा बडे बडे पानी के कुंड बने हुए हैं व रुस्तमजी का मंदिर बना हुआ है जो मरम्मत योग्य है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार देवस्थान विभाग के अन्तर्गत इसके समुचित प्रबन्ध एवं विकास की दृष्टि से रखना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह धोरा 163 एकड़ का है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इस मंदिर की व्यवस्था सिद्ध सम्पद्राय के लोग करते हैं। उन्हीं का यह मंदिर है।

बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान

476. श्री जय किशन लाल तोसावडा (फागी) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो जयपुर की कितनी ऐसी सहकारी समितियों को अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित खादी उत्पादक सहकारी समितियों को ही बोर्ड अनुदान देता है। जयपुर में

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
आयोग द्वारा प्रमाणित एक भी बुनकर सहकारी समिति नहीं है।

जेलों में सुविधा

477. श्री **जयकिशनलाल तोसावडा** : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जेल की श्रेणियां कितनी हैं ?

(2) प्रत्येक श्रेणी की जेल में क्या-क्या सुविधा दी जाती है ? राज्य सरकार जेलों में क्या सुधार करने जा रही है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य में आने वाला सामान

478. श्री **रतीराम यादव** (तिजारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जन स्वास्थ्य विभाग में कितने पी. सी. सी. पाइप, ए. पी. पाइप, बिजली के उपकरण तथा पम्प आदि की जरूरत पड़ेगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकांश मैकेनिक व सिविल इंजीनियरों का समुचित उपयोग नही हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में उपरोक्त सामान बनाने का कोई कारखाना खोलने का विचार रखती है ताकि इंजीनियरों का सदुपयोग हो सके ? यदि हां, तो कब तक और ना तो क्यों ?

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली योजनाएं अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं, अतः इस सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े बताया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं, विभाग में कार्यरत मैकेनिक व सिविल इंजीनियरों का समुचित उपयोग हो रहा है।

(3) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ? क्योंकि इन वस्तुओं के कारखाने लगाने के लिए पूंजी के अतिरिक्त अन्य साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। जिनको जुटाना अभी संभव नहीं है।

खुनखुना जल योजना

479. श्री **भोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम रार्यसिहपुरा को खुनखुना जल योजना के अन्तर्गत लेने के लिये दो हजार रुपये जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो ग्राम रार्यसिहपुरा को इस जल योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

(2) क्या डीडवाना तहसील में ग्राम प्यावां जल योजना स्कीम बनी हुई है या नहीं ? क्या यह सही है कि इस ग्राम में खारा पानी है जिसको पीने से लोग कुबड़े और तोतले हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य

(श्री भोमाराम चौधरी)
सरकार के पास ऐसी योजना है जिससे इस ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके।

उत्तर

(1) जी हां, । नवम्बर 71 में 2200।- रु. जन सहयोग के रूप में जमा कराये गये थे। सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण उक्त ग्राम की योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी।

(2) ग्राम प्यावां की जल प्रदाय योजना अभी नहीं बताई गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ग्राम में पेय जल खारा है एवं फ्लोराइड की मात्रा भी 8: । पी. पी. एम. है। बीमारी होने की बाबत विभाग को जानकारी नहीं है।

राजस्व कर की वसूली

480. श्री **जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1965 से 1974 तक राजस्थान में प्रतिवर्ष कितनी राजस्व कर की वसूली हुई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जल समस्या के समाधान हेतु योजना

481. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर):– क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य की जल समस्या को हल करने के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया था ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त समस्या के हल के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में कितनी-कितनी राशि जिलेवार ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजना पर व्यय हुई ? अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सन् 1974-75 में उक्त समस्या के हल के लिये क्या प्रावधान रखा गया और कितनी राशि अब तक विभिन्न जिलों में व्यय हुई ? जिलेवार आंकड़े सदन की कृपा करें।

उत्तर

(1) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल के लिए निम्न प्रावधान रखा गया था।

(अ) शहरी क्षेत्र : 11 करोड़ रु.

(ब) ग्रामीण क्षेत्र : 20 करोड़ रु.

(2) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नगरीय व ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर किये गये खर्च के टेन्टेटिव आंकड़े संलग्न हैं आंकड़ों का अंतिम रूप से मिलान किया जाना है।

(3) वर्ष 1974-75 के लिए निम्न प्रावधान रखा गया :--

(अ) शहरी क्षेत्र : रु. 250 लाख

(ब) ग्रामीण क्षेत्र : रु. 576 लाख

विभिन्न जिलों में व्यय हुई राशि के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ऋण के लिये बैंकों को गारन्टी

482. श्री **वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा किस–किस जिले के लिये कितना और किस प्रकार का ऋण दिये जाने हेतु किस बैंक को कितनी कितनी धन राशि हेतु गारन्टी दी है ?

(2) उक्त बैंकों द्वारा अब तक किस–किस जिले में कितना ऋण वितरण किया जा चुका है ?

(3) ऋण की वसूली की कहां–कहां पर क्या स्थिति है ?

(स्थगित किया गया)

राताकोर एवं बड़ली में बिजली

483. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) :– क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भिनाय पंचायत समिति जिला अजमेर की दो ग्राम पंचायत-राताकोर एवं बड़ली के आधा-आधा मील दूरी पर दो-तीन वर्ष पूर्व विद्युतिकरण कर दिया गया था ?

(2) क्या राताकोर और बडली का विद्युतिकरण करने हेतु सरकार निकट भविष्य में विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राताकोर व बडली से आधा–आधा मील की दूरी पर किसी गांव का विद्युतिकरण नहीं हुआ है। राताकोर से सबसे नजदीक के विद्युतिकृत गांव सताना भगवानपुरा की दूरी लगभग 4 किलो मिटर है । बडली के पास के विद्युतिकृत गांव एकलसिंगा, सिकरानी व नगर बडली से लगभग 6, 6 व 3 (क्रमश:) किलो मीटर की दूरी पर हैं ।

(2) राताकोट के विद्युतिकरण के लिये सर्वेक्षण करवाया गया था, पर योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाई गई । बडली का सर्वेक्षण तो हो चुका है परन्तु धनाभाव के कारण गांव का विद्युतिकरण अभी तक संभव नहीं हुआ है ।

साबी नदी पर एनिकट्स एवं बांध निर्माण की योजना

484. श्री **हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड एवं भारत सरकार द्वारा साबी नदी पर एनिकट्स एवं बांध निर्माण योजनाओं हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से एवं सीधा राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया है कि साबी नदी पर हरियाणा सरकार बाढ़ को रोकने हेतु बांध निर्माण कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सच है कि साबी नदी का निकास एवं बहाव जयपुर जिले की तहसील बैराठ, कोटपूतली एवं अलवर जिले की बांसूर बहरोड़ आदि तहसीलों में है, जहां पर

(श्री हनुमान सहाय व्यास)
अनेकों ऐसे स्थान हैं, जिन पर बांध निर्माण कर पानी को रोका जाकर सिंचाई के काम में लिया जा सकता है ? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों की स्कीम बनाई जा चुकी है और कौन कौन से स्थानों के प्रस्ताव पेंडिग हैं ?

उत्तर

1. जी नहीं। राजस्थान सरकार स्वयं ही इसकी योजना बना रही है।

(2) हरियाणा सरकार ने मार्च, 1972 में साबी नदी पर बांध बनाने की योजना तैयार की प्रति राजस्थान के अधिकारियों ने प्राप्त कर हरियाणा द्वारा प्रस्तावित इस योजना का हरियाणा को एवं केन्द्रीय जल आयोग को विरोध पत्र भेजा है।

(3) जी हाँ। सूची संलग्न है।

उप–खण्ड दौसा क्षेत्र में काटे गये बिजली के कनेक्शन्स

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उप–खण्ड दौसा में गत 3 साल में कितने उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटे गये ? सूची तहसीलवार वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने उपभोक्ताओं से सील टूटी होने के कारण चार्जेज वसूल किये गये ? सूची वर्षवार व तहसीलवार मय वसूल की गई राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने कनेक्शन्स हर माह बिल जमा कराने के बावजूद काटे गये ?

(4) क्या यह सही है कि श्री बद्री कोली ग्राम मन्डाना के चक्की पर बिजली कनेक्शन है जिसका अकाउन्ट नम्बर 4-1-23 है ? यदि हां, तो इनका मीटर कब खराब हुआ ? क्या खराबी हुई ? खराब होने के बाद कनेक्शन कब काटा गया ?

(5) मीटर खराब होने व कनेक्शन कटने की मध्यावधि के समय में कितने बिल कितने कितने के दिये गये ?

(6) क्या कनेक्शन कटने के बाद भी बिल दिये गये और कन्जम्पशन दर्शाया गया? यदि हां, तो कितनी–कितनी यूनिट्स का कन्जम्पशन दिखाया गया ?

(7) क्या कनेक्शन कटने के बाद भी कन्जम्पशन संभव है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) दौसा उप–खण्ड में पिछले 3 वर्षों में 5464 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये, जिनकी तहसीलवार व वर्षवार सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपभोक्ता अवधि में 1967 उपभोक्ताओं से सील टूटी होने के कारण चार्जेज वसूल किये गये जिनकी वर्षवार व तहसीलवार सूची 'ब' मय कुल वसूल की गई राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री विद्युत् मंत्री)

(3) पिछले 3 वर्षों में हर माह बिल की राशि जमा होने के बावजूद काटे गये कनेक्शनों की सूचना एकत्र करने में काफी समय चाहिये क्योंकि इस प्रकार का पृथक् कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता।

(4) जी हां। इनके मीटर 4 बार (1) अप्रेल मई 1972, (2) अगस्त सितम्बर 1972 (3) सितम्बर, अक्टूबर 1973 और (4) जुलाई 1974 में खराब हुए। मीटर खराबी के कारण, मीटर का बन्द होना एक एक कर चलना, उपभोक्ता द्वारा मीटर की बीडी सील के साथ छेड़छाड़ करना आदि है। इस उपभोक्ता का कनेक्शन दिनांक 23–11–74 को काटा गया था।

(5) जुलाई 1974 में मीटर खराब होने व नवम्बर में कनेक्शन काटने की समयावधि में 4 बिल प्रत्येक 150 रु. मीटर किराया के दिये गये।

(6) जी हां। सम्बन्धित कर्मचारियों ने भूल से कनेक्शन काटने के बाद इस उपभोक्ता को 5 व 101 यूनिट्स के 2 बिल भेजे गये। बाद में भूल का पता लगने पर उक्त बिल की राशि का समायोजन उपभोक्ता के खाते में कर दिया गया है।

(7) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

हीरापुरा ग्रिड सब–स्टेशन की भूमि

श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हीरापुरा ग्रिड सब स्टेशन की आर.एस.ई.बी.की जमीन चार दुकानदारों को किराये पर उठा रखी है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चार दुकानों के मालिकों से माहवारी 30 रुपये किराया पिछले करीब छः माह से वसूल किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुकानदारों से वसूली किराया विद्युत् मंडल में जमा नहीं होता?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानदारों से किराये की रकम किन्हीं मंडल के एक मुलाजिम द्वारा वसूल की जा रही है?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत् एवं जलदाय विभाग कर्मचारी संघ ने दुकानों के किराये की रकम वसूल किये जाने और गैर कानूनी तरीके से दुकानदारों से रकम वसूल करने वाले मुलाजिम के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की मांग की थी?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त मुलाजिम के विरुद्ध अब तक मंडल द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, विद्युत् मण्डल ने हीरापुरा ग्रिड सब-स्टेशन पर चार दुकानों की जमीन किराये पर नहीं दे रखी है तथापि, इन स्थानों पर नाजायजतौर हर चार व्यक्तियों ने चाय की दुकानें लगा रखी हैं।

(2) विद्युत् मण्डल को इन दुकानों से कोई किराया नहीं मिल रहा है।

((श्री विद्युत् मंत्री)

(3) यदि कोई किराया इन दुकानदारों से वसूल किया जा रहा है तो वह विद्युत् मण्डल को नहीं मिल रहा है ।

(4) इस आशय की जो शिकायत आई, उसकी जांच के दौरान इनमें से कुछ दुकानदारों से यह मालूम हुआ है कि यह किराया श्री मोहन लाल पूनिया, जो विद्युत् मण्डल में लाइन इन्सपेक्टर हैं, वसूल करते हैं ।

(5) जी हां ।

(6) दुकानें हटाने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं तथा सारे मामले की जांच की जा रही है । जिसके बाद ही आगामी कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

सर्वे अमीन की नियुक्ति

487. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री घनश्याम दास पुत्र श्री टोपनदास सन् 60-61 में मनोहर थाना जिला झालावाड़ में बतौर (Survey Amin) सर्वे अमीन रहा ? यदि रहा तो किस तारीख से किस तारीख तक ?

(2) इसकी प्रथम नियुक्ति कहां, किस तारीख को हुई और आयु व शिक्षा योग्यता क्या थी ?

(3) क्या इसे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा लिया गया था या सीधी भर्ती द्वारा ? यदि सीधी भर्ती द्वारा लिया गया तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री घनश्याम दास पुत्र श्री टोपनदास को कार्य प्रभारी सर्वे पटवारी के पद पर मनोहर थाना जिला झालावाड़ में नियुक्त किया गया था । वे दिनांक 20-8-60 से 16-10-1960 तक इस पद पर रहें ।

(2) इनके मनोहरथाना में नियुक्ति आदेश दिनांक 3-8-1960 को जारी हुए । इनके प्रार्थना-पत्र के साथ योग्यता व आयु का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है । इनको केवल कार्य प्रभारी के रूप में अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया था ।

(3) इस सम्बन्ध में वांछित जानकारी उपलब्ध रेकार्ड में प्राप्य नहीं है ।

रेवदर तहसील के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में बिजली

488. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में रेवदर, मण्डार, अनादरा, आदि गांवों में बिजली होते हुए भी अनुसूचित जाति व जन जाति के मोहल्लों में बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) मण्डार में मेगवाल वास व मोचीवाडा में और रेवदर में मेगवाल वास में कब तक बिजली दे दी जायेगी ?

(3) अब तक सिरोही जिले के किस-किस ग्राम को विद्युतिकरण के अन्दर ले

(श्री जेठमल)

लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, रेवदर तहसील के ग्राम रेवदर मण्डार एवं अनादरा में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली नहीं दी गई है, क्योंकि इन गांवों की ग्राम पंचायत या समाज कल्याण विभाग द्वारा इनके विद्युतिकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(2) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने और ग्राम पंचायत से बिजली के मासिक खर्च की अन्डरटेकिंग प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है ?

(3) अब तक (जनवरी 75 तक) सिरोही जिले के 62 ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है, जिनकी सूची 'अ' संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

गेज रीडर को बकाया राशि का भुगतान

489. श्री भैरू लाल (अकलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि श्री अमर लाल गुप्ता गेज रीडर रेगनेज स्टेशन भालता जिला झालावाड़ 10-रु. प्रतिमाह अलाउंस से लगभग 12 साल से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गेज रीडर को अगस्त सन् 73 की अलाउन्स की रकम भुगतान की जाने के बाद सितम्बर सन् 73 से अब तक अलाउन्स का भुगतान विभाग द्वारा नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त 17 माह का अलाउन्स 10।-रुपया प्रति माह से 170।-रुपया श्री गुप्ता को उचित देय है ? यदि हां, तो यह बकाया रकम 170/- रुपया अब तक पेमेन्ट नहीं किया जाने का क्या कारण है और अब कब तक पेमेन्ट कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) अमर लाल गेज रीडर 10/- रुपया प्रतिमाह अलाउन्स जून 1963 से कार्यरत है न कि 90/- प्रति माह से।

(2) जी नहीं, उक्त गेज रीडर को अगस्त 74 तक के पूरे अलाउन्स का भुगतान कर दिया गया है सितम्बर 74 के आगे के गेजेज प्राप्त न होने के कारण अभी भुगतान नहीं हो सका है।

(3) श्री गुप्ता को देय भुगतान राशि का भुगतान किया जा चुका है। सितम्बर 74 से आगे गेजेज भी मांगे गये हैं। उनके प्राप्त होने तक आगामी भुगतान देय नहीं है।

फाजलपुरिया एवं पृथ्याखेडी के ग्रामों में बिजली

490. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत-समिति झालरापाटन जिला झालावाड में ग्राम (1) फाजलपुर व (2) पृथ्याखेडी को

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दोनों ग्रामों में कुओं में पानी अच्छा होने से बहुत कृषक कुओं में मोटर लगाने को तैयार हैं और इनसे रिटर्न भी अच्छा मिल सकेगा ? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों को योजना में ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति झालरा-पाटन के ग्राम फाजलपुरिया व पृथ्याखेडी ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वार स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है ।

(2) इस योजना को संशोधित करके इन ग्रामों को इस योजना में सम्मिलित करना अब संभव नहीं है।

टोडारायसिंह क्षेत्र के ग्रामों को मुख्य सडक से जोडने की योजना

491. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दरमियान 2500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को सडकों से जोड दिया जावेगा ? यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक किसी प्रकार की विशेष प्रगति क्यों नहीं की गई है ?

(2) टोडारायसिंह क्षेत्र में कौन से ग्रामों को मुख्य सडकों से जोडा गया है ? प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार पांचवीं पंच-वर्षीय योजना तक इस कार्य को पूरा कर देगी ?

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2500 व इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सडक से जोडने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस वर्ष विभिन्न जिलों में 130 लाख रुपये आंवटित किये गये हैं, और कार्य चालू है ।

(2) टोडारायसिंह तहसील में 2500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 ग्राम भासू व पवालिया है। भासू पक्की सडक से टोडारायसिंह नेगेडिया सडक से जोडा गया है। व पावलिया ग्राम अकाल राहत कार्यों में रानी ग्रेवल रोड से मालपुरा टोडा रोड से जुडा हुआ है, इसलिये इसको प्राथमिकता में नहीं लिया गया है ।

(3) राज्य सरकार 2500 की जन-संख्या तक के ग्रामों को सडक से जोडने का लक्ष्य है, जिसका पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

रामगढ़ सड़क को पक्का बनाने की योजना

492. श्री रामगोपाल (किशनगंज, कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सड़क रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला कोटा को पक्की

(श्री रामगोपाल)
बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा लिखित में कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पक्की बना दी जायेगी ?

उत्तर

किशनगंज से रामगढ़ वाया चिनोद सड़क के दस किलोमीटर में डब्लू बी एम रोड़ निर्माण वित्तीय पंचवर्षीय योजना में कराया गया था। इस सड़क के शेष 22 किलोमीटर का कार्य योजना में अभी स्वीकृत नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का भवन

493. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के भवन की प्रारंभ में क्या लागत आंकी गई थी ? अब तक इस पर कितना रुपया व्यय हो गया है ?

(2) उक्त भवन के निर्माण में अब तक कितना टन सरिया और कितनी बोरी सीमेंट लग चुका है ? और इनका अलग अलग कितना मूल्य हुआ ?

(3) उक्त भवन पर लकडी के काम पर कितना रुपया किस किस मद में व्यय कब कब हुआ है ? इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भवन की आरम्भ में 42,82,500) रुपये की लागत आंकी गई थी। माह फरवरी 1975 तक 41,53,921) रुपया व्यय किया गया है।

(2) उक्त भवन निर्माण में अब तक 460.716 मैट्रिक टन लोहा तथा 38388 बोरी सीमेन्ट लगाई गई है, जिनका मूल्य क्रमशः 6,59,136) एवं 5,73,495) रुपया है।

(3) लकड़ी के काम पर माह फरवरी 75 तक 78,332) रु. व्यय हुआ है। किये गये लकडी के कार्य का विवरण सूची (अ) में संलग्न हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

चाकसू एवं फागी तहसील में सड़क निर्माण कार्य

494. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चाकसू एवं फागी तहसील में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ? यदि हां, तो किस किस सड़क पर कितना कितना कार्य किया गया और कितनी कितनी धन राशि व्यय की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त अधूरी सड़कों को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों पर हुए कार्य एवम् उन पर व्यय की गई धनराशि के आंकड़े संलग्न सूची (अ) में अंकित हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां, किन्तु वित्तीय साधनों को देखते हुए यह सड़कें विभागीय योजना में अभी स्वीकृत नहीं हैं। प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

जिला बूंदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग का व्यय

495. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बूंदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रशासनिक व्यय कितना होता है एवं निर्माण कार्यों पर व्यय कितना होता है ? गत तीन वर्षों के आंकड़े बताने की कृपा करें। प्रशासनिक व्यय के आंकड़ों में अस्थाई कर्मचारियों के आंकड़े अलग से बताने की कृपा करें।

उत्तर

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बूंदी खण्ड में गत तीन वर्षों में प्रशासनिक एवम् निर्माण कार्यों पर क्रमशः 4;63,349) तथा 59,69,500) रुपया व्यय हुआ है।

उक्त व्यय का वार्षिक विवरण एवम् अस्थाई कर्मचारियों के व्यय के आंकड़े संलग्न सूची (अ) में अंकित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

शेरे के वाले से जवाजा फीडर का कार्य

496. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शेरे के वाले से जवाजा तक आने वाले फीडर अति वर्षा से 73 में कई जगह ढह गये हैं और मलबा जगह जगह फीडर में पड़ा हुआ है तथा वर्षा से पहले इस मलवे को नहीं निकलवाया गया तो इस इलाके की जनता को पानी की तकलीफ होगी ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है ? इस कार्य को कब शुरू कर दिया जावेगा ? क्या इस कार्य को अकाल राहत कार्य के रूप में अविलम्ब शुरू नहीं किया जा सकता ?

उत्तर

1. जी हां, फीडर की सफाई वर्षा ऋतु से पूर्व करवा दी जावेगी।

तहसील सराड़ा के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना

497. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील सराडा में 2 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की सड़कों के लिये सर्वे कर सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा योजना बना कर गांवों की सूची तैयार की गई ? यदि हां, तो यह योजना कब तैयार की गई है ?

(श्री देवीलाल)

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ऐसे गांवों की छंटनी की है जिसकी जनसंख्या 2 हजार से अधिक है और उन गांवों को मुख्य सड़कों से जोडा जा सकता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ? सूची मय जन संख्या सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2500 व इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस वर्ष विभिन्न ज़िलों में 130 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं और कार्य चालू है।

(2) टोडारायसिंह तहसील में 2500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 ग्राम भासू व पवालिया हैं। भासू पक्की सड़क से टोडारायसिंह नैर्गडिया सड़क से जोड़ा गया है व पवालिया ग्राम अकाल राहत कार्यों में बनी ग्रेवल रोड से मालपुरा टोडा रोड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिकता में नहीं लिया गया है।

(3) राज्य सरकार का 25000 की जनसंख्या तक के ग्रामों को सड़क से जोडने का लक्ष्य है, जिसका पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

फैक्टरी से ट्रकों द्वारा मंगाई गई सीमेन्ट

498. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)**:– क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिलाधीश द्वारा फैक्ट्रियों से सीमेंट ट्रकों द्वारा मंगवाई जाकर वितरण की गई है ? यदि हां, तो वर्ष 73–74 एवं 74–75 में कब कब और कितनी कितनी सीमेंट किस किस फैक्ट्री से मंगवाई गई और ट्रकों को किराया किस किस आधार से दिया गया है ?

(2) क्या यह सच है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी से कोई कोटेशन नहीं लिए गये और अलग अलग ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को अलग अलग रेट्स से किराये का भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त सीमेंट कम किराये से लाने वाली ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा नहीं मंगवाई जाकर फर्जी ट्रांसपोर्ट कम्पनी से मंगवाई गई ? यदि नहीं, तो जिन जिन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों से सीमेंट मंगवाई गई, उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर, उनके रजिस्टर्ड कार्यालय के पते तथा कम्पनियों से संबंधित ट्रकों के नम्बर सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिक किराया भुगतान कर उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूल करके नियमों का उल्लंघन किया गया है ? यदि नहीं, तो किन नियमों के आधार पर किराये का भुगतान किया गया है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 73–74 में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण योजना हेतु व 74–75 में नव कूप निर्माण योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीमेन्ट उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कूप निर्माण करने वाले काश्तकारों को वितरण हेतु सम्बन्धित पंचायत समितियों

(खाद्य मंत्री)

को जिलाधीश कार्यालय जयपुर द्वारा सीमेन्ट दिलाने की व्यवस्था कागज

(क) 73-74 में कुल 3500 टन सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्राप्त की गई जिसमें 2500 टन सीमेन्ट बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री चितौड़गढ़ से तथा 1000 टन सीमेन्ट सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री से। सवाईमाधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री से 1000 टन सीमेन्ट रेल द्वारा प्राप्त हुई, बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री से 555 टन सीमेन्ट रेल द्वारा एवं शेष 1945 टन सीमेन्ट ट्रकों द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों को पहुंचाई गई।

(ख) 74-75 में कुल 950 टन सीमेन्ट बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ से जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को कूप निर्माण योजना हेतु ट्रकों द्वारा पहुंचाई गई।

(ग) बिडला सीमेन्ट फैक्ट्री चितौड़गढ़ से वर्ष 73-74 एवं 74-75 में ट्रकों द्वारा मंगाई सीमेन्ट उपरोक्त फैक्ट्री द्वारा स्वीकृत कैरियर्स (ट्रांसपोर्टर) के माध्यम से ही फैक्ट्री द्वारा निश्चित किराये की दरों पर ही सम्बन्धित पंचायत समितियों को भिजवाई गई। 73-74 में चित्तौड़गढ़ फैक्ट्री से विभिन्न पंचायत समितियों तक 42 रु. से 57 रु. प्रति टन की दर से किराये का भुगतान किया गया। प्रतिलिपि संलग्न है। 1974-75 में किराये का भुगतान 25 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर की दर से किया गया।

(2) यह सही है कि सीमेन्ट कोटेशन प्राप्त करके नहीं मंगवाया गया बल्कि सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा अधिकृत कैरियर्स के माध्यम से मंगवाया गया। वर्ष 73-74 व 74-75 में किराये की दर भिन्न थी।

(3) यह सही नहीं है। सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा अधिकृत कैरियर्स से उनके द्वारा अनुमोदित किराये की दर पर मंगवाई गई। वर्ष 73-74 में सीमेन्ट शफर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, चांदपोल बाजार, नई अनाज मण्डी, जयपुर एवं 74-75 में चेतक एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर द्वारा मंगाई गई। इनमें से कोई कम्पनी फर्जी हो, ऐसी सूचना प्राप्त सूचना के आधार पर सही नहीं है तथा कम्पनियों के ट्रकों के नम्बर के बारे में भी जानकारी नहीं है।

(5) यह सही नहीं है। किराये का भुगतान उपरोक्तानुसार किया गया है। पंचायत समितियों द्वारा काश्तकारों को सीमेन्ट का वितरण न लाभ न हानि के आधार पर किया गया है जिससे काश्तकारों को सीमेन्ट विक्रेताओं द्वारा ली जाने वाली कमीशन की बचत रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखिये)

गेहूं की लेवी के दाम

499. श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) :- क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गेहूं की ली गई लेवी के दाम अभी तक कई लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं?

(2) क्या बमोरी तहसील दीगोद ने ली गई लेवी के दाम श्री श्यामसुन्दर,

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)
मांगीलाल को चुका दिये गये? अगर चुका दिये तो कब और नहीं तो क्यों?

(3) क्या इसी तरह तहसील इन्द्रगढ ढीबरी के श्री रामशंकर से रास्ते में गाडी रोक कर एस.ई.एन. श्री माथुर ने गेहूं की 17 बोरी अपनी ट्रोली में रखवाली है?

(4) क्या यह भी सही है कि अभी तक श्री रामशंकर को उसकी कीमत प्राप्त नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों? विभाग इसके लिए क्या उचित कार्यवाही कर रहा है?

उत्तर

(1) जी हां कुछ व्यक्तियों को लेवी गेहूं की कीमत चुकाना शेष है।

(2) श्री श्याम सुन्दर, मांगीलाल से लिये गये गेहूं की कीमत दिनांक 19-6-74 को तथा दिनांक 14-7-74 को चुकाई गई है।

(3) श्री माथुर द्वारा उक्त कृषक से गेहूं खरीद की। भुगतान कर दिया है ऐसी जानकारी मिली है। लेवी से इस गेहूं की रकम का संबंध नहीं है।

(4) लेवी से इस रकम का कोई संबंध नहीं है। यह सही नहीं है।

बीकानेर जिले में फर्टीलाइजर का वितरण

500. श्री भीमसेन (लूणकरणसर)-क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले की किन किन एजेंसीज या व्यक्तियों को कितना कितना फर्टीलाइजर 68-69 से 73-74 तक विभाग या राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ, जयपुर या अन्य स्रोतों से स्वीकृत किया गया?

(2) क्या यह सही है कि 68-69 से 71-72 तक जिले की कोई कृषि भूमि सिंचित नहीं थी? अगर हां, तो फर्टीलाइजर का कोटा बीकानेर जिले में किस कार्य हेतु स्वीकृत किया गया?

उत्तर

(1) वर्ष 68-69 से 73-74 तक बीकानेर जिले में विभिन्न एजेन्सीज व व्यक्तियों को वितरण हेतु निम्नानुसार खाद प्राप्त हुआ :-

क्र.सं.	नाम एजेन्सी/व्यक्ति	खाद की मात्रा				
		यूरिया	सी.ए.एन.	सुपर फास्फेट	अमोनियम सल्फेट	म्यूरेट आफ पोटाश
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि सहायक, बीकानेर	100 थले	400 थैले	-	200 थैले	-
2.	विकास अधिकारी, बीकानेर	207 ,,	-	5 थैले	16 थैले	5 थैले

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
3.	मै. कल्याणी फर्टीलाइजर बीकानेर	377 थैले	400 थैले	–	–	–
4.	मै. खेमाराम पुंगल (बीकानेर)	590 ,,	–	–	–	–
	कुल	1274 ,,	800 ,,	5 थैले	216 थैले	5 थैले

(2) जी नहीं। सिंचित निम्नानुसार था :–

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टर में)
1968–69	118
1969–70	248
1970–71	1327
1971–72	3326

युवक मण्डलों का गठन

501. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी)–क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक कितने युवक मण्डलों का गठन किया गया है? इनमें से कितने पंजीकृत कब तक हुए हैं और अपंजीकृत कितने हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन युवक मण्डलों को कब-कब कितनी-कितनी राशि व सामान किस-किस विभाग द्वारा प्रदान की गई और दी गई राशि या सामान का क्या उपयोग किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर जिले की फागी व चाकसू पंचायत समिति में कितने युवक मण्डल पंजीकृत व अपंजीकृत हैं व किस-किस युवक मण्डल को कब-कब किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि/सामान उपलब्ध कराया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम बमूलिया कलां में पंचायत का हैडक्वार्टर

502. श्री शिवनारायण (बारां)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत तामखेड़ा पंचायत समिति अन्ता जिला कोटा का मुख्यालय ग्राम बमूलिया कलां में बदलने की कार्यवाही सम्पूर्ण पूर्ति के बाद भी विकास विभाग में पड़ी हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) कब तक ग्राम बमूलिया कलां को पंचायत हैडक्वार्टर बनाने के आदेश दे दिये जावेंगे?

Page No 46

(46)

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम पंचायत तामखेड़ा का मुख्यालय ग्राम बमूलिया कलां में परिवर्तन का निर्णय पुनर्सीमा निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 27-1-75 को हो चुका है। उद्घोषणा भी दिनांक 7-2-75 को प्रसारित हो चुकी है।

किशनगढ़ शहर का कच्चा नाला

503. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर के गन्दे पानी को बाहर निकालने के लिए कच्चा नाला बना हुआ है उस नाले से गन्दा पानी बाहर नहीं जाता है? क्या यह भी सही है कि इसकी वजह से सारी बस्ती में गन्दगी, मच्छरों आदि से बेहद तकलीफ है?

(2) क्या यह सही हैं कि किशनगढ़ के लोग बार बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि इस नाले को पक्का बनवाया जाये और दूर तक पक्का बनवाकर गंदा पानी निकाल दिया जाय?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस नाले को पक्का बनवाने का आश्वासन दिया है? यदि हां, तो इस नाले को कब तक पक्का बनवा दिया जायेगा?

(स्थगित किया गया)

ग्राम खींवसर के कुओं की मरम्मत हेतु दी गई राशि

504. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की पंचायत समिति मूण्डवा ने ग्राम खींवसर के हनुमान सागर कुआं की मरम्मत आदि हेतु तारीख 3-11-60 को रु. 500।- तारीख 3-8-61 को रु. 400।- ता. 4-3-64 को रु. 1000।- ता. 9-3-64 को रु. 500।- व ता. 27-4-64 को 500।- का अनुदान दिया?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खींवसर ने उक्त अनुदान राशि का उपयोग कर लिया? अनुदान प्राप्त करने वाले सरपंच, उपसरपंच या पंच का नाम क्या है? उक्त राशि का उपयोग किया उन व्यक्तियों के या ग्राम पंचायत, पंचायत के ऐसे मुखिया का नाम जिसने यह राशि उपयोग में लेकर कार्य सम्पन्न कराया, के नाम क्या हैं?

(3) ग्राम खींवसर का उक्त हनुमान सागर कुआं, जिसके लिये उक्त अनुदान दिया गया व व्यय किया गया, उस कुए के खसरा नम्बर व पड़ौस बताने की कृपा करावें? वर्ष संवत् 2006 की खतौनी बन्दोबस्त में इस कुए के क्या खसरा नम्बर थे एवं क्या इन्द्राज थे एवं सं. 2020 की खतौनी बन्दोबस्त में इस कुए के क्या खसरा नम्बर हैं एवं क्या इन्द्राज हैं?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम खींवसर हनुमान सागर कुओं के लिए निम्न प्रकार राशि दी गई:–

2–6–60	500) रु.
20–9–60	400) रु.
3–10–60	100) रु.
3–11–60	500) रु.
27–3–61	400) रु.
9–3–64	500) रु.
27–4–64	500) रु.

(2) जी हां। राशि सूणकरनसर, सरपंच खींवसर उप–सरपंच रामनिवास, सरपंच एवं लक्ष्मीनारायण सरपंच को दी गई थी। हिसाब लूनकरण, लक्ष्मीनारायण सरपंच ने 3184.59 रु. का प्रस्तुत किया पंचायत समिति के रेकार्ड के अनुसार 27–4–64 को 1250) रु. का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व दिनांक 9-11-64 को रु. 1489) का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए हुए है।

(3) कुआ हनुमान सागर खींवसर के पश्चिम की तरफ करीब तीन मील दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नागौर के मुताबिक संवत् 2006 की मिसल बन्दोबस्त में इस कुए का कोई इन्द्राज नहीं मिलता है। संवत् 2010 से 2029 मिसल बन्दोबस्त में खसरा नं. 769 व रकबा 0)2 बिस्वा है। कुआ नया खुदा है।

भूतपूर्व सहायक रजिस्ट्रार सिरोही द्वारा लिया गया ऋण

505. श्री भूराराम (आबू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सहायक रजिस्ट्रार श्री रामनिवास यादव सहकारी समितियां सिरोही द्वारा दी डिस्ट्रिक्ट कोमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. आबूरोड से रु. 5001- का ऋण लिया? यदि हां, तो कौन से नियमों के तहत, किस आधार पर, कब कब कितना कितना ऋण किन किन की जमानतों पर दिया गया था?

उत्तर

(1) जी हां, सिरोही के भूतपूर्व सहायक रजिस्ट्रार श्री रामनिवास यादव ने डिस्ट्रिक्ट कार्मशियल बैंक लि. आबूरोड से 7000/- का ऋण बैंक के उपनियमों के अन्तर्गत ऋण नीति के आधार पर लिया। रु. 5000/- दिनांक 3-4-74 को श्री धनसुखलाल शाह व उनकी पत्नी श्रीमती रमा बैन के संयुक्त व व्यक्तिगत जमानत पर व 2000/- रु. दिनांक 6-9-74 को श्री बिशम्भरनाथ की जमानत पर लिया।

सहकारी समितियों के पदाधिकारियों पर ऋण की बकाया राशि

506. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़ सहकारी समितियों के पदाधि-

(श्री शंकर लाल)

कारियों व ऋण प्राप्तकर्ताओं ने समय पर ऋण जमा नहीं कराया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति कौन कौन सी सहकारी समिति के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के पदाधिकारियों व ऋण प्राप्त कर्ताओं पर डिग्रियां हो चुकी हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों से डिग्रियों से रकम वसूल की गई, और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे रकम वसूल नहीं की गई है ? वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

नगर आयोजना विभाग पर व्यय

507. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर)—क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर आयोजना विभाग पर उसकी स्थापना से आज तक कुल कितना व्यय हो हो चुका है ?

(2) इस विभाग की स्थापना से आज तक इस विभाग ने कुल कितनी योजनायें बनाई हैं और इन योजनाओं में से कितनी योजनायें सरकार द्वारा स्वीकार की गई और कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-2-75)

राजस्थान नहर परियोजा में ठेकेदारों के एवं राजकीय ईंटों तथा टाइल्स के भट्टे

63. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर लिफ्ट परियोजना में ठेकेदारों के एवं राजकीय ईंटों एवं टाइल्स के भट्टे अलग अलग से हैं ? यदि हां, तो उसके विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) ईंटों एवं टाइल्स के तैयार करने में राजकीय भट्टों पर कितना कितना प्रति हजार ईंट व प्रति हजार टाइल्स पर खर्च पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा भट्टे के ठेके को कन्ट्रोल का कोयला भी ईंट एवं टाइल्स पकाने हेतु दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को कब कब कितना कोयला दिया गया और कितना माल कब कब किस किस द्वारा तैयार किया गया। 1 अप्रेल, 70 से 31 मार्च, 74 तक की सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(स्थगित किया गया)

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : मुझे दुखद सूचना देनी है आपको कि हमारी विधान सभा के सदस्य थे श्री दुर्लभसिंह, उनके बारे में मुझे सूचना मिली है कि उनका देहावसान हो गया है। अगर आपकी सम्पति हो तो मैं आपकी तरफ से, आसन की ओर से ही उनके बारे में कह दूं।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

श्री दुर्लभसिंह सन् 52 से 57 तक पहली जो धारा सभा थी उसमें चुनकर आए थे सदस्य, मैं उनको व्यक्तिशः जानता था, वे मेरे साथ रहे हैं साथी धारा सभा के अन्दर। वह वैसे रावलपिंडी के रहने वाले थे सन् 47 में शरणार्थी, पुरुषार्थी लोग यहां आये तो उस वक्त वह भी राजस्थान में आए और आने के बाद अलवर जिले में रामगढ़ तहसील में अपना निवास स्थान नियुक्त किया। वह एक सक्रिय नवयुवक थे और काफी सामाजिक कामों में दिलचस्पी लेते थे लेकिन विशेष रूप से शरणार्थियों के, पुरुषार्थियों के मामलात में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली। काफी काम काज किया। धारा सभा के अन्दर यहां पर काफी सक्रिय सदस्य वह रहे हैं। स्वभाव से बहुत सज्जन और बहुत अच्छे आदमी थे और किन परिस्थितियों में, ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई हैं कि कौन सी बीमारी से मरे। वह तो मैं नहीं जानकारी दे सकता हूं इसलिए मैं आप सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को वह शक्ति भगवान दे कि वह तकलीफ को उठा सके उनका शोक संतप्त परिवार।

अब दो मिनट खड़े होंगे।

(सदन द्वारा दो मिनिट तक खड़े होकर मूक श्रद्धांजलि अर्पित)

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्रद्धांजलि और संवेदना में पहली बार मितव्ययता हुई है।

श्री अध्यक्ष : क्या फरमाया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्रद्धांजलि और संवेदना में पहली बार मितव्ययता हुई।

श्री अध्यक्ष : सब की सम्मति शामिल है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष असाधारण मांग लेकर उपस्थित हो रहा हूं और वह यह है कि मुझे आज दो स्टेटमेंट देने थे। एक आर.ए.सी. को बिहार में भेजने के बाबत में और दूसरा यू. जी. सी. ग्राण्ट कमीशन के वेतनमान यहां राजस्थान में लागू करने के बारे में। मुझे अत्यन्त आवश्यक कार्यवश जिसके बाबत में विचार विमंश दिल्ली में प्रोहिबिशन लागू करने के बारे में और अन्य विषय में उसके लिए दिल्ली बहुत जरूरी जाना है। भारत सरकार के वित्त मंत्री दोपहर को मद्रास के लिए रवाना होने वाले हैं उससे पहले मैं वहां पहुंच जाता हूं तो वह सारा हो जाता है वरना कुछ बाधा भी आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो आर. ए. सी. के बारे में स्टेटमेंट देना है वह 29 तारीख को रख दिया जावे और यू.जी.सी. के बाबत वेतमानों के बारे में माननीय सदस्यों को और बाहर भी काफी उत्सुकता है इसलिए राज्य सरकार का दृष्टिकोण मैं यहां पर रख दूं और मुझे ऐसे समय छुट्टी मिल जाय जिससे मैं जाकर हवाई जहाज पकड़ सकूं। अगर आपकी इजाजत हो जाय तो इस प्रकार से कार्यवाही कर ली जावे बाकी कार्यवाही बाद में करली जावे।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मुझे भी अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : एक ही मिनिट में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन कर दूं कि किसानों की मांगों को लेकर हम बराबर...

श्री अध्यक्ष : यह वह समय नहीं है। आप बाद में कह दें।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं एक ही अर्ज कर रहा हूं कि आपकी वार्तालाप हो चुकी है। अगर 29 को उसका भी स्टेटमेंट हो जाय तो हमें पता तो चल जाय कि सरकार क्या बर्ताव करना चाहती है हमारे साथ में। इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आपके द्वारा कल भी अर्ज किया गया था और 31 को सेशन समाप्त हो जाएगा।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : इस बारे में जरूर स्टेटमेंट हो जाना चाहिए, किसानों का मामला है।

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझसे कल मिल लीजिए, कल बात कर लेंगे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : मिलने का सवाल नहीं है। सदन में आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मिलने के बाद सदन में भी आ सकते हैं।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 29 को स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : तो फिर स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देनी है उस पर मैं आप कहें तो व्यवस्था सुना दूं और उसके बाद स्टेटमेंट हो जावे।

श्री केदारनाथ : व्यवस्था स्टेटमेंट के बाद भी आ सकती है। स्टेटमेंट के बाद में ले लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले वक्तव्य हो जाय।

शासकीय वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 28 फरवरी को मैंने सदन में यह बात कही थी कि विश्वविद्यालयों में एवं कालेजों में यू.जी. सी. की नई योजना के अन्तर्गत नये वेतनमान इत्यादि लागू करने के प्रश्न पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करके अपने निर्णय की घोषणा करेगी। इस बात का विभिन्न स्तरों पर इस विषय में विचार विमर्श किया गया है और तीनों विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से भी मेरी बातचीत हुई है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह बहुत गंभीर उलझा हुआ प्रस्ताव है जिसका न केवल शिक्षा क्षेत्र पर बल्कि अन्य सेवा क्षेत्रों में भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। माननीय सदस्य जानते हैं यू. जी. सी. की सिफारिशों की घोषणा गत वर्ष मार्च के अंत में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई थी। यह घोषणा भारत सरकार के तृतीय वेतन आयोग से सम्बद्ध थी। उस घोषणा का उद्देश्य केवल शिक्षकों के वेतन मान को बढ़ाकर अन्य भारतीय सेवाओं के समान करना ही नहीं था बल्कि प्रमुख लक्ष्य शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च विद्यालयों में आकर्षित करना, इसके साथ ही चयन, भर्ती एवं पदोन्नति के लिए भी

Page No 51

(51)

(श्री हरिदेव जोशी)

गुणात्मक सुधार करना था। सभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और स्तरीय उच्चता लाने की दृष्टि से अन्य-राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित किया गया था कि वे भी इस विषय में उपयुक्त निर्णय लें।

इसके बाद दो नवम्बर, 1974 के स्पष्टीकरण द्वारा राज्य सरकारों को सूचित किया गया कि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपने विवेक से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित नये वेतनमान से भिन्न वेतनमान भी 1 जनवरी, 1973 अथवा इसके बाद किसी तिथि से लागू कर सकती हैं। इस सूरत में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी प्रस्तावित योजना का पूरा विवरण, वेतनमान इत्यादि और योजना को लागू करने की प्रणाली व शर्तें वित्तीय प्रभाव इत्यादि के बारे में भारत सरकार को विस्तृत योजना भेजेगी।

इस पत्र के साथ जो परिशिष्ट संलग्न थे, उनमें नये वेतनमान लागू करने की विधि, शर्तों और आवश्यक योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि मेडिकल, कृषि एवं पशु-पालन विज्ञान एवं इन्जीनियरिंग कालेज इन वेतनमानों की परिसीमा से बाहर रखे गये हैं। शर्तों में अन्य बातों के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन और चयन के आधार पर तथा यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुये नये पदों की भर्ती करने व चयन समितियां बनाने, प्रोबेशन की अवधि 2 वर्ष रखने, सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक रखने, परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए अलग से पारिश्रमिक न देने, वर्तमान अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि में अपनी योग्यताओं को नये निर्धारित स्तर पर लाने और विश्वविद्यालयों द्वारा नई आचार संहिता बनाकर लागू करने का उल्लेख है।

इसी प्रकार अभी पिछले मास प्राप्त एक और स्पष्टीकरण में कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान संकायों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें निर्धारित की गई हैं।

संक्षेप में माननीय सदस्य शायद इस बात को सराहेंगे कि वेतन मानों के साथ जो शर्तें आदि लगाई हैं उन सबको मिलाकर देश के सामने एक पेकज प्रोग्राम रखा गया है, जिसका लक्ष्य जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हुए बहुमुखी सुधार करना है जिसके लिए राज्य सरकार को कहा गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए योजना की मूल रूपरेखा अथवा प्रणाली में समुचित संशोधन चाहें तो कर लें।

मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार केवल उत्तर प्रदेश ने ही इस योजना को लागू करने हेतु आदेश जारी किया है। उसमें भी वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय तथा राजकीय कालेजों को छोड़ दिया गया है। अन्य कुछ राज्यों-जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में अखबारों से प्राप्त सूचनानुसार योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। अन्य राज्यों में तो यह मामला अभी भी विचाराधीन प्रतीत होता है।

(श्री हरिदेव जोशी)

जहां तक हमारी परिस्थितियों का सवाल है वे किसी से छीपी हुई नहीं हैं। वित्तीय स्थिति से भी माननीय सदस्य भली-भांति परिचित हैं। इतना ही नहीं विश्व-विद्यालयों एवं महा विद्यालयों के वेतन सुधार के साथ-साथ अन्य शिक्षण संस्थाओं की समस्या भी है।

माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि राजस्थान में वेतन सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था राणावत कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1968 से लागू की गई है जब कि विश्व-विद्यालयों के लिए यू.जी.सी. ने 1966 में वर्तमान वेतनमान निर्धारित किये थे। राणावत कमीशन ने राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए कई राज्य सेवाओं के वेतनमान समकक्ष किये थे। इसके बाद, जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है, धीरे-धीरे हम भी भारत सरकार की नीति के अनुकूल चल रहे हैं। लेकिन हमारे वेतनमान भारत सरकार के वेतनमानों से अब भी भिन्न हैं।

अतः माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि इन मामलों में स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त यू. जी. सी. की मूल योजना में अनेक ऐसे बिन्दु हैं जिनके विषय में मैं पहले भी संकेत कर चुका हूं, जिन पर राज्य सरकार को ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें विश्वविद्यालय कैम्पस के अतिरिक्त, न केवल राजकीय बल्कि अनुदान प्राप्त निजी संस्थाओं में भर्ती, नियुक्ति, योग्यता आदि समस्याओं की ओर भी देखना है। इन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए अभी और समय चाहिए। लेकिन मैं सदन को विश्वास में लेते हुये यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम यू. जी. सी. की योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तथा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये प्रस्तावित पैकेज प्रोग्राम के अनुसार चलकर यथा सम्भव नये वेतनमानों को लागू करने का प्रयत्न करेंगे।

अतः इस कार्य के लिए सरकार एक समिति का निर्माण कर रही है, जो इन सभी पहलुओं पर विचार कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी सिफारिश देगी।

सदन के माध्यम से मैं विश्वविद्यालयों व कालेजों के अधिकारियों एवं शिक्षकों तथा छात्रों से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कोई वातावरण न बनायें जिससे कि छात्रों के भविष्य को कोई हानि हो। ऐसा तभी सम्भव है जब वातावरण सहयोग और सौहार्द्रपूर्ण रहे। उन्हें भी सरकार की स्थिति को समझाना चाहिए।

मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का रुख उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति का है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक सहयोग और उत्तर-दायित्व का दृष्टिकोण अपनायेंगे और आने वाली परीक्षाओं की निर्धारित व्यवस्था को सफलता पूर्वक निभायेंगे।

श्री निरंजनाथ आचार्य (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य ऐसा लगता है जैसा कि बहुत शोर सुने कि हाथी की दुम का मगर जब जाकर देखा तो हाथ भर की रस्सी लगी। आपने यू.जी. सी. की एक कमेटी बिठा दी, इसका साधी साधा अर्थ यह हुआ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि यू. जी. सी की. रिकमन्डेशन्स राज्य सरकार को मान्य नहीं है । आपने जिस पेचीदगी से अभिव्यक्ति की, उस समस्या के साथ अन्य समस्याओं की परतें जमी हुई हैं वित्तीय समस्याओं के साथ जो मौलिक प्रश्न जुड़े हुए हैं । इन रिकमन्डेशन्स की क्रियान्विति का प्रश्न अलग रह गया । इसकी कुशलता और क्षमता के आधार पर इस स्थिति को कितना व्यापक और विस्तीर्ण बना दिया है कि जिससे दो-तीन साल में कोई निर्णय नहीं लिया जा सके इस तरह की स्थिति को रखा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यू.पी. का। और दिल्ली ने भी स्वीकृति दे दी है और उन्होंने यू.जी.सी. की नीति को मान्यता दी है । आप कम से कम मान्यता दें और उसके बाद वेतनमान के अध्ययन के प्रश्न पर चिन्तन करते तो मेरा ख्याल है राजस्थान को आप इन अध्यापकों की स्ट्राइक और आन्दोलन से बचा पाते ।

मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं जिस समस्या को आप समझ रहे हैं सहज और सरल समस्या है । वह समस्या राजस्थान की प्रगति में आगे बाधा उपस्थित न करे । इन प्राध्यापकों का आन्दोलन, यह आन्दोलन शिक्षा जगत में एक पहला प्रकरण होगा, अगर शिक्षा जगत में न पैदा हो सकेगा तो मेरा ख्याल है, इसका प्रभाव गति से रुक जायगा । इसलिये जो वक्तव्य दिया, इस वक्तव्य के पैंदे में कोई ऐसा विश्वास नहीं मिलता है जिससे प्राध्यापक सन्तुष्ट हो सके । मैं पुनः निवेदन करूंगा यदि आज आप जल्दी में हैं तो दिल्ली से लौट आइये । आपके मस्तिस्क पर जो वजन है आर्थिक स्थिति का और विकृति का जो बोझ है उसको दिल्ली में रख कर वापिस लौट आइये और मामले पर पुनः विचार करके इस सदन को आश्वस्त कर सकें तो बहुत अच्छा होगा चूंकि यह वक्तव्य सदन को विश्वास में नहीं ले रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आज समय की तंगी को देखते हुये जो वक्तव्य मुख्य मंत्रीजी की ओर से मिला है तो, मैं समझता हूं, सदन में एक एक दल के माननीय सदस्य अपने विचार रख दें तो अच्छा होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो वक्तव्य है, इसको हम बहुत निराशा पूर्ण मानते हैं । दरअसल अभी तक जो सरकार की तरफ से यह कहा जाता रहा कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तो उससे अध्यापकों के दिमागों में जो यह आशा बन्धी हुई थी कि सरकार इस बात पर तो विचार कर रही है कि इसको लागू करेंगे लेकिन एरियर्स का पेमेन्ट किस प्रकार से किया जाय, कितनी किश्तों में किया जाय, कैसे किया जाय इस बात पर शायद सरकार विचार कर रही है और इसलिये इन तमाम प्रश्नों पर एक साथ विचार करके सरकार उत्तर देना चाहती है ।

परन्तु अभी जो मुख्य मन्त्रीजी का वक्तव्य है इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार उनको लागू करेगी या नहीं करेगी, यह बात अभी भी अधरझूल में है और एक कमेटी बैठा कर मामले को एक लम्बे अरसे के लिये टाल

Page No 54

(५८)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
दिया गया है और इस विषय को इस स्थिति में बना दिया गया है जिसका उत्तर मैं नकारात्मक रूप में ही मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह प्रश्न राजस्थान के प्राध्यापकों का ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के प्राध्यापक संगठित होकर वह लोग यह आवाज उठाने वाले हैं। इस आवाज को उठाने जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने और कई राज्यों ने इसको लागू कर दिया है और केन्द्रीय सरकार ने इसको जस्टीफाई मानते हुए राज्य सरकारों को उसके लिए 80 परसेन्ट तक सहायता देने का निर्णय किया है। राज्य सरकार की ओर से जो यह बात कही गई है कि राणावत कमीशन, 1968 की सिफारिशों के मुताबिक दूसरे राज्य कर्मचारियों के जो वेतनमान लागू हुए हैं उसी की भांति उनके भी किये गये हैं परन्तु उन कर्मचारियों की तरफ से भी लगातार यह मांग आती है तृतीय वेतन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उनके वेतनमानों पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए और वेतनमानों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। इसलिए इस बिना पर कि उनकी वाजिब मांग को उससे जोड़ देना, इस सवाल को टाला नहीं जा सकता और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उन परिस्थितियों में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस प्रकार का नकारात्मक रुख अपनाये। विशेष तौर पर ऐसी हालत में जबकि उनकी मांग को प्रेरणा देने वाली खुद केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की सहायता देने को तैयार है। जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो स्थिति बजट के समय और उसके बाद समय समय पर रखी है इस सदन के सामने उसमें बार बार इस बात को दोहराया गया है कि वित्तीय कठिनाई नहीं है। अकाल के मामले को लेकर वित्तीय कठिनाई है ऐसी बात भी नहीं, प्रश्न केवल यह है कि जो काम उपयोगी है उसके लिये हम साधन जुटा कर और उसके लिये जिस प्रकार से सरप्लस बजट उन्होंने पास किया और भी कई बातें कही गई, इस नाते यह कह कर कि वित्तीय कठिनाई है, इस प्रश्न को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस प्रश्न को जिस तरह से पोज कर रही है, यह उचित नहीं है, इसको वापिस ले और इस पर पुनर्विचार कर, कमेटी की बात न करके इस पर पुनर्विचार करे और कम से कम इतनी घोषणा जरूर करे कि वेतनमानों को इमीजियेट इफेक्ट से लागू किया जाता है लेकिन जो एरियर है 1-1-73 से अब तक वह किस तारीख से दिया जाय इस मसले को एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो कुछ बात समझ में आ सकती है और हमारा दल और पूरा हाउस भी प्राध्यापकों को यह सलाह दे सकता है और कह सकता है कि उनको यह अनुरोध कर सकता है कि वे इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठायें जिससे स्थिति बिगड़े और कोई बाधा उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस पर दुबारा घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया था कि प्राध्यापकों को यू. जी. सी. के समान देने के सम्बन्ध में समस्त मामले सरकार के विचारा-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

धीन बताये थे। और आज माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उस विचाराधीन समस्या को एक कमेटी के सामने रखकर कमेटी के विचाराधीन कर दिया है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर फिर सरकार विचार करेगी। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि यदि इसका विश्लेषण किया जाय तो शिक्षा मन्त्रीजी के वक्तव्य को और माननीय मुख्य मन्त्रीजी के वक्तव्य को दोनों वक्तव्यों को, तो यह कहा जायगा कि पुरानी बोतल में नई शराब रख दी गई है। ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल। बोतल नई रख दी गई है लेकिन मूलतः शराब वही है। शिक्षकों की मांगों को स्वीकृत करने के बारे में कोई प्रगति हुई हो, ऐसा कहीं नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर इसलिए है कि 31 अक्टूबर से पहले इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते और हालात बिगड़ने के पूर्व हम सब बैठकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते तो इसके दो बहुत ही गम्भीर काम्प्लीकेशन्स होने वाले हैं। एक और तो, अध्यक्ष महोदय, जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है उनका यह वर्ष यह मानकर चलिये कि इस सारे आपस के संघर्ष के अन्दर और अस्थिरता की स्थिति में राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का यह वर्ष विद्याध्ययन की दृष्टि से समाप्त हो जायगा, परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी और निश्चित रूप से आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के जरिये या तहसीलदार के जरिये या नायब तहसीलदार के जरिये जो आप व्यवस्था करने जा रहे हैं, वे प्राध्यापकों का काम नहीं कर सकते, वे पेपर सैट नहीं कर सकते और दूसरे काम भी जो प्राध्यापक कर सकते हैं, वे नहीं कर सकते हैं, लाखों विद्यार्थियों का साल खराब हो जायगा और दूसरी और कन्फन्टेशन होगा प्राध्यापकों और सरकार के बीच में और उसकी भूमिका आप बनाने जा रहे हैं। प्राध्यापकों के खिलाफ आप राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेज एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से प्राध्यापकों की मांगों पर धीमी प्रगति करके आन्दोलन को उकसाना चाहती है और उनके बीच में एक कन्फ्रंटेशन करने का तरीका अपना रही है। विधान सभा का सत्र समाप्त होने जा रहा है, शिक्षकों का आन्दोलन होगा, आप लाठी चार्ज करेंगे, अश्रु गैस छोड़ेंगे और हड़ताल पर प्रतिबन्ध करेंगे और भयंकर कन्फन्ट्रेशन शुरू हो जायगा। राजस्थान में एक तरह से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि सारी भूमिका बताई है, राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और यू. जी. सी. ने जो सिफारिश की है जहां तक हो सकेगा वह प्रयत्न करेंगे और कमेटी गठित करने के लिये कहा है और इस सारे सन्दर्भ में मुझे तो यह लगता है कि राजस्थान सरकार निश्चित रूप से यू. जी. सी. के नये वेतन मान नहीं देना चाहती है। यह निश्चित रूप से ऐसी दलील है, पोइजन है जो ऊपर से मीठा है परन्तु खाने के बाद पेट में जाकर जहर हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऊपर से भी कड़वी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मीठा जहर है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार के प्रति

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जन-आक्रोश किसी भी समस्या को लेकर होता है। उसके शोक आडम्बर के रूप में कई नियुक्तियां की जाती हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह मान्यता है कि जब 80 परसेन्ट केन्द्र सहायता दे रहा है और 1973 से लेकर 1979 तक आपको लगभग तीन करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो सहायता दे रही है उसका लाभ नहीं उठाया जाता है तो क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे, क्या काम्प्लीकेशन्स होंगे और तीन करोड़ की राशि राजस्थान की धरती पर मिल रही है इससे प्राध्यापकों को राहत मिलेगी, विद्यार्थियों का स्तर भी सुधरेगा, प्राध्यापकों का जीवनस्तर ऊंचा होगा, उनको सन्तोष होगा, यह तो एक बहती गंगा है, बहती गंगा में हाथ धोने से कल्याण हो सकता है राजस्थान की धरती पर फिर इसमें विचार करने की क्या बात है मेरी समझ में नहीं आता। 80 में क्या होगा और 85 में क्या होगा, जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। कितनी ही हरित क्रान्तियां होंगी, श्वेत क्रांतियां होंगी और भी कई साधन उपलब्ध हो सकेंगे, राकफास्पेट है उससे भी आमदनी होगी, पता नहीं क्या होगा अभी से आप क्यों मायूस हो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के लिये कोई शोभा की बात नहीं है, यह सदन तो जनता का सदन है, प्राध्यापकों के मन एक ही बात आयेगी, वह निराशा है और यह कि आपने उन मांगों को ठुकरा दिया। आपने कन्फन्ट्रेशन के लिए चुनौती दे दी प्राध्यापकों को कि आप तैयार होकर आ जाइये 31 तारीख के बाद हमारा नोटिफिकेशन तैयार है, जेलें तैयार हैं, हथकड़ियां तैयार हैं और अश्रु गैस तैयार है··

श्री भगराज चौधरी : माननीय सदस्य क्या आप उनको उकसा रहे हैं? आपको हमारे यहां की वित्तीय हालत पता है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। आपने वित्त मंत्री के भाषण को नहीं सुना है?

श्री भगराज चौधरी : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : उनको (श्री लोढ़ा) बोलने दीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वित्त मन्त्री जी ने कहा कि फाइनेन्शल क्राईसेस के ऊपर 'वी हैव ओवर कम देट, वी हैव टर्न्ड दी टेबल। हमारी फाइनेन्सेस बहुत साउण्ड है। अब वह गलत है या यह गलत है इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : साउण्ड फुटिंग पर है हमारा फाइनेन्स ऐसा कहा है हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह तो केवल सम्भावना ही व्यक्त की है और मैं समझता हूं कि लेजिस्लेचर के नाते हमारा कर्तव्य है यह बताना कि यह स्थिति बनने वाली है और यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से डील करना चाहते हैं। हमारा तो सहयोग है और आप चाहते हैं कि कमेटी बैठा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कर इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाये तो हम आपके साथ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (शादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। काफी इन्तजार किया मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य का और शुरू से आखिर तक चतुराईपूर्ण ढंग से जिस तरह से वक्तव्य दिया गया लेकिन उसमें से सिवाय निराशा के और कोई चीज नहीं निकली है। जहां तक प्राध्यापकों का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, उनके पेट का सवाल है वेतनमानों के अन्दर कुछ आगे बढ़ोतरी करने का, उसको उलझाया ही गया है सिर्फ इसलिए कि जिस प्रकार से अब तक यह परम्परा रही है कि 17 फरवरी से यह अधिवेशन शुरू हुआ और उसके बाद कोई भी मसला हो उसको भुलाया जाये। 31 तारीख को समाप्त हो रहा है और उसके भी आगे चले जायें ऐसा सोचते हैं। यह जो मनोभावना है यह इस मसले से विश्वस्त रूप से प्रकट होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सही ढंग से बता दिया है कि हम इस बात पर पहुंचे हैं कि राजस्थान की वित्तीय हालत खराब नहीं है तो किस प्रकार से इस प्रश्न को अधरझूल में झुलाया जा रहा है। इससे जो कुछ नतीजा होगा उसका विद्यार्थियों के ऊपर और प्राध्यापकों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। उनकी पढ़ाई का जहां तक प्रश्न है और इस तरह के प्राध्यापकों के स्तर का जहां तक सवाल है सब पर इस चीज का असर पड़ने वाला है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस चीज को मुख्य मंत्रीजी को क्योंकि दिल्ली जाना है इसलिए इसको यहीं पर स्टाप नहीं कर देना चाहिए और वहां से आने के बाद 29 तारीख को पुनः स्पष्ट रूप से सदन के अन्दर इसकी घोषणा होनी चाहिए कि उनके वेतनमानों के ऊपर हम किस प्रकार से फैसला कर रहे हैं। यह अहम सवाल है, मामूली सवाल नहीं है। इसका राजस्थान की शिक्षा नीतियों पर बहुत बड़ा असर होने जा रहा है इसलिए इस चीज को पुनः लिया जाये जिससे कि किसी प्रकार से 31 तारीख के बाद में कोई झंझट नहीं हो। अभी अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था उसी सन्दर्भ में प्रकट हो रहा है। किसानों और मजदूरों के ऊपर ही नहीं बल्कि अपनी जायज मांगों को रखने के लिए प्राध्यापकों को भी काफी संघर्षशील होना पड़ेगा तब कहीं जाकर इनकी मांगों की सुनाई होगी। इसलिए जिस चीज की आशंका प्रकट की गई है कि लाठीचार्ज और अश्रु गैस के लिए तैयार हैं इसमें दो राय नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सवाल को लाइट में न लें और इसको वजनदार लें और दिल्ली से आने के बाद दुबारा सदन में स्पष्ट रूप से वक्तव्य हो और प्राध्यापकों को और विद्यार्थियों को सब को राहत मिल सके। यह अहम प्रश्न है और इसको वजन के साथ महसूस किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, तीनों यूनिवर्सिटीज और एफीलिएटेड इन्स्टीट्यूशन्स में 3500 टीचर्स काम कर रहे हैं और हजारों और लाखों स्टूडेन्ट्स का इससे वास्ता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हम प्रयत्न करेंगे और एक सब-

(श्री केदारनाथ)

कमेटी नियुक्त कर देंगे। मान्यवर सब-कमेटी किस के ऊपर बैठायेंगे? यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन ने यह रिकमन्डेशन और पूरे कन्सन्ट्रेशन के बाद रिपोर्ट दी है और वह रिपोर्ट और रिकमन्डेशन एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में केन्द्र के पास जाती है वहां पर पेनल है एजुकेशनिस्ट्स का। अब आप उसके ऊपर सब-कमेटी बैठायेंगे। जिन रिकमन्डेशन को थ्रेश कर दिया और जिसको इतना एग्जामिन किया गया उसको आप एग्जामिन करने के लिए कमेटी बैठायेंगे। मेरा खयाल है यह चीज कभी भी कोई पढ़ा लिखा आदमी इस देश में इस फैसले से हमेशा अपनी नाराजगी प्रकट करेगा और कहेगा कि यह प्रयास स्टेट गवर्नमेन्ट का अच्छा प्रयास नहीं है। मान्यवर, केवल 80 लाख रुपया तो केन्द्र देगा और एक साल में आपको 10 लाख देना पड़ेगा। 4500 टीचर्स हैं। मान्यवर, श्रीमाली की रिकमन्डेशन्स आपके पास हैं। जितने प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं और बोर्ड हैं वह आपका स्वागत करेंगे और आप इसको रियेलिज्म के साथ जोड़ेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे। उसके बाद आपके पास केन्द्र का रिकमन्डेशन है उसके ऊपर नयी कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है। आप चेन्जेज लाइये एजुकेशन को बदलिये, हायर एजुकेशन में बेसिक चैन्ज लाइये–हम इस सबका स्वागत करेंगे। हम तो मान्यवर, केवल यह निवेदन करते हैं कि आप स्पष्ट घोषणा कीजिए कि सिद्धान्ततः जैसे 5–6 स्टेट्स ने मान लिया है और जैसे सिन्टर यूनिवर्सिटीज में लागू हो गया है और यू.पी. ने लागू कर दिया और बाकी स्टेट्स ने भी मान लिया तो मुख्य मंत्रीजी आप घोषणा कर दीजिए कि हम नये पे स्केल को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं इसको लागू करने के लिए। आप इसके लिए 3 महीने का वक्त ले लीजिए, 15 दिन का वक्त ले लीजिए या एक महीने का वक्त ले लीजिए और इसका इम्प्लामेन्टेशन कर देंगे।

आज असन्तोष है, आक्रोश है और पिछले तीन महीने से मान्यवर, स्कूल और कालेजेज मे कैम्पस में कोई पढ़ाई नहीं हुई। जो पढ़ाई का क्लाइमेट था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि एग्जामिनेशन्स का बाइकाट हो, कन्फन्ट्रेशन हो और स्टूडेण्ट्स उनके साथ जुड़ जायें। हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ा मूवमेन्ट हमारे समाने आये। कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता, इसकी कल्पना नहीं है किसी की और न विजुएलाइज करते हैं। आप सिद्धान्ततः इसको मानेंगे तभी हल निकलेगा। सिद्धान्ततः हम पे स्केल को लागू करने के लिए तैयार हैं और आपको यह स्वीकार है और बाद में इसको एक महीने के अन्दर केबिनेट की केमेटी बैठा कर व एजुकेशन डिपार्टमेन्ट की कमेटी बैठाकर कैसे इम्प्लीमेन्टेशन होगा यह एलान कर दें। तो मेरा खयाल है कि राजस्थान जो कि बहुत बड़े केआस की तरफ जा रहा है उसको आप स्टे आउट कर पायेंगे। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी जो फाइनेन्शल कन्डीशन्स हैं वह बहुत साउण्ड फुटिंग पर हैं और आइन्दा और भी ज्यादा साउण्ड होगी। दूसरी स्टेट्स ने एलान कर दिया तो आपके पास कोई क्लेम नहीं है, कोई आरग्यूमेन्ट नहीं है कि हम इन बातों को नहीं मानते। इसलिए सारे देश के हालात को देखते हुए जिन्होंने आपको सब-

(श्री केदारनाथ)

कमेटी का सुझाव दिया है मैं समझता हूं कि वह न तो टीचर्स के हितैषी हैं और न राजस्थान के बेटरमेन्ट के हितैषी हैं। जिन लोगों ने सलाह दी है गलत दी है। इसलिए मेरा कहना है कि इस सब-कमेटी की बात को आप रूल आउट कर दीजिए और नये पे स्केल को स्वीकार करने की बात को आप हमारे सामने घोषणा करके रखें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों को मैं अपनी बात ठीक ढंग से नहीं समझा सका हूं। मैंने वहां बात कही है जो यू. जी. सी. ने कही है। इसके सिवाय मैंने कोई बात नहीं कही। यू.जी.सी. ने अपने 2 नवम्बर, 73 के पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि "राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित नये वेतनमान से भिन्न वेतनमान 1 जनवरी, 73 या उसके बाद किसी भी तिथि से लागू कर सकते हैं।" अध्यक्ष महोदय, इस देश की दो सरकारों ने इस में शुरूआत की है। एक तो यू. पी. की गवर्नमेंट ने उसको मान करके गवर्नमेंट कालेज के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर लागू नहीं किया है। दूसरी एक गवर्नमेंट है केरला की जिसने यू. जी. सी. के 2 नवम्बर, 74 के पत्र के अनुसार बिलकुल टोटली नये वेतनमान अपनी ओर से सजेस्ट किये हैं। इसके सिवाय हिन्दुस्तान की सारी सरकारों में से किसी ने भी कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही है। आज हमारे सामने एनोमोलिज क्या हैं? एनोमोलिज यह हैं कि हमारे यहां यूनिवर्सिटिज हैं जिनको हम ग्रान्ट देते हैं। गवर्नमेंट कालेज हैं, जिनमें राजस्थान एजूकेशन सर्विस काम करती है जिसके अपने आलटूगेदर डिफरेन्ट वेतनमान हैं और तीसरे प्राईवेट कालेज हैं जिनको कि गवर्नमेंट ग्रान्ट इन एड देती है। ग्रान्ट इन एड जिन संस्थाओं को गवर्नमेंट देती है, यह अपेक्षा करके चलते हैं कि अगर वेतनमान यू. जी. सी. के अनुसार परिवर्तित करती है तो राज्य सरकार किस हद तक अपनी ओर से सहायता देगी। आज उनकी भर्ती के, डिसीप्लन के, सर्विसेज के, कन्डीशन के ये आल टूगेदर डिफरेन्ट चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट कालेज के अन्दर एक लेक्चरार भर्ती होता है, उसे हर स्टेज पर प्रमोशन के चान्सेज हैं और 55 साल में वह रिटायर हो जाता है। उसको पेन्शन मिलती है। उसके बाद में जो भी आदमी आज लेक्चरार के रूप में भर्ती होता है, उसका हैड आफ दी डिपार्टमेंट भी बनने का अधिकार है, वह प्रिन्सीपल भी बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त तीन यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अन्दर उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटीज के अन्दर रिटायरमेंट की ऐज 60 है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 62 की हैं। उनके वेतनमान भिन्न हैं। वहां पर पेन्शन नहीं है। वहां पर प्रोविडेन्ट फण्ड की स्कीम है। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम एकदम आफ हैड हां या ना नहीं कह सकते हैं। माननीय सदस्य जो गंगानगर से आते हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूं परन्तु जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोतल और शराब की बात यहां पर कही है। आज बोतल और शराब का प्रश्न यहां पर कहां से आ गया? यह सवाल यहां पर

(श्री हरिदेव जोशी)

कैसे उठाया ? मैंने पिछली बार यह कहा था कि रूटा के लोग मुझ से मिले थे और सदन में भी यहां पर स्टेटमेंट दिया था तो यह कहा था कि हमने उनकी बात को रिजेक्ट नहीं किया है तो स्वीकार भी नहीं किया है। किन्तु आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हम यू.जी सी. ने जो रिकमन्डेशन दी है, उनको आज की स्थानीय कन्डीशन के अनुसार उनको हम इम्पलीमेन्ट करना चाहते हैं इज इट नाट ए प्रोग्रेस ? अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन यह कहा था यू.जी.सी. ने जो रिकमन्डेशन की है राज्य सरकार उसके ऊपर अपना माइन्ड एप्लाय कर रही है और कोई फैसला नहीं किया है। आज भी मैं यह कह रहा हूँ, आज सरकार यह कह रही है कि हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं नम्बर वन, दूसरे, राज्य सरकार ने जो सिफारिश की है माननीय रामानन्द जी ने जैसा कहा है, केरला की गवर्नमेन्ट ने तो अपनी स्थितियों को ध्यान में रखकर अपने आप एक नया वेतनमान दिया है। हिन्दुस्तान की यह एकमात्र सरकार है और दूसरों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने जब यह कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, यह हमारा सरप्लस होगा, आपने जो बजट पेश किया है, उसके अनुसार ठीक ढंग से चल रहे हैं तो 12 लाख का बजट में सरप्लस होगा, बचत होगी। यही तो है न अगर सब कुछ ठीक है तो। तो इसके मायने हैं कि 12 लाख बचे रहेंगे। कहीं पर ज्यादा खर्च कर दिया तो बजट डेफिसिट हो जायेगा। इसके लिए अगर हम प्रान्त में वातावरण पैदा नहीं करते हैं कन्डीशन को स्टेबिलाइज करने के लिए और उसको ट्विस्ट कर के दूसरी प्रकार की बात करते हैं तो स्थिति दूसरी होगी। इसलिए हमको व्यर्थ की भावुकता में न आकर के ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे गलत वातावरण पैदा हो। आपने कहा पता नहीं कौन वित्त मंत्री हो, कौन मुख्य मंत्री हो। मैं इस रूप में चीज को नहीं देखता हूं। आज तो इस रूप में देखता हूं कि ये वित्त मंत्री हैं और मैं मुख्य मंत्री हूं। मैं चीज को इस रूप में देखता हूं। मैं चाहे मुख्य मंत्री न होऊं। मैं राजस्थान के अन्दर ऐसे फैसले न करूं जो इसकी वित्तीय स्थिति में बाधा डाले और मैं गलत स्थिति में गलत फैसले करने वाला अपने आपको सिद्ध नहीं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से मेरी स्पष्ट प्रार्थना है कि हम कन्फन्ट्रेशन नहीं चाहते हैं। हम बुद्धिपूर्वक चलना चाहते हैं। इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा। मैं आपका उपयोग करूंगा। परन्तु मेहरबानी कर के एक बात साफ समझ लीजिये कि एक अव्यवहारिक फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति पर चोट करेगा और अव्यवहारिक फैसला नये टैक्सेशन को लाने के लिए मजबूर करेगा। अव्यवहारिक फैसला किन्हीं भी स्थितियों के अन्दर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। संगठित तबका ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण नहीं हुआ करता है। संगठित तबका ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसमें आपको विवेकपूर्वक दूसरे राज्यों को भी देखना है। आज हिन्दुस्तान के वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र इन्होंने कहा है हम सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार करते हैं। आज तामिलनाडू, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, आसाम ये

(श्री हरिदेव जोशी)

राज्य आज भी मौन है इसके ऊपर बावजूद इसके जैसा आप कहते हैं भारत सरकार 80 परसेन्ट देगी तब भी। माननीय सदस्यों से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उस दिन यह कहा था कि राज्य सरकार का कोई फैसला नहीं है। आज राज्य सरकार का फैसला यह है कि राज्य सरकार नये वेतनमान को सावधानी के साथ इम्प्लीमेन्ट करना चाहती है। इसके सिवाय आप और क्या चाहते हैं? क्या सावधानी नहीं बरतने देना चाहते हैं? दूसरे राज्य जो सावधानी बरतना चाहते हैं वह अवसर भी आप हम को नहीं देना चाहते हैं?

उत्तर प्रदेश ने किया था तो गवर्नमेंट कालेज में इसको लागू नहीं किया है। वाराणसी संस्कृत युनिवर्सिटी में इसको लागू नहीं किया है। हमको इस पर अपनी राय बनाने देना नहीं चाहते? केरल में स्पष्ट रूप से अपने नये वेतनमान निर्धारित किये हैं। इसको हमें एक्जामिन भी नहीं करने देना चाहते? मैं कहना चाहता हूं कि प्राब्लम इतनी कोम्पलेक्स है, इतनी मिली-जुली है कि मेहरबानी करके आप इसको पोलिटिकल इश्यू न बनायें। मैं अध्यापकों से कन्फन्टेशन के अन्दर नहीं आना चाहता। मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि रूटा के प्रतिनिधियों के साथ हम बैठेंगे, जोधपुर युनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ में बैठेंगे सब के साथ में बैठेंगे, और बैठकर के बात करेंगे, मगर मेहरबानी करके बात करने का वातावरण बनाइये, कन्फन्टेशन का वातावरण मत बनाइये। हमको बल दीजिये इस बात के लिए कि हम उनके साथ में ढंग से शान्तिपूर्ण वातावरण के अन्दर बात करेंगे। अगर आप बल देंगे तो राज्य सरकार उचित वातावरण में बात कर सकेगी। अगर आप बल नहीं देंगे, तनाव में बात करेंगे, और अगर तनाव के वातावरण में बातचीत होगी तो किसी के लिए उपयोगी नहीं होगा। मैंने बहुत साफ कहा है और इससे स्पष्ट क्या चाहते हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : कमेटी का समय और पर्सोनल बता दें।

श्री केदारनाथ : पहले से काफी अच्छा स्टेण्ड लिया है। उनसे बातचीत करें जैसा कि आप कह रहे हैं और तब तक स्टेटमेंट को फाइनल मानकर न चलें।

श्री हरिदेव जोशी : आपस की बात मैं कहना चाहता हूं। ऐसा है देखिये कि केबिनेट तो एक्जामिन नहीं कर सकती सारी चीजें। उसके लिए नामुमकिन बात है। अभी भी जो कुछ भी एक्जामिन किया है तो एज्यूकेशन कमिश्नर ने किया है, फाइनेन्स कमिश्नर ने किया है, चीफ सेक्रेटरी ने किया है, तीनों वायस चान्सलरों को बुलाया, रूटा और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया। उनकी तरफ से बातचीत हुई तब जाकर एक नतीजे पर आये हैं। इसके अन्दर इसलिए कमेटी चाहिए और इसलिए मैंने आपसे कमेटी का कहा है। अगर आप कहते हैं कि कमेटी की जरूरत नहीं है तो गवर्नमेंट फैसला देगी। (श्री केदारनाथ के खड़े होने पर) मेरी बात सुन लें। अगर आपको इस बात से सन्तोष हो तो गवर्नमेंट कमेटी कायम करेगी। अगर नहीं, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं, गवर्नमेंट फैसला करेगी। मैं उसको

(श्री हरिदेव जोशी)

टालना नहीं चाहता, न यह चाहता हूँ कि तीन साल तक वह करूं। कतई मेरे मन में यह नहीं है। मैं एक चीज निश्चित रूप से चाहता हूं और वह यह है कि गवर्नमेंट पाइंट आफ व्यू को किसी के सामने रखने का मौका आये। गवर्नमेंट का पाइन्ट आफ व्यू किसी के सामने रखने का मौका आये, प्राइवेट संस्थाओं को अपना पाइंट आफ व्यू को सामने रखने का मौका आये, रूटा के प्रतिनिधियों को पाइंट आफ व्यू रखने का मौका आये, युनिवर्सिटीज के वाइस चान्सलर के पाइंट आफ व्यू रखने का मौका आये। अगर यह मौका नहीं मिले तो तनाव के अन्दर किसी प्रकार का फैसला होता है, चाहे वह कमेटी फैसला करे, चाहे वह गवर्नमेंट फैसला करे। मैं ऐसा समझता हूं कि कमेटी फैसला करती है तो वह ठीक रहता है। इसलिए आपसे कमेटी की बात कहना चाहता हूं। अगर माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि कमेटी का एपाइंटमेंट ठीक नहीं है तो मैं गवर्नमेंट कह सकता हूं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी फैसला करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं · ·

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़ा होने पर) एक बोल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं तो स्पष्टतया चाहता हूं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरी केटेगरी की स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रिन्सीपली इस बात को माना है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आपने भी यह इच्छा जाहिर की है कि आप करना चाहते हैं उस स्टेण्ड के अन्दर। हम यह समझें क्या कि उनका जो स्टेण्ड है वही आपका स्टेण्ड है? आप प्रिन्सीपली मानते हैं और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ में उसको वर्क आउट करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो मेरा आपको यह सजेशन है कि आप जैसे सैकण्ड कैटेगरी की स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रिन्सीपली माना है, प्रिन्सीपली मानकर आप इन आर्गेनाइजेशन्स को बुला लें और उनसे बातचीत कर लें और उनको वर्क आउट करने में किसी भी नतीजे पर पहुंचे और सहमत हो जायं तो वर्क आउट करके निकाल लें तो हल मैं समझता हूं निकल जाना चाहिए। और हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि कोई कन्फन्टेशन न हो ताकि स्टूडेन्ट्स का, हमारे बच्चों की डिग्री का सवाल है, उनको एक्जाम देना है। आप इसमें रिजिड न हों। जो भी हो दो, तीन, चार दिन आपको मिलते हैं इस बीच में आप उनको इस हाउस में कह कर उनको इन्वाइट कर लें और इससे पहले कि आप फाइनली कोई बात एनाउन्स करें आप उनसे बातचीत करके फिर एनाउन्स करें तो मेरे खयाल से बेटर एटमास्फियर क्रियेट होगा और कुछ हल भी उसके अन्दर निकल सकेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात सुनी। मैं भी यह अनुभव करता हूं कि अभी सरकार का नीति निर्धारण करना प्रिमेच्योर होगा। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिकमन्डेशन्स का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान सरकार के डिस्क्रीशन पर छोड़ा गया है। दूसरे राज्य क्या करते हैं उससे भी इस राज्य को प्रेरणा अवश्य

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मिलेगी। और अगर मैं भी आपकी जगह होता तो जल्दबाजी में विश्वास नहीं करके थोड़ी सी देर ठहरता। केरल का भी उदाहरण मौजूद है, और यह तो स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय, कि आज के जमाने में यह सरकार तो क्या लेकिन कोई भी सरकार इन्टेलिजेन्शिया के साथ कन्फ्रन्टेशन करना एफोर्ड ही नहीं कर सकती, और मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात पर स्पष्टतया प्रकाश डाला है। कमेटी कायम करें, कमेटी कायम न करें यह तो आपके डिस्क्रीशन का सवाल है। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कमेटी कायम करना एडवान्टेजियस है। आपके और जनता के बीच में अगर कमेटी बफर के रूप में काम करती है तो एपीजमेंट का भी आपके लिए एक मौका मिलेगा, और अगर कमेटी कुछ गड़बड़ करती है तो उसमें सुधार लाने के लिए आपको डिस्क्रीशन का राइट है, वह आप रिजर्व रखेंगे।

आज के सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर स्टेटमेंट देने की आवश्यकता भी नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से मैं आपके स्टेटमेंट से डिस्सेटिस्फाइड हूं ऐसा मैं नहीं कह सकता।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार सिन्सियरली यह चाहती है कि राजस्थान में किसी से कन्फ्रन्टेशन न हो। मुख्य मुद्दा तो यह है कि इसका समाधान ढूंढना चाहता हूं किन्तु शान्तिपूर्ण वातावरण हो। हल निकालना चाहता हूं किन्तु सब से बात करके। यू.जी. सी. ने जो डिस्क्रीशन हमको दिया है उस डिस्क्रीशन का उपयोग करना चाहते हैं इन दी वेस्ट इन्ट्रेस्ट आफ दी स्टेट। हम कॉशस हैं इस बात के ऊपर कि हमारी कोई भी गलती तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए हम तनाव नहीं चाहते। हमारा कदम आगे बढ़ा हुआ कदम है, बल्कि कई अंशों में दूसरी स्टेट ने कुछ टेल आउट नहीं किया है। हमने टेल आउट किया है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि पाजिटिव रूप में हमको सोचना चाहिये, और यह प्रयत्न करना चाहिए, कि राजस्थान के अन्दर इस समस्या का सब लोग मिलकर हम समाधान निकालेंगे।

श्री केदारनाथ : जो कमेटी बनाना चाहते हैं उसमें फैकल्टी के नुमायन्दों को ले लें और आपके डिपार्टमेंट के दो तीन आदमियों को ले लें और उसको वर्क आउट कर लें कि किन किन फेजेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाय। सिद्धान्ततः रिकमण्डेशन मान लें और वर्क आउट कर लें कि किन किन फेजेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें फैकल्टी के नुमायन्दे दो और आपके आदमी हों और वह महीना 20 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि सारे एलाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट फुल्ली कोशिश करेगी और गवर्नमेंट अपना फैसला देगी, चाहे वह कमेटी हो चाहे कोई भी हो। हम कन्सल्ट करेंगे सब लोगों को जो इससे सम्बन्धित हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन समय निर्धारित हो जाय।

श्री हरिदेव जोशी : जल्दी से जल्दी।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील सराड़ा जिला उदयपुर में कतिपय राजनैतिक पार्टियों द्वारा साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के विषय में। इस पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) सर्वश्री मोहम्मद गफ्फार अली, केदारनाथ, मोहर्रसिंह (सादुलपुर) व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में किरायेदार कानून में संशोधन करने के लिये गठित समिति की रिपोर्ट को लागू न करने के विषय में। यह एक प्रश्न का विषय है।

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से किरायेदार की मृत्यु पर उसके वारिश उत्तराधिकारी न मानने के विषय में। यह कानून से सम्बन्धित नीति का प्रश्न है।

(4) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर में गत 21 व 22 मार्च को वर्षा और आंधी से सरसों, गेहूं व चने की फसल को हानि के विषय में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(5) श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर से लौट रहे कम्युनिस्ट प्रदर्शनकारियों द्वारा चौमू व सामोद, रेल्वे स्टेशनों पर लूट खसोट किये जाने के विषय में,

(6) श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से ब्यावर में विद्युत मण्डल द्वारा श्रमिकों की छटनी किये जाने के विषय में,

(7) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला कृषि अधिकारी, जयपुर (पूर्व) का कार्यालय दौसा में रखने के विषय में,

ये सब स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस विषय में था...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : गिरधारीलाल जी आप बैठिये। मेरा नाम है पहले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा भी नाम है, मेरा निवेदन करना यह है...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : उनका अधिक आग्रह है तो उनको बोल लेने दीजिये पहले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान में किरायेदार कानून है। अगर किसी किरायेदार की मृत्यु हो जाये तो उसका जो वारिस

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
है, उसका जो लड़का या लड़की है। या उसकी पत्नी है तो उसको कानून के अनुसार उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जायेगा। उसके अनुसार उनको मकान खाली करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उसका पति मर जाये और उसको मकान खाली करना पड़ेगा तो ऐसा निकम्मा कानून भारत के किसी भी प्रान्त में नहीं है। जैसा कि यह काला कानून राजस्थान का है। राजस्थान किरायादार कानून में संशोधन लाया जाये। दूसरा मेरा निवेदन है कि मकान मालिक किरायेदारों के परेशान करते हैं। उनके नल और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है शौचालय पुराना है। उसमें भाटे भर दिये जायेंगे। इसके अलावा जो किरायेदार रहते हैं, उनको डिफाल्ट के आधार पर खाली कराया जाता है। मैं निवेदन करता हूं कि एक बार भी किराया जमा करदें तो अपनी आवश्यकता को बताकर खाली कराया जाता है। आवश्यकता नहीं है तो भी नेसेसिटी बताकर मकान मालिक परेशान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कच्ची बस्तियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है।

श्री अध्यक्ष : कच्ची बस्तियों का किरायेदारों से क्या सम्बन्ध है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कल कच्ची बस्तियों पर ये बोले नहीं थे। आज यह अपना एरियर पूरा कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यू. आई. टी. ने विभिन्न क्षेत्रों में जमीन किराये पर दे रखी है। उनके मकान योजना के अनुसार बने हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल तक तो हड़ताल पर बैठे हुये थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा कि यह अलग से विषय नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनका तीन दिन का एरियर है। इसके लिए एक कमेटी बना दी जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यू. आई. टी. ने अनुमति दी है। उनके मकान अब यू. आई. टी. तोड़ देगी। इस प्रकार की धांधली मचा रखी है। आपने मकान बनाने की अनुमति दी है। इस प्रकार से मकान मालिक जो तंग करते हैं, उनके बारे में किरायेदारों के उत्तराधिकारियों के बारे में, डिफाल्ट के बारे में, नल बिजली के बारे में, किरायेदारों को सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए किरायेदारों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से बारबार मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अभी दो दिन तक सदन और चलेगा। किरायेदारों को संरक्षण देने के लिए बिल लाया जाना चाहिए। राजस्थान विधान सभा के सामने किरायेदारों का प्रदर्शन हो रहा है। काली पट्टी बांधकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सदन में उनको सुविधा देने के लिए बिल लाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा

(श्री गफ्फार अली)

यहां पर सबसे पहले मैंने बिल रखा है। जो प्रथम स्टेज पर रिजेक्ट कर दिया गया था। मगर राज्य सरकार ने महसूस करते हुए एक कमेटी का निर्माण किया, एक मकान मालिकों का प्रतिनिधि, एक किरायेदारों का प्रतिनिधि और एक मैं, विधायक की हैसियत से या किसी भी हैसियत से शामिल था। श्री गुलाबसिंह शक्तावत की चेयरमैनशिप में वह कमेटी बनी थी। कुछ प्राविजन थे, जिनका अध्ययन किया गया। यूनेनीमस एक रिपोर्ट तैयार की गई। उसके आधार पर बिल बनाया गया है। उस बिल को बनाकर भेज दिया गया है। उसमें सभी की यूनेनिमिटी थी। तो उसको यहां लाया जाना चाहिये। क्यों संकट पैदा हो रहा है समझ में नहीं आता है। लोग उम्मीद करते हैं कि बिल लागू होगा। उधर जो लैण्डलार्ड हैं, वह अनफेयर मीन्स अडाप्ट कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि अगर कोई चीज नहीं होती है तो वह चलती रहे। लेकिन अब यह बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि वह अनफेयर मीन्स अडाप्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो किरायेदार वर्षों से चले आ रहे (10.08 म. प) (श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

हैं। वह वर्षों से वहां रह रहे हैं। उनको रिलीफ दिया जाना चाहिये था। वह सभी सेक्शन 19 के प्राविजन को रिलेक्स करना चाहिये था। आप आर्डिनेन्स के जरिये से छोटी मोटी चीजें ले आते हैं। जो जनता के हित में हैं, वह क्यों नही लाना चाहते हैं। मैंने कई बार कहा है। चूंकि मैं कमेटी का मेम्बर था इसलिए लोग मुझे परेशान करते हैं। इसमें मैंने कहीं भी अपना अलग दृष्टिकोण नहीं दिया है। होम कमिश्नर और ला सेक्रेटरी का भी वही रुख रहा है। वह लाने की शकल में लायें। इसके बारे में तय कर दें या आर्डिनेन्स की शकल में भले ही बाद में लायें। सैकड़ों आदमियों को इससे नुकसान हो रहा है और बहुत से लोग बेदखल हो रहे हैं, और बिला वजह लोग बेदखल हो रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा, राज्य सरकार इस इश्यू पर गम्भीरतापूर्वक सोच कर जल्दी से जल्दी बयान दे और यह विश्वास दिलाये कि कब तक इसको आर्डिनेन्स की शक्ल में ले आयेगी।

श्री भानकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मूलचन्द सामरिया के खड़े होने पर) You have not given any adjournment motion. There is no adjournment motion on your behalf.

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : Not on this Point.

श्री भानकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने किरायेदारों के सम्बन्ध में रखा है। जो आज ज्वलन्त समस्या है, आज के लैंडलार्ड, मकान मालिक किस ढंग से किरायेदारों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी परेशानी के कारण, आज जयपुर में रहने वाले किरायेदार हैं, वह उन परेशानियों को अभिव्यक्त करने के लिए विधान सभा के बाहर आ रहे हैं। राज्य सरकार को इसका निदान ढूंढना चाहिये। सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि मकान मालिक किसी को किराये पर मकान

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

दे दे और मौका जब आजाय, जब देखे कि इसका पांच रुपये ज्यादा किराया मिल रहा है तो पांच रुपये ज्यादा मिलने के कारण वह किरायेदार को हटाने के लिये शोचालय को बन्द कर दे, पानी बन्द कर दे, बिजली का कनेक्शन हटा दे और अनेक प्रकार के झगड़े उसके साथ करवा दे, और किरायेदार चुप चाप इन बातों को सहन करता रहे। आज के इस प्रकार के जनतंत्र के युग में जो किरायेदारों को किराया देने पर भी परेशानी होती है – यह बड़े आश्चर्य की बात है। होना तो यह चाहिए था, हम सबके लिए आवास की व्यवस्था कर देते। लेकिन हम सबके लिये आवास की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं, तो कम से कम किरायेदारों के सामने अव्यवस्थायें हैं, समस्यायें हैं, उनके बारे में राज्य सरकार कुछ तो निर्णय ले और इस प्रकार के नियम बनाये, जो अन्य राज्यों में बनाये गये हैं, किरायेदारों को मकान मालिक परेशान नहीं कर सकें और मकान मालिक किसी समय पानी बन्द कर दें या अव्यवस्था कर दें तो नियमों के अनुसार उसको सुरक्षा मिल सके। राज्य सरकार इस प्रकार के नियम बनाये ताकि किरायेदारों को सुविधा मिल सके। और आज किरायेदार मकान मालिक के चंगुल के कारण परेशानी में जीवन बिता रहे हैं, उससे मुक्ति मिल सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार इस प्रकार का एक्ट बनाये जिसके माध्यम से किरायेदारों की दुविधा और दुःख-दर्द दूर हो।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, रेंट कंट्रोल एण्ड प्रिमिसेज इविक्शन एक्ट में संशोधन हो इसकी कमेटी की रिपोर्ट केबिनेट के सामने पेंडिंग है। अगर राज्य सरकार इस बात के लिए आर्डिनेन्स लाती तो हम स्वागत करते। अभी 29–30 दो दिन और पड़े हैं, और हमारे रूल्स आफ प्रासिजर में बिल को इन्ट्रोड्यूज करने, बिल को सरक्यूलेट करने, विचार करने और पारित करने के रूल्स हैं, उन रूल्स को, अध्यक्ष महोदय को या आपसे मान्यवर निवेदन कर सकते हैं, इस काम के लिए सस्पेंड कर दें ताकि ऐसा बिल लायें जिससे आप इविक्शन को रोक सकें। आज मास स्केल पर बेदखली होती है, पुलिस प्रापर्टी होल्डर की मदद करती है, पुलिस की मदद से मकान मालिक किरायेदार को बेदखल करते हैं, छत को डेस्ट्राय कर देते हैं, पानी बन्द कर देते हैं, बिजली बन्द कर देते हैं, गन्दी चीज पटक देते हैं–मौजूदा एक्ट में इस रोकने की व्यवस्था नहीं होने के कारण अदालत से किरायेदार को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। इस कारण सारे राजस्थान में बेचेनी हैं। अभी दो दिन हैं, उसके अलावा एक दिन और बैठ कर, एक दिन सेशन को लम्बा करके, सारे रूल्स को सस्पेन्ड करके राज्य सरकार की मन्शा है इस बिल को इस सैशन में लाने की, तो हम निवेदन करते हैं कि आप लायें, हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में किरायेदार के पास पैसा नहीं होने के कारण, सम्पत्ति नहीं होने के कारण, मकान न बनाने के कारण, किराये पर रहते हैं दूसरे के मकानों में। उन लोगों के साथ इस प्रकार ज्यादती किराया देते हुए करने, पुलिस की मदद लेकर उन लोगों को बेदखल करने, साथ ही मुखिया या पति के मर जाने के बाद वारिसान को वहां नहीं रहने देने के लिए

(श्री मोहर सिंह)

वेदखल करने की कोशिश करने की इस प्रकार की घटनायें हैं--यह रात दिन हो रही हैं। इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बैठाई गई थी, उसके जो निर्णय हैं उनको अहमियत देकर, आज इस सदन में बिल लाकर, किरायेदारों को राहत देने के लिए उसे कानून की शक्ल अख्तियार करवाना चाहते हैं इसमें नाहक विलम्ब किया जाना किरायेदारों के साथ अन्याय है। मैं समझता हूं, इसके अन्दर अब तक जितनी देरी की गई हैं, उतनी जल्दी से जल्दी अब दो तीन दिन के बाद जब सदन दुबारा मिले तो इस प्रकार की घोषणा होनी चाहिए ताकि किरायेदारों को राहत मिल सके। यह निहायत आवश्यक प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको दरगुजर नहीं करना चाहिए।

श्री मूलचन्द सागरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल तो मैं यह निवेदन करूं जयपुर जिला यह राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा जिला है। इसमें सत्रह तहसीलें हैं और उसके अलावा इसकी जो आय है वह काफी है। उसके बावजूद राज्य सरकार किन्हीं कारणों की वजह से दौसा सब डिवीजन की अवहेलना करे और इसकी जरूरत महसूस न करे कि वायबल और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा निवेदन है कि दौसा में मुख्यालय स्थापित किया जाय। मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निर्णय करने में राज्य सरकार को कुछ समय लगेगा। मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, हर मामले में जयपुर में दो-दो आफिस हैं। यही हालत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिस की है। जयपुर में जिला कृषि अधिकारी पूर्व क्षेत्र का है और एक जिला कृषि अधिकारी पश्चिमी क्षेत्र के लिए अलग है। आज जो पूर्वी जयपुर जिले के लिए कृषि अधिकारी है, उनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः मूलतः दौसा सब डिवीजन के अन्दर और आस-पास की तहसील में हैं, लेकिन आज किसानों के लिए, अगर सरकार मानती है, जिला कृषि अधिकारी की आवश्यकता है, उनकी खेती की देख-रेख में मदद करने के लिए, आकस्मिक तरीके से किसी भी तरीके से जो खेती में रोग और कीट वगैरह लगने से नुकसान होने की सम्भावना हो तो वह देख कर कोई दवाई बता सकता है। उनको समझाने के लिए, उनको निदेश देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जब आवश्यकता है, तो मैं यह नहीं समझ सका, उपाध्यक्ष महोदय, कि फिर क्या कारण है कि जब जिला कृषि अधिकारी का कार्य क्षेत्र है दौसा सब डिवीजन और उसके आस-पास की तहसीलें तो मुख्यालय कृषि अधिकारी का, जिला कृषि अधिकारी का जयपुर में रखा जाय। मैं समझता हूं एक तरह से सरकार ने चला कर किसानों से सम्बन्धित आफिस को उनसे दूर रख रखा है। मैं समझता हूं कि दौसा सब डिवीजन अपने आप में बहुत विस्तृत है, एक तरफ दौसा सब डिवीजन अलवर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है दूसरी तरफ सवाई माधोपुर से मिला हुआ है। वह इतनी दूर तक फैला हुआ है। सब डिवीजन के लोग तहसील के लोग जयपुर आते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और वह किसान, जो सर्दी, गर्मी, बरसात में, दिन-रात बूढ़े, जवान अपने खेतों में काम करते हैं, हर परिस्थितियों में, वह इतने बिजी लोग हैं, उनका एक मिनिट

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मूलचंद सामरिया)

का काम होता है, वह काम के बिना जिन्दा भी नहीं रह सकते हैं, और जो मार्जिनल काश्तकार हैं, उनकी खेती में मदद करने के लिए कृषि अधिकारी की जरूरत है तो जिला कृषि अधिकारी के पास जयपुर में आने के लिए एक समय में बीस-पच्चीस रुपये उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। उसके बावजूद अगर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर यहां नहीं मिले तो उनको वापिस जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि गम्भीरता से इस पर विचार करें। जो मरीज हैं, एक जगह पर, उससे दूर डाक्टर को ले जाकर रखने से क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसका इफेक्टिव इलाज होगा? इसी तरह किसानों से दूर जिला कृषि अधिकारी को रखा जाय तो क्या इफेक्टिव तरीके से कृषि के मामले में वह मदद कर सकता है? आज जन संख्या, कृषकों की संख्या, खेती की भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो पशुधन है, जो खाद और बीज की आवश्यकता होती है, कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है, भूमि संरक्षण आदि के मामले हैं – इनको देखते हुए मैं समझता हूं कि सरकार को अतिशीघ्र और बिना किसी भेद-भाव के, बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के विचार करके जो औचित्यपूर्ण मांग है, वाजिब मांग है – इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं समझता हूं, फर्स्ट अप्रेल से नया सेशन शुरू हो रहा है, उसमें जिला कृषि अधिकारी पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय दौसा सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर रखा जाय, जिससे सही मायने में उस कार्यालय की उपयोगिता है, उसका लाभ किसान ले सकें अन्यथा ऐसा होता है कि जब वाजिब मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है तभी जनता आन्दोलन करती है। जिस क्षेत्र का मैं निवेदन कर रहा हूं, उसमें 85 प्रतिशत जनता किसान है, इसलिए किसानों से सम्बन्धित दफ्तरों को दूर रखा जाय तो निश्चित रूप से वह किसान आन्दोलित होंगे और उसके बाद सरकार मानेगी तो मैं समझता हूं कि वह अदूरदर्शितापूर्ण कदम होगा। इसलिए शीघ्र इस मांग को मानें और दौसा सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर जिला कृषि अधिकारी पूर्वी क्षेत्र का जो कार्यालय है वह स्थापित किया जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य श्री मूलचन्द सामरिया ने जो मुद्दा उठाया है, उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरी नहीं?

श्री लक्ष्मणसिंह : Where there is a will, there is a way. अगर विल ही नहीं है तो वे कहां से हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राध्यापकों की तरह मत कह देना।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समर्थन कर रहा हूं। यह कोई दल विशेष की समस्या नहीं है, यह जनता की समस्या है, जनता को राहत मिलेगी। मैं इसको नान कान्ट्रोवर्सल इश्यू समझता हूं। जयपुर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, एडमिनिस्ट्रेटिवली यह बहुत ही अनवील्डी जिला है। माननीय सदस्य ने इस जिले को दो जिलों में विभाजन करने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। सरकार से इस संबंध

Page No 70

(70)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

में एक बार से अधिक ध्यान आकर्षित किया गया है। अब तक विरोधी पक्ष के लोग इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं तो यह सर्वथा उचित है। Where there is a will, there is a way. इन जिलों की साइज और जन संख्या को राशनलाइज करना, सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है। अगर इफीशयंट एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक लोग आफ केसेज कम हों और जनता, व्यापारी और किसान को राहत मिले, इससे बढ़कर अच्छी चीज क्या हो सकती है? मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मूलचन्द सामरिया का जो प्रस्ताव है, उस पर सरकार सहानुभूति से विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उसको सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा गया गया है लेकिन इसमें जो तथ्य हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि सरकार को फौरन कदम उठाने चाहिए। उदयपुर जिले में सराड़ा तहसील में एक बहुत निन्दनीय घटना 30–2–75 को हुई जिसमें एक आदिवासी महिला के साथ दो अल्प संख्यक जाति के लड़कों ने बलात्कार किया जिसकी तमाम अल्पसंख्यकों ने भर्तसना की, उन लड़कों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया, वे गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। उन्होंने यह भी तय किया है कि इन आदमियों की कोई अदालत में पैरवी नहीं करे और उन्होंने जो कुकृत्य किया है, इससे सबकी बदनामी हुई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ साम्प्रदायिक लोगों ने वहां पर इस प्रश्न को तमाम माइनोरिटी कम्यूनिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, एक जिहाद के रूप में, इस प्रश्न को शक्ल देने की कोशिश की और 7 दिन के बाद जब वह गिरफ्तार हो चुके थे, जेल जा चुके थे, मुस्लिम कम्यूनिटी की तरफ से प्रस्ताव पास हो चुका था, 28 तारीख को मीटिंग बुलाई गई आदिवासियों की। 5–7 हजार लोग उसमें इकट्ठे किए गए और उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया। (1) मुसलमानों को गांवों से बाहर निकालकर अलग बस्ती में बसाया जाए, (2) मुसलमानों को गांवों में चलने फिरने नहीं दिया जाए, (3) मुसलमानों से दुकान व दीगर व्यवसाय छीना जाए, (4) फेमिन में मुसलमानों को काम पर न लगाया जाए।

इस तरीके से 4 मांगों को प्रस्ताव में रखा और 5–7 हजार की भीड़ ने साम्प्रदायिक उभारने वाले भाषण देकर, उन तमाम आदिवासी लोगों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कहा कि अगर 15–16 तारीख तक इन मांगों को मन्जूर नहीं किया गया तो इनके खिलाफ आगे और कदम उठायेंगे और उसी दिन भी यह कोशिश की कि भीड़ अल्पसंख्यकों के मकानों की तरफ चली जाए, उनके मकानों को जला दे या और किस्म का नुकसान पहुंचा दे। इस तरह की मीटिंग बुलाने वाले श्री हीरालाल उसमें सरकारी कर्मचारी थे, श्री मोतीलाल देवीचन्द जो अध्यापक हैं, दूसरा नाथूलाल प्रेमचन्द, रमन लाल गुप्ता सहायक पशु चिकित्सक सराड़ा, डालमचंद,

(श्री रामानंद अग्रवाल)

देवीचंद, कन्हैयालाल, गेंदेलाल, चम्पालाल, शंकरलाल पुत्र गंगाराम, इन सबने नेतृत्व करके उन सबको बहकाया और उनसे घबरा कर लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए और उनकी जान व माल खतरे में है। जिला अधिकारियों को सूचना दी, उस समय के लिए स्थिति को टाल दिया वरना उस समय आग लगने का खतरा पैदा हो गया था लेकिन उसके बावजूद टेन्शन मौजूद है।

जहां तक मेरी जानकारी है, यह हीरालाल भारतीय जनसंघ के···

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं यह मामला काफी पेचीदा है, सरकार से जानकारी चाही गई है, आप इंतजार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या दिक्कत है ? मैं यह बता रहा हूं कि कौन थे करने वाले। मैंने यह नहीं कहा कि जनसंघ वालों ने किया है। इस बात को बताने में आसन को क्यों आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपत्ति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्योंकि इस दल की नीतियां साम्प्रदायिकता भड़काने की रही हैं और वास्तव में इस दल के नेता ने उसको कराया है तो वहां पूरे तरीके से सरकार अभी तक वहां शांति पैदा नहीं कर सकी है और इस तरीके से काम करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। इतना ही नहीं, वहां पर दो वसीका नवीस मुसलमान थे–एक मोहम्मद वशीर, दूसरा अलताफ मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद। ये पेटीशन राइटर्स थे। वहां पर हमारी पार्टी के एम. पी. मीटिंग करने गए थे और उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया और शिकायत की तो उसके बाद दोनों पेटीशन राइटर्स के, कलक्टर की इजाजत लेकर, तहसीलदार ने लाइसेंस कैंसिल कर दिए और इस प्रकार से उन लोगों को वहां डराया धमकाया। उनको हर समय आतंकित स्थिति में रखा जा रहा है। इस तरह से साम्प्रदायिकता पैदा कर रहे हैं। कानून के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन्टीग्रेशन कमेटी, जिसमें सब पार्टीज मौजूद हैं, में नेशनल लेविल और स्टेट लेविल पर निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार की कोई भी बात हो तो उसमें प्रवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो जो स्थानीय अधिकारी होंगे, विशेष कर कलक्टर, वह उसके जिम्मेदार होंगे। गृह मंत्री ने उस समय फौरन कदम उठाया, तो इससे स्थिति बच गई लेकिन अब तक वे घूम रहे हैं और प्रचार चल रहा है, मुसलमानों में आतंक है और गिरफ्तारी नहीं हुई है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कोम्यूनल प्रचार करने वालों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिये। वैसे तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है फिर भी अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं उन्हें तुरन्त गिरफ्तार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस तरह की बातों का नाजायज फायदा उठाते है। कभी कोई गाय मर जाती है तो फायदा उठाते हैं, कभी हिन्दू-मुस्लिम दंगा कराने की साजिश करते हैं। हर ऐसी चीज का

(श्री रामानंद अग्रवाल)

नाजायज फायदा उठाकर साम्प्रदायिकता की भावना को भड़काते हैं ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये और सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। यह हीरालाल जो आदमी है वह जनसंघ का है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने बताया कि उसने वहां पर हिन्दू-मुसलमानों का दंगा कराने के लिये साम्प्रदायिकता की भावना को भड़काया सही है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जब मुझे खबर लगी तो गया था। वहां मीटिंग रखी गयी और हीरालाल ने भरसक प्रयत्न किया कि किसी प्रकार वहां पर हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा हो जाये। लेकिन मैं वहां पर पहुंच गया था। मैंने वहां पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर लोगों को समझाया जिससे कि कुछ शान्ति हुई। जो लोग बलात्कार करने वाले थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और अब वहां पर शान्ति है। यह हिन्दू-मुसलमानों की फिरका-परस्ती वहां काफी पैदा हो गयी थी। पर 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हमने वहां पर प्रयास करके इस मामले को बिल्कुल ठीक करा दिया है, अब वहां पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हमने वहां पर दोनों ही पार्टियों को बुलाकर समझाया हिन्दू और मुसलमानों की दोनों ही पार्टियों को बुलाया। लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि वहां पर हीरालाल जो कि जनसंघी हैं इसने हिन्दू-मुसलमानों के झगड़ा कराने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल उठाया है वह गलत है, श्री नाथूलाल पटवारी का नाम यहां ले रहे हैं, वह वहां पर उस दिन मौजूद ही नहीं था। रामानन्दजी को इस बात का पता नहीं है। सारी स्थिति हिन्दू-मुसलमानों के अन्दर झगड़ा हो यह हीरालाल ने किया है। लेकिन अब वहां पर स्थिति पर काबू कर लिया है, अब कोई फिरकाबाजी की बात नहीं है कोई झगड़े का खतरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि किसी भी समाचार को तोड़ मरोड़ कर सदन में रखना और सरे दल पर इस प्रकार का आक्षेप लगाना, इस प्रकार का लान्छन लगाना कि अमुक दल साम्प्रदायिकता फैलाता है यह तो शायद कम्यूनिस्ट पार्टी का धन्धा हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। वह पहले मैंने रखा था, श्री रामानन्द जी ने तो बाद में रखा है। उसमें मैंने यह कहा था कि एक 12 साल की आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसमें

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
मैंने दो व्यक्तियों का उल्लेख किया और उसमें नाम तक नहीं बताया, मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया मैंने, तो यह कहा था कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक आदिवासी बच्ची का बलात्कार किया गया। उसमें कहीं पर भी फिरका परस्ती की बात ही नहीं थी। मैंने उसमें कहा कि गुन्डों द्वारा एक बारह साल की बच्ची का बलात्कार किया गया। अब जहां तक सवाल गुन्डों का है गुन्डा तो कोई हो सकता है उनकी कोई जाति पाति नहीं होती है। गुन्डा कोई हिन्दू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो कहा कि हीरालाल जनसंघ का है और उसने वहां पर हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा कराने का भरसक प्रयास किया। सवाल यह है कि आप यह कह दें कि हीरालाल जनसंघ का नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं अभी सारी बात कह देता हूं आप पहले सुनिये। सवाल तो यह है कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका दल हमेशा सामप्रदायिकता फैलाता है और हमेशा हिन्दु-मुसलमानों के झगड़े कराता है उन्हें उकसाता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमारे जनसंघ के सदस्य कभी भी सामप्रदायिकता के झगड़े नहीं फैलाते हैं, घटना के आधार पर कहते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री भानुकुमार शास्त्री के एक साथ जोर-जोर से बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो यह कह दें कि हीरालाल जनसंघ का सदस्य नहीं है और उसने वहां पर सामप्रदायिकता की भावना नहीं फैलायी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, प्लीज। आप विराजिये! स्थान ग्रहण करें!

(शोरगुल अश्रव्य, शोरगुल अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन प्रभावशाली लोग बेचारे आदिवासियों और हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं...

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हीरालाल को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। आप तो उसको 250 रुपये मासिक देते हैं और मोटर साईकल दे रखी है और वह वहां पर फिरका परस्ती करता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये! आर्डर प्लीज!

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय यह आदिवासियों की लड़कियों के साथ रोजाना हम देखते हैं कि एक दो केस बलात्कार के होते हैं। इसके लिये दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति किसी भी हरिजन लड़की के साथ बलात्कार

Page No 74

(श्री मूलचंद सामरिया)
करले। आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! आप विराजिये ! श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इनका कोई स्थगन प्रस्ताव है कि यह बोल रहे हैं ? इन्हें क्या हक है बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण कीजिये ! श्री भानुकुमार !

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे कहने का अधिकार है मुझे बोलने की अनुमति आसन द्वारा प्रदान की गयी है। आप कहते हैं कि एक औरत के साथ बलात्कार हुआ है, मैं कहता हूं कि एक हरिजन बालिका के साथ बलात्कार हुआ है। 12 साल की बच्ची है।

(शोरगुल, निरन्तर शोरगुल)

(श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री भानुकुमार शास्त्री व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व श्री गिरधारीलाल भार्गव के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप विराजिये, आप भी विराजिये ! श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आप तो प्रदर्शन करते हैं और वहां 21 मार्च को जो आपने प्रदर्शन किया उसमें आप स्टेडियम के सामान तक उठाकर ले गये।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या हिन्दू मुसलमान का नाम लेकर आप बात खत्म करते हैं। यह कैसे हो सकता है ? क्या हिन्दु और मुसलमानों को यह अधिकार आपने दिया है कि वह हरिजन आदिवासियों की लड़कियों के साथ बलात्कार करें ? क्या गरीब लोगों की लड़कियों की इज्जत ली जावे ?

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : गुन्डागर्दी करते हैं उनको रोको।

(शोरगुल)

श्री लक्ष्मणसिंह : हीरालाल जी आर्य हैं उनके सम्बन्ध में केवल दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। वे डूंगरपुर आदिवासी छात्रावास में पढ़े हुए हैं। कई वर्षों तक कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। कुछ वर्षों तक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य रहे हैं, कुछ वर्षों तक सी.पी.आई के सदस्य रहे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत है बिलकुल। झूंठ है। मैं ज्यादा जानता हूं।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री लक्ष्मणसिंह : सुनिये तो सही.....

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री मूलचन्द सामरिया: सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : झूंठ है।

(शोरगुल)

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : बुढापे का ख्याल नहीं, इस तरीके से झूंठ बोलते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ के हैं या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री लक्ष्मणसिंह : मुस्तकिल मिजाजी क्यों छोड़ते हैं ?

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री रामनन्द अग्रवाल : मुस्तकिल तरीके से स्लेन्डर बात कह गये।

(शोरगुल)

आप जैसे बुजुर्ग आदमी झूंठ बोलें और मुस्तकिल मिजाजी कैसे है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : वे दल को छोड़ कर इधर से उधर उछल-कूद करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस समय जनसंघ के हैं या नहीं ? हो सकते है या नहीं, नहीं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : होंगे।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सी.पी.आई का मालूम है ! जनसंघ का मालूम नहीं। यह आपका निम्न स्तर है सोचने का। बुढापे में तो सही कहो...

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : समस्तीपुर बम काण्ड में चार अभियुक्त पकड़े गये थे वे सी. पी. आई. के मेम्बर थे।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिलकुल झूंठ है।

श्री गुमानमल लोढा : हर बात झूंठ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे स्लेन्डर्स का बहुत मुकबला किया है। उस बात को नहीं कहते हैं। हीरालाल आर्य तुम्हारा मेम्बर है या नहीं ?

श्री भानुकुमार : बैठिये। मैं बताता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बताओ ? है या नहीं ? महारावल, तुम उनके लीडर हो, बताओ।

श्री लक्ष्मणसिंह : सुनिये तो सही। कौनसा झूंठ कहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : महारावल ने कहा कि मालूम नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे मालूम हो तो मैं कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सी.पी.आई. का तो मालूम है।

श्री गुमानमल लोढा : आदिवासियों की औरतों पर बलात्कार हो उसके लिये आपको शर्म नहीं आती ?

(शोरगुल)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे) (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : बलात्कार वाले को सजा मिलनी चाहिये । यो राम नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिकार्ड पर नहीं आये ।

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

एक मिनट । × × ×

माननीम सदस्य आपस में बोलते रहे । (रिकार्ड नहीं किया गया)

यस । श्री भानुकुमारजी बोल रहे थे । उसको पूरा कर लीजिये ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : बूढ़े से शादी करने के बाद अकल नहीं रहती ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपकी अकल ठिकाने नहीं है । उन लोगों को सुनने की क्षमता नहीं है । बात बतंगड़ करने और बढ़ाने की आदत है । एक इश्यू को लेकर चलने की बात है । एक आदिवासी बालिका पर बलात्कार हुआ उसको महिला कहा गया । 12 साल की बालिका है । शर्म नहीं आती । बनवासी बालिका थी । स्थगन प्रस्ताव में असामाजिक तत्वों का उसमें नाम लिया हुआ है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप सुनिये तो सही ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप (शोरगुल से अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप सुनिये तो सही ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप बैठिये । आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम कौन होते हो ? हम नहीं हटते ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हट, हट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन लोगों को डाइरेक्ट बात करने का अधिकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये ! आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

(निरंतर शोरगुल—अश्रव्य)

XXXअध्यक्ष पीठ के आदेश से भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके पूरा करने के बाद में कोई जवाब देना हो तो बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस हिसाब से बोल रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल मात्र इतना संकेत आया है, एक सदस्य का नाम आया जनसंघ का सदस्य है या नहीं यह बता दें ?

श्री परसराम मदेरना : कन्फ्यूजन हो रहा है। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि वे जनसंघ के सदस्य हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर ठीक है। उन्होंने कह दिया काफी है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने सुना नहीं है, आप सुनना चाहते नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बूढ़े से शादी कर ली है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरों को भी सुनने की क्षमता रखिये।

श्री भगराज चौधरी : ऑन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। वह यह है कि हमारे जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम है उसमें पूर्णतया इस बात का उल्लेख है कि विधान सभा में कोई भी माननीय सदस्य कोई भी बात कहना चाहे तो आसन को एड्रेस करें और आसन से संकेत मिलने पर ही बात कहें। ऐसा नहीं होता है कि किसी को लेकर आपस में इस प्रकार से गाली गलोच करें जिससे दूसरे प्रान्तों से आये हुए जो दर्शक हैं वे इस प्रकार की बातों को देखते हैं तो यही धारणा बनाकर जाते होंगे कि हमारे प्रतिनिधि किस प्रकार से सदन के पटल पर अपनी बातें रख रहे हैं।

श्री केदारनाथ : होली के लिये बुक हो रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रोफेसर साहब भी होली के मूड में आ गये हैं।

श्री भगराज चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed your point of order, please.

श्री भगराज चौधरी : आप आदेश दीजिये इनको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : You please give a direction.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बुढ़ापे की शादी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र भारतीय : माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है, उसके सम्बन्ध में आसन से कोई व्यवस्था नहीं आयी है, न बैठने के लिये कहा है।

Page No 78

(78)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि यह जो पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर उठाया है, जनरल रूल में भी है, वह ठीक है जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे वे आसन की ग्रोर मुखातिब होंगे। जो बात यहां माननीय सदस्य ने कही है वह सही है ग्रौर वे उसको फोलो करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सामान्य स्थिति में तो वह चलता नहीं। सामान्य स्थिति में वह ठीक है पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ के बारे में स्थिति शंकास्पद है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी इसी पोइन्ट पर हिन्दू महासभा से अलग हुए थे कि हिन्दू महासभा वाले मुसलमानों को आने देना नहीं चाहते थे। इसलिये उस संस्था से अलग होकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।

आज भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी है ग्राल इण्डिया लेवल की। उसमें मुस्लिम महिलायें भी सदस्य हैं ग्रौर भी कई मुसलमान हमारे दल में हैं। यह तो हमारी नीतियां ग्रौर हमारे कार्य बताते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ ने किसी भी क्षेत्र में जातीयता को लेकर या साम्प्रदायिकता को लेकर कोई काण्ड नहीं चलाया है। लेकिन सराड़ा गांव की जो घटना है, उसमें 21 तारीख को एक बालिका के साथ जो जघन्यकांड हुआ तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे ? इतनी गम्भीर घटना हो जाय तो क्या आक्रोश नहीं हो सकता ? मैं जब वहां गया था तो वहां के लोगों ने कहा कि हम चाहे करल हो जाते, उनमें ग्राक्रोश ग्रौर ग्रातंक छाया हुआ था। वहां पर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया ग्रौर यह कहा गया कि उनके लिए निवास की भूमि नहीं होनी चाहिए। जो भी बलात्कार हुआ है, उसको भुलाना चाहें तो हम कभी उसको नहीं भुला सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ग्राइन्दा इस प्रकार की घटनाएं न हों, यही मैं चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक गलत सूचना दी गई है, वह लड़की शादी शुदा है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु !

श्री गुरदयाल सिंह संधु : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले में इस साल रबी की फसल फेल हो रही है, उसको बहुत हानि हुई है उसके सम्बन्ध में है। अभी तीन-चार दिन पहले ही तारीख 21 ग्रौर 22 मार्च को एक जबरदस्त बारिश आई ग्रौर उसके साथ-साथ ग्रोले भी पड़े ग्रौर फिर ग्रांधी आई ग्रौर उस ग्रांधी के कारण चने की फसल करीब-करीब सारी की सारी नष्ट हो चुकी है ग्रौर जहां तक सरसों की फसल का सवाल है वह पकी हुई है, ग्रौर पकी हुई होने के कारण उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस इलाके में इतनी बड़ी ग्रौर ऊंची फसल थी, यहां पर दो किस्म की फसल हुआ करती है। एक बोनी फसल ग्रौर एक लम्बी फसल। 306 की फसल भी कहते हैं, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं यह मानकर चलता हूं कि गंगानगर जिले के किसान यह समझते थे

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

कि इस वर्ष फसल कितनी अच्छी हुई है इससे पहले आज तक कभी भी नहीं हुई। लेकिन यहां तो दोनों फसलों को करीब-करीब बहुत बड़ी हानि हुई है, और गेहूं की फसल को भी कुछ परसन्टेज नुकसान हुआ है। यह एक ऐसा नुकसान है, इसलिए मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस बारे में सोचे और वहां के किसानों को राहत देने के लिए आश्वासन देवे। पिछले वर्ष भी रवी की फसल खराब हो गई थी और अभी भी जो खरीफ की फसल हुई उसमें जो लम्बे रेशे की कपास होती है वह फेल हो गई है मगर हमें बहुत अफसोस है कि सरकार पैदावार बढ़ाने की बात तो करती है लेकिन किसानों को कोई भी सुविधा नहीं देना चाहती और मैं तो इस सरकार को किसान-विरोधी सरकार ही कहूंगा और इस सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार ने किसानों को विशेष कर चने और सरसों को पैदा करने वाले किसानों को अगर राहत पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की, उनको मदद नहीं दी तो उनको बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इन शब्दों के साथ इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि किसानों को राहत पहुंचाई जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष दिल्ली में एक कांग्रेस रैली हुई थी और पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, वहां से जो लोग लौट रहे थे रैली के साथ उनके साथ असामाजिक तत्वों ने लूट-खसोट की थी, मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने उसकी जांच की या नहीं। लेकिन रेली से आ रहे सवाई माधोपुर, हिण्डौन और दूसरे स्टेशनों पर इस प्रकार की घटनाएं हुईं, अगर इस तरह की परम्परा के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो जिस तरह बंगाल और बिहार में हो रहा है, वही परम्परा हमारे राजस्थान में लागू हो जायगी। 31 मार्च को भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की रेली हुई और जब लोग वहां से वापिस लौट रहे थे तो पट्टी वालों को और ठेले वालों को लूटा गया और बिना टिकिट यात्रा भी की गई और अधिकारियों को सूचित भी किया गया कि इस तरह से लूट रहे हैं, और बिना टिकिट जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की, इस प्रकार की लूट-मार की परम्परा प्रदेश में होती रहती है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी का जुलूस आया, इतना लम्बा था मैं उसको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रदर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन जो दुर्घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा होती हैं उनको अगर सरकार नहीं रोकेगी तो इससे असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो था, अभी जो माननीय सदस्य मीठालालजी ने यहां पर जो बातें कहीं, वह सब कपोल कल्पित...

(शोरगुल)

(श्री केशरीमल)

आप सुनिये तो सही, मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वे बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, हमने सुना इनकी बात को।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह बोल रहे थे, तब हम तो बीच में नहीं बोले, उनको भी चाहिए कि वह सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पोइन्ट पर बोलना चाहते हैं।

श्री केशरीमल : मैं उनके स्थगन प्रस्ताव पर बोलकर अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपको उस पर नहीं करना चाहिए।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर बोलूंगा, कैसे नहीं बोलूंगा ये बोल रहे थे तो हमने सुना इनको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक दीर्घ घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन सुन लीजिए। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का जो विशेष अधिकार मिलता है माननीय सदस्यों को, वह इसलिए मिलता है कि एक पर्टीक्यूलर मुद्दा उठा है। आपका ऐडजोर्नमेंट मोशन है, बोलें, लेकिन जितने ऐडजोर्नमेंट मोशन आये उनका जवाब देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं माननीय सदस्यों का आधा घन्टा प्रत्येक को लग जाएगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आपका स्थगन प्रस्ताव है, आप (श्री केशरी मल) बोलिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप बिराजिए !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। परम्परा आज तक सदन की इसी प्रकार चल रही है। माननीय रामानन्दजी ने एक प्रश्न रखा है। एक ही चीज पर सफाई देने का प्रश्न है, लेकिन जनता पार्टी के सचेतक और उप नेता महोदय 25–30 मिनट तक चौमू की घटना पर बोले। वह हमसे ताल्लुक रखता है। अगर आपका शासन न्याय करना चाहता है तो जो चार्जेज लगाये हैं, मैं उसको रिफ्ट कर सकता हूं ...

श्री केशरीमल : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं स्वयं चौमू गया हूं।

(व्यवधान,-अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं चौमू गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्री गुमानमल लोढा : यह सर्वविदित है। सारा मिस यूज किया·····

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । माननीय सदस्य ।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

अगर उस मुद्दे पर माननीय सदस्य यह कहते हैं मुझे बोलना है तो ठीक नहीं है आपका स्थगन प्रस्ताव है, आप बोलना चाहते हैं उस पर ही मौका दिया है आप यहां मौजूद ही नहीं थे सदन में और फिर यह कहें मुझे मौका नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, यह तो जब होता जब आप यहां होते और मैं इन्कार करता । माननीय सदस्य तो बाद में आये हैं···

(पुनः व्यवधान, अश्र य)

आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

आसन पैरों पर है तो आपको बैठना चाहिए ··

(व्यवधान-अश्रव्य)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनके द्वारा कही गई बातें सुनी हैं और और मेरी यह जानकारी में है जो उन्होंने कहा है इसलिये आप मुझको आज्ञा देंगे ।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनके द्वारा कही बातें सुनी हैं ··

श्री उपाध्यक्ष : आसन की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आप मुझे कम से कम चौमू की घटना के सम्बन्ध में···

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान न करें जो पाइन्ट उन्होंने रेज किया है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इसी को बोलना चाहता हूं । मैं चौमू के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव····

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह माननीय सदस्य आपको ·····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय स्थगन प्रस्ताव पर इस तरह···

श्री केसरीमल : अब तो एक स्थगन प्रस्ताव पर चार-चार बोलेंगे····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज···।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ····

(अश्रव्य)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी बिराजिये, माननीय सदस्य आप भी बिराजिये । अब मैं ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा आप बोलेंगे या नहीं···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इससे पहले··

श्री उपाध्यक्ष : नो प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : फिर इसके बाद मुझे समय दीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे भी चौमू की घटना के बारे में स्पष्टीकरण करने का मौका मिलना चाहिये···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी सीमाओं में जिस तरह कार्य करने के जो नियम हैं उसमें चलें तो ठीक होगा··

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो चौमू रिटर्न हो गये। मैं तो चौमू रिटर्न की बात कह रहा हूं। आप चौमू में कहां फंस गये?

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और निवेदन कर देना चाहता हूं अगर केसरीमलजी नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं दूसरी बात सोचूं···

(पुन: अश्रव्य, व्यवधान)

मैं आपसे आदेश चाहता हूं···आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज···आप इस बात का निर्णय कर लें एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं या तो वह कहें कि मैंने समाप्त कर दिया है और मैं नहीं बोलना चाहता हूं···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चौमू का प्रश्न उठते ही मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिये···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : (साथ-साथ बोलने से अश्रव्य···)···गाड़ी में रखकर ले गये हैं, कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों ने...

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य बिराजिये। श्री केशरीमल।

श्री केशरी मल : मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। उसके पहले चौमू की घटना पर इल्जाम लगाया है, उसका स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक है माननीय रामानन्द जी ने जो ऐडजोर्नमेंट मोशन रखा है··

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री केशरीमल) क्या कहना चाहते हैं?

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं एक ऐडजोर्नमेन्ट मोशन पर चार माननीय सदस्य बोलेंगे और हम एक भी··आप यही फैसला कर दीजिये कि आपको मौका नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको बोलने का मौका दिया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं। पहले चौमू की घटना पर बोल रहे हैं···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर मैं अपने दल की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहूंगा जनतन्त्र में दादागिरी करते हैं··· आखिरकार कोई चौमू हो या और कोई प्रान्त हो···

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में कोई स्ट्रिक्टली प्रोविजन नहीं है कि ऐडजोर्नमेंट-मोशन पर बोला जाय। यह चेयर की तरफ से लिबरल एटीट्यूड लिया हुआ है मेम्बर्स कई दिनों से हर ऐडजोर्नमेंट मोशन पर माननीय सदस्य विचार प्रकट करते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं और अनधिकृत सूचनायें आती हैं और उसके पीछे एक माहौल-सा बन जाता है। अभी चौमू की घटना के बारे में एलीगेशन्स एन्ड काउन्टर ऐलीगेशन्स लगाये जा रहे हैं...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इसकी जांच करवा लीजिये न !

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता था आज इस घटना पर ऐलीगेशन और काऊन्टर ऐलीगेशन लग रहे हैं। यह सदन नहीं जानता है...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना पाइन्ट आफ आर्डर फरमा चुके है। आपका पाइन्ट आफ आर्डर समझ गये I have followed your point of order.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं मैरिट्स पर बोलना नहीं चाहता हूं। जिन तथ्यों की जानकारी नहीं है उस पर कैसे बोलूंगा। मैं तो यह जानना चाहता हूं आज जो ऐली-गेशन और काऊन्टर ऐलीगेशन लगाये जा रहे हैं उसमें ला एन्ड आर्डर की स्थिति बनती है इसलिए में चाहता हूं यह पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। यह कानून की व्यवस्था का प्रश्न है कोई अन-टूवर्ड इनसीडेन्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मैं यह चाहूंगा राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिये अगर यह घटना हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बुरी घटना है और राजस्थान में ला एन्ड आर्डर की प्रावलम क्रियेट करती है और अगर यह घटना नहीं हुई है तो उस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिये। हाउस को मिस लीड करें, कानफ्यूज करें मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। गलत लिबरल एटीट्यूड का फायदा उठा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज

श्री गुमानमल लोढ़ा : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : उनका अभी पाइन्ट आफ आर्डर है। आप (श्री गुमानमल लोढ़ा) बिराजिये।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है यह बात बिलकुल सही है कि जो एडजर्नमेंट मोशन की इतला दी जाती है माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों को हमारी जो प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम है जब इस प्रकार का प्रावधान नहीं हो कि कोई भी माननीय सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बोल सकें लेकिन फिर भी चूंकि माननीय अध्यक्ष ने लिबरल व्यू लेते हुए यहां कहने का अवसर दिया है मैं समझता हूं कि उस अवसर का हमको कुछ सीमाओं में और जो नियम हैं मर्यादायें हैं उनके अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिये। जो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया वह यह है कि जो मुद्दा मीठा-लाल जी ने उठाया था उसके बारे में राजस्थान सरकार कोई वक्तव्य दे या राज्य

(श्री उपाध्यक्ष)

सरकार जानकारी करे। उसके लिए शासन से जो व्यवस्था दी गई है वह इस प्रकार की नहीं है कि सरकार से जानकारी चाही गई हो बल्कि यह है कि स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है इसलिए मैं राज्य सरकार को इस तरह का आदेश नहीं दे सकता कि वह कोई वक्तव्य दे। यह राज्य सरकार का दृष्टिकोण है जैसा भी वह उचित समझे वैसा करे। तो इस संबंध में तो मेरी यही व्यवस्था है।

श्री केशरीमल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो यह डिबेट अलाऊ मत कीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब इतने गम्भीर एलीगेशन्स लगाये चौमू पर, रींगस पर, सीकर पर··

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है कि उसके बाद में स्थिति को स्पष्ट ? करे हजारों लोग बिना टिकट चलें, जगह जगह मारपीट हो, रेस्टोरेन्ट तोड़े जायें···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री केशरीमल।

श्री गुमानमल लोढ़ा : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रिकार्डेड।×

श्री गुमानमल लोढ़ा : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आदेश दे दिये हैं रेकार्ड नहीं हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : (रेकर्ड नहीं किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रेकार्डेड IX

श्री गुमानमल लोढ़ा : (रेकर्ड नहीं किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रिकार्डेड IX

श्री गुमानमल लोढ़ा : (रेकर्ड नहीं किया गया) ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री केशरीमल

श्री केशरीमल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो माननीय मीठालालजी ने कुछ कहा उस संबंध में मेरा थोड़ा सा यह कहना है कि यह बात बिलकुल मनगढ़न्त और बनावटी है और साथ ही पेचीदगियां पैदा करते हुए और जैसी प्रोवोकेशन की कार्यवाही करते हैं उसका दिग्दर्शन यहां करते हैं जब 21 तारीख को यहां से प्रदर्शन करके जा रहे थे···

(श्री गिरधारीलाल भार्गव व गुमानमल लोढ़ा के एक साथ जोरों से बोलने पर अस्पष्ट)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अस्पष्ट)

××× अध्यक्ष पीठ के आदेश से भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । आर्डर प्लीज । श्री केशरीमल

श्री केशरीमल : तो यह लोग जब जा रहे थे तो स्टेशन से कुछ नारे लग रहे थे और जब यहां नारे लग रहे थे तो यहां झगड़ा करने की कोशिश की लेकिन यहां हुआ नहीं । जयप्रकाश का आन्दोलन का नारा धोखा है । इस प्रकार के नारे वह प्रदर्शनकारी लगा रहे थे । जब वह गये तो यहां से टेलीग्राम दिया गया और वहां दो सौ, तीन सौ आदमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने पहले गाड़ी पर पत्थर बाजी की···

श्री गुमानमल लोढ़ा : ठीक है, मारपीट तो हुई । जांच करवाइये ।

श्री केशरीमल : ····और इसके अलावा उन्होंने शीशे फोड़े ऐसा कहा गया । तो शीशे तो गाड़ी में से बैठे फोड़ नहीं सकते । बाहर से पत्थरबाजी हुई । यह पता लगाने की बात है कि जब यहीं नहीं हमला किया और हमारे लोगों ने हिम्मत और ताकत के साथ मुकाबला किया तो मैदान छोड़कर चले गए । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो भाई बोल रहे थे उनकी तरफ से प्रोवोकेशन और इस तरह के झगड़े और लोगों को अपनी नारेबाजी लगाने के अधिकारों से वंचित करने के लिए डंडेबाजी की बात उनका मुंह बन्द करने के लिए और ताकत लगाने की बात नहीं कही । कुछ झगड़ा करवाया और दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगायें और ऐसी बातें गढ़ें यह न्यायोचित नहीं है और झूठी बातें हैं, बकवास है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बिराजिये ।

श्री केशरीमल : हमारे लोगों ने कोई मार पीट नहीं की । माननीय उपाध्यक्ष महोदय,···

श्री गुमानमल लोढ़ा : साइकिलें अपने आप चली गयीं । स्वचालित होकर चली गयीं ।

श्री केशरीमल : मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान के चीफ इन्जीनियर जो आर.एस.ई.बी. के हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले इसकी जांच का तय हो जाये । यह मानते हैं कि झगड़ा हुआ और लूटपाट हुई । यह कहते हैं कि जनता ने आकर इनके ऊपर हमला किया····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज

(शोरगुल, व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री केशरीमल

श्री गुमानमल लोढ़ा : (भारी शोर-गुल के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चौमू के ठेके वालों की शिकायतें आई हैं । यह गम्भीर आरोप हैं···

Page No 86

(अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(शोरगुल, व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज...

श्री गिरधारीलाल भार्गव (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने कार्यकर्ताओं को कहो कि लाल झण्डे को और छेड़ो ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ।

श्री गुमानमल लोढा : (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । श्री केशरीमल ।

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह जिक्र कर रहा था...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : जांच क्यों नहीं करवाते ? जांच से क्यों मुकरते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि इसको डिसअलाऊ कर दूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मामला बहुत गम्भीर है ।

श्री गुमानमल लोढा : (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल

श्री गुमानमल लोढा : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रिकर्डेड

श्री गुमानमल लोढा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल

माननीय सदस्य आप (श्री सुरेन्द्र व्यास) बिराजिये ।

श्री गुमानमल लोढा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री केशरीमल

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच करली है अध्यक्ष महोदय ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके चमचों को सबक सिखा दिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : प्रश्न यहां पर यह है कि जहां पर यह घटना हुई है..

श्री उपाध्यक्ष : मानमीय महोदय... माननीय सदस्य. .

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ...चौमू में घटना हुई है और वहां के विधायक हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... आर्डर प्लीज..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बोल नहीं सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौमू के विधायक यहां पर बोल नहीं सकते तो हमारी यही मांग है इसकी जांच के आदेश दें और जांच से ही तथ्य सामने लाये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, गत डेढ़ घण्टे से इस सदन के अन्दर सारी पार्लियामेंट्री पद्धति की यहां पर मखौल उड़ाई जा रही है। अगर इस तरह की डिबेट करना हो, आपस में लड़ना है और यही नमूना अगर पेश करना हो तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है। इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई, ऐसा फर्नीचर लगाया और इतने रिपोर्टर्स और यह इतना लवाजमा लगा कर जो वोट लेकर यहां पर आते हैं और यहां पर डिबेट करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोगों की तरह से बिना वोट लिए सड़कों पर ही डिसिजन लिया जा सकता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि भाई किसी भी व्यक्ति का अन्दाजा कैसे लगाया जावे। भाई–बोलिया मा राधा

The man is discovered as soon as he speaks.

श्री लक्ष्मणसिंह : पण कुण कांई केयो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बोलियां न राधा, मतलब यह है कि आदमी का अन्दाजा जब वह बोलता है तो सहज में लगाया जा सकता है। जिस तरह से सदन में डिबेट हो रही है उससे अपने बारे में लोग बाग क्या सोचेंगे ? बड़े दुख की बात है। सबको राइट आफ डिबेट है, डिस्कसन है। इसके अन्दर कौनसी ऐसी बात है जिसको हम नहीं कह सकते, जिसका जवाब नहीं दे सकते। सामने वाले को लाजवाब नहीं कर सकते। इसमें शिष्ठतम भाषा में, अच्छे से अच्छे उसके लिए आर्गुमेंट या दलीलें सब कुछ दी जा सकती हैं। इस तरह का प्रदर्शन जिससे मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको तो बुरा लगता ही है लेकिन दूसरे सदस्य जो यहां पर बैठे हैं उनके बारे में भी लोग यही अन्दाजा करेंगे कि यह किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। इसलिए मेरा उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि माननाय सदस्यों को चाहिए वे तर्कों से ही ऐसा माहौल बना दें कि सामने वाला वह वापस बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। इस तरह के तर्क संगत आर्गुमेंट से काम लें कि सामने वाला

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बोल नहीं सके। पार्लियामेंट्री डिबेट के राइट ग्राफ डिबेट के तरीके से काम में लेकर इस तरह से डिस्कशन करना चाहें तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को ग्राप ग्रपील करें कि एक माननीय सदस्य एक बात रखें, दूसरे माननीय सदस्य उसका जबाव दें इस तरह से जवाब दें कि वह मन में कबूल कर ले कि मेरी बात सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रभी भीनमाल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है व्यवस्था का वास्तव में बहुत उचित है ग्रौर क्योंकि ग्राज इस एडजोर्नमेंट मोशन में जो भाग लेने वाले माननीय सदस्य हैं सभी बहुत ही समझदार, बुद्धिमान ग्रौर ग्रनुभवी हैं, बाकी ···

श्री मीठालाल मीणा : बाकी के ····

श्री उपाध्यक्ष : ग्राज के एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में कहा है।

(व्यवधान-ग्रश्रव्य)

ग्रार्डर प्लीज। बाकी के लिए कुछ नहीं कहा है, ग्राज जो भाग लेने वाले माननीय सदस्य हैं, ग्राज उनसे खास तौर से निवेदन करता हूं, मैंने पहले भी निवेदन किया है, काफी रिलेक्स किया है, टाईम भी दिया है ग्रौर उसके बावजूद भी कुछ माननीय सदस्य खड़े होकर ग्रपनी बात कहते रहें, न मैं उनको सुन सकता हूं, न रिपोर्टर सुन सकते हैं उससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं है। मैं फिर ग्रापसे सविनय नम्र निवेदन करता हूं कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको सुन लें ग्रौर सुनने के बाद सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित रूप से चलने दें। यही मेरा निवेदन है। श्री केशरीमल।

श्री रघुनाथ विश्नोई : होली का ग्रसर हो गया है।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : राजस्थान इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के चीफ इंजीनियर ने ग्रपने ग्रादेश के जरिये आदेश संख्या 638 दिनांक 11-2-75 उसके जरिये से राजस्थान के उन तमाम केजुग्रल ग्रौर टैम्प्रेरी लोगों को जो सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं उनको काम से हटा देने के लिए व्यवस्था की है ग्रौर उनके ग्रादेश की जो तिथि है ग्राखरी उसमें उन्होंने 24-3-75 तक उन सब मजदूरों को काम से हटा दिया जाना चाहिए यह तिथि घोषित की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे पूर्व की इस विभाग ने ग्रपने यहां के कर्मचारियों की छंटनी लगातार कर दी। यह मैंने ब्यावर का लिखा है, इसमें थोड़ी गलती हो गई ब्यावर का होने के नाते ब्यावर नाम ग्रा गया बाकी सारे राजस्थान में इस तरह से इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड ने इस बोर्ड के कर्मचारियों की छंटनी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छंटनी के पीछे दो तरह की कमियां इस बोर्ड की हैं। एक तो ग्रभी जो पैसे कुछ तनख्वाह बढ़ने वाली है वह पैसा उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो काम कर रहे हैं ग्रौर ग्रभी तक जो काम करते रहेंगे उन लोगों को वह पैसा, महंगाई भत्ते का जो बढेगा वह दिया जायेगा। दूसरा जो लोग काफी लम्बे ग्रर्से से काम कर रहे हैं जिनको छः महीने से ज्यादा काम करते हो गए वह लोग दूसरी कैटेगरी में ग्रा जायेंगे ग्रौर

(श्री केशरीमल)

उनकी कैजूग्रल की तरह की व्यवस्था टूट जाएगी। इन दो तरह के कारणों से इन कर्मचारियों की छंटनी की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे एक तो जो मजदूर लगातार काम करते हैं उनको काम से हटा दिया और जो वेतन को बढ़ा कर पैसा मिलने वाला था उस पैसे से उनको वंचित कर दिया, उनकी नौकरी की संलग्नता भंग कर दी ताकि आगे के ये अधिकारों की मांग नहीं कर सकें। इस तरह से खुद जब सरकार का विभाग है ऐसी बद्यान्ति, अनफेयर प्रेक्टिस अपना कर सरकारी विभाग करे और सरकार का मंत्रीमण्डल, श्रम मंत्री और हमारे विद्युत् मंत्री हैं सब मिल कर ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन दें और फिर ध्यान दिलाने पर कि वहां मजदूर यूनियनें ने भी बराबर लिखा है कि इस तरह की छंटनी करना गलत है। उनको वापस नौकरी पर रखा जावे, उनकी नौकरी की संलग्नता भंग नहीं की जाय लेकिन श्रम विभाग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। न कोई जवाब देता है, न कार्यवाही करता है। कार्यवाही भी तब करेंगे जब हड़ताल कर देंगे और कहते हैं कि हड़ताल हो जायेगी तो हड़ताल से निपटने के लिए हमारे पास पुलिस सशक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आखिर जो एक राज्य का विभाग है जो किसी उद्योग को चलाता है उस राजकीय उद्योग को अच्छे मालिक की हैसियत से अपने आपको प्रदर्शित करना चाहिए। उसके बजाय यह राजकीय विभाग अधिक से अधिक निम्नतम अनफेयर प्रेक्टिस अपना कर प्राईवेट मालकों से गया बीता अपने को सिद्ध कर रहा है इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं आपके जरिये से मांग करता हूं मंत्री महोदय से कि इन लोगों को जिनकी छंटनी की गई है तुरन्त काम पर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है, क्या सरकार यह उचित समझती है कि इन मजदूरों को काम पर नहीं रखा जाय, उनको नौकरी से निकाल दिया

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जाय फिर हड़ताल होगी। तो यह सरकार पहले हड़ताल करा कर बाद में निपटने की तैयारी कर रही है तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी आजादी है कि आप पुलिस के द्वारा निपटें लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उचित तरीका नहीं है। आप उन लोगों को वापस काम पर लें, उनकी नौकरी बरकरार रख दें और

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

उनको बढ़ा हुआ पैसा दिया जावे।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र। परिवहन मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (परिवहन मंत्री जी की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प. 1(3)(21)परि/74, दिनांक 7 दिसम्बर, 1974

Page No 90

(90)

(श्री परसराम मदेरणा)

( ) अधिसूचना संख्या प. 1(3) (41)परि।72, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974

(3) अधिसूचना संख्या प. 1(3) (47)परि।72, दिनांक 6 नवम्बर, 1974

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कापियां जो वितरण की गई है हम लोगों को उसमें..

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के बारे में बता रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे पहले कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट की बात सामने आए, मैं आपके नोटिस में जो अनियमिततायें हुई हैं उ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 29 तारीख को प्राईवेट मेम्बर्स बिल में मेरा भी एक बिल है जिसका सरकूलेशन एजेंडे में रखा गया है लेकिन बिल को सर्कूलेट नहीं किया गया हैं जो कि कार्यवाही के अनुसार सर्कूलेट होना चाहिए। अब 29 को ही मीट करेंगे, जिस आर्डर में उसका डिस्कशन होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी भी एक दिन बाकी है, 28 को वर्किंग डे है, आज भी सर्कूलेट कर दें तो माननीय सदस्य बहस कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी टेबल आफिस से जानकारी करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री मनोहर लाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह पेश नहीं हो सकती और यह इसलिए पेश नहीं हो सकती उपाध्यक्ष महोदय, कि 75-76 के मेन एस्टीमेट्स इस सदन के द्वारा पारित किये जा चुके हैं.................. और 75-76 के एस्टीमेट्स में 74-75 के संशोधित अनुमान भी दिखाये गये हैं और संशोधित अनुमानों में सप्लीमेन्टरी बजट की जो राशियां हैं, वे दी गई हैं। संविधान के मुताबिक और परम्पराओं के मुताबिक आप को मेन बजट से पूर्व सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स लेनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी ग्रान्ट है, 70 करोड़ की यह ग्रान्ट है, उसे मेन बजट के बाद में पेश करना अपने आप में नियमों के विरुद्ध है, लोकतंत्रीय परम्पराओं के विरुद्ध है। बहुमत का लाभ आप यहां पर उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह साइट करना उपयुक्त समझूंगा, यह जो मेज पालियामेन्टरी प्रेक्टिस है, एडीशन 1964, यह निवेदन करता है, पेज 743 है, पैरा वन:--

"The need for a supplementary grant to an existing service generally results from the system in force to ensure the control of Parliament over public expenditure, which necessitates the drawing up by the departments of their estimates for a year begininning on 1st April in time for their submission to Treasury in the preceding month of November.

(श्री मनोहरलाल)

Supplementary estimates due to the insufficiency of the original estimates are usually presented in February and known as Spring Supplementary Estimates are voted in Committee of supply on the allotted days before 31st March and ways & means to cover them are provided by the Consolidated fund Bill which receives the royal assent shortly before the end of the financial year. They should, if possible, be presented before the vote on account and the main estimates for the following year, are published as they enter into the figures of expenditure for the current year which are shown in both those estimates for the purpose of comparison with the figures of expenditure for the coming year."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप 75–76 के मेन बजट में पिछले वर्ष और अगले वर्ष के कम्पेरिजन करते हुए 74–75 के एस्टीमेटस् आपने बता दिये हैं। रिवाइज्ड ऐस्टीमेटस् भी आपने दिये हैं और अपने यहां पर सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस् पहले पेश नहीं की है। सदन के सम्मुख इनको लाने के पहले वित्त मंत्री महोदय को पेश नहीं करने के कारण बताने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं 28 करोड़ के टैक्स इन्होंने लगा दिये हैं और यहां पर कहते है बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : मैं यह निवेदन कर रहा था, इसमें यह बड़ै है "पासिबल"

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट करने का प्रश्न नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : मंत्री महोदय, कारण तो बताएंगे ? ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री गुमानमल लोढा : मंत्री महोदय की ओर से यह जवाब होना चाहिए कि ये कारण थे, इस कारण पेश नहीं किए जा सके ...

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ? (वित्त मंत्री से)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, 75–76 का जो बजट पेश किया गया था, उसके साथ में 74–75 के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स प्रस्तुत किए गए थे, वे सिर्फ कम्पेरिजन के लिए पेश किए गए थे। 75–76 के बजट में 74–75 की सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस् नहीं ले सकते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। 74–75 का साल समाप्त होने के पहले पहले 74–75 की सप्लीमेंन्टरी ग्रान्ट लाई जा सकती है। इसके अन्दर कहीं कोई बाधा नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप भी कोई किताब पढ़ कर बता देते। माननीय सदस्य किताब लेकर आये हैं।

श्री मूलचन्द आमरिया : आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका ट्रान्सलेशन करवा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को यहां पर यह बताना चाहिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे पेश करने से पूर्व कि यह यह प्रशासनिक कारण थे, कठिनाइयां थीं, असुविधा थी, या कोई विशेष कारण थे जिसके कारण से वे इसको पहले प्रस्तुत नहीं कर सके–तो कोई बात समझ में आ सकती है । यह कोई बात होती । मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस की परम्परा को भी मंत्री महोदय नहीं मान रहे है । उसमें यह कहा है इसमें यह होना चाहिये और यह पासिबल न हो तो दूसरी बात है । तो मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि पासीबल क्यों नहीं हुआ और क्या क्या कारण थे और इन कारणों से क्या आप सन्तुष्ट हैं । परन्तु ऐसा न कर के वित्त मंत्री महोदय यह इन्सिस्ट कर रहे हैं हम से कोई कारण नहीं पूछ सकते, वे इसके लिए सदन के प्रति जवाबदार नहीं हो सकते तो आई···

We don't owe any explanation

मैं समझता हूं कि ऐसा करना संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है । इसलिए मैं फिर उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि मंत्री महोदय कारण बताने में असमर्थ रहे हैं, ऐसा रुख अपनाया है जैसे इसकी कोई आवश्यकता वे नहीं समझते, तो इनको इन्हें पेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री चन्दनमल बेद : उपाध्यक्ष महोदय, न मैंने यह कहा कि कोई कारण है और न ही कोई ऐसा रुख मैंने अपनाया है कि मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता । मैंने तो केवल इतना निवेदन किया है कि साल समाप्त होने के पहले पहले सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट कभी भी लाई जा सकती है । चूंकि साल समाप्त नहीं हुआ है इसलिए सप्लीमेंटरी ग्रान्ट यहां पर पेश की जा सकती है ।···

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं ।···

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में पढ़ कर सुना दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए ।···

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री को यह अधिकार है, उनका बहुमत है, जैसा चाहें करें लेकिन टैक्नीकली वे यह नहीं कह सकते कि बजट पास होने के पश्चात् इसके पूर्व के खर्चे के सम्बन्ध में ग्रान्टस् बाद में पारित करावें । यहां आपकी मेजोरिटी है । मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्क्रीशन का आपको कोई स्ट्रीक नहीं है । कोई रुकावट नहीं हो सकती है लेकिन एक यह आर्डरली, प्रोसिजर की बात है । Putting the cart before the horse. यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । अगर आप ने इसको वित्तीय वर्ष के बजट पास होने के पहले पारित करवा लिया होता तो बेहतर होता इसके अलावा कोई डिमान्ड्स पास करा लेते । एक वित्तीय वर्ष पूरा हो गया उसके बाद उसके पहले के खर्चे के सम्बन्ध में डिमान्ड्स पारित कराना, करोड़ों रुपयों की यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । यहां मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के आधार पर माननीय सदस्य ने आसन का ध्यान आकर्षित किया है ।···

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से बजट पास होने के बाद आपको सप्लीमेंन्टरी ग्रान्ट्स के रूप में नहीं, आप एक्सेस ग्रान्ट्स के स्वरूप में इनको ला सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में भी ला सकते हैं। वैसे आपको यह अधिकार है बजट ईयर के बाद जितना एक्सेस हो जावे जो हाउस ने ग्रान्ट की है, उसके अलावा नेक्स्ट ईयर में उसको पास करवा सकते हैं। बजट से पहले करवाते हैं, यह परम्परा है। सप्लीमेंन्टरी ग्रान्ट के रूप में इनको नहीं रखा जावे बल्कि एक्सेस ग्रान्ट के रूप में इनको मंत्री महोदय यहां पर लावें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अभी माननीय सदस्य डूंगरपुर से आने वाले ने कहा··· Putting the cart before the horse. लेटेस्ट टैक्निक यह आई है, यह माननीय सदस्य को संभवतः मालूम नहीं है। अभी जो नया ट्रैक्टर आया है उसका इन्जन तो पीछे हैं और ट्रोली आगे हैं। इसी तरह से लेटेस्ट हवाई जहाज है जिसका इन्जन पीछे है और यही लेटेस्ट परम्परा यहां पर भी है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के बारे में व्यवस्था का प्रश्न यहां पर उठाया है। उनका मुख्य मुद्दा यह है कि 75–76 का आय-व्ययक सदन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् 74–75 की सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट, अनुपूरक अनुदान की मांग जो हैं, उनको सदन में स्वीकृति हेतु नहीं लाया जा सकता है···

श्री मनोहर लाल : यह भी कहा है अगर वित्त मंत्री लाते हैं तो उसके कारण बताएंगे सदन को ? मंत्री महोदय ने ये कारण नहीं बताये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह वित्त मंत्री महोदय ही बता सकते हैं। मैं तो नहीं कह सकता। मैं यह निवेदन कर रहा था, मैंने इस सम्बन्ध में गत वर्ष के कार्यक्रम को भी देखा है, उसमें भी 27 मार्च, 74 को राजस्थान विनियोग विधेयक, 74 को पारित किया गया है और उसके बाद ही अनुपूरक अनुदानों की मांगे सदन द्वारा स्वीकृत की गई हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि जो कन्वेन्शन है, जो सदन की परम्परा है, यह है कि मुख्य बजट पास होने के उपरान्त सप्लीमेन्टरी ग्रन्ट बाद में ली जाती है इसके अतिरिक्त यह प्रश्न है, चूंकि आज वार्षिक वित्तिय वर्ष 74-75, 31 मार्च तक चल रहा है, इसलिए 31 मार्च से पहले पहले सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स को लेकर वित मंत्री सदन में आ सकते हैं। इसमें कोई कानूनी, वैधानिक आपति प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा यह मामला कार्य सलाहकार समिति में, जैसी कि हमारी कार्य सलाहकार समिति की कार्य प्रणाली है, जिसमें विरोधी दल के माननीय सदस्य, सदन के माननीय नेता, चीफ व्हिप, माननीय अध्यक्ष, इन सभी के परामर्श से कार्य सलाहकार समिति बिजनेस का आर्डर तय करती है बिजिनेस आर्डर में 75–76 के बजट को पारित करने के बाद यह तय किया गया था। उसके बाद ही सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लेने का तय किया गया है।...

इसलिए मैं जो माननीय सदस्य ने यह उठाया है व्यवस्था का प्रश्न उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं, और उसे नामन्जूर करता हूं।

श्री मनोहरलाल : मेरे पाइंट पर रूलिंग नहीं आई है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूलिंग क्वेश्चन नहीं होती है ।

श्री मनोहरलाल : रूलिंग को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री मनोहरलाल : मेरे पाइंट पर रूलिंग नहीं आई है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने एलाउ कर दिया है वित्त मंत्रीजी को सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स प्रस्तुत करने के लिए ।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

वित्त मंत्रीजी ।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,23,83,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,16,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 14, 18, 33 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

1. श्री मनोहरलाल (कामां) : मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम राफ, हातुली, सुनैडा तहसील कामां में विद्युतिकरण नहीं हुआ अतः ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर के साप्ताहिक समाचार पत्र 'लाल निशान' को 'अ' श्रेणी में स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

3. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल को रोकने के लिये स्थायी व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य पर लगे मजदूरों को समय पर राशन, वेतन आदि नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

5. श्री दीपंकर (लाडनूं) : मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में

(श्री दीपंकर)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत् मण्डल द्वारा गांवों में बिजली देने में शिथिलता बरतने के कारण ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 258 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री की खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपूर्ण राहत कार्यों को पूर्ण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

8. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को दिये जाने वाले कर्जों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 258 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालयों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर धन का दुरुपयोग रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

11. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा ग्राम का विद्युतिकरण करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झाब के पास इटादा-तोतड़ा गुढ़ोहमा वगैरह ग्रामों का विद्युतिकरण करने पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर पावर हाउस से 24 घंटों तक बिजली सप्लाई करने में उदासीनता अपनाने पर ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत् मण्डल द्वारा भीनमाल से झाब एवं भीनमाल से करेड़ा—सांचोर रानीवाड़ा से सांचोर एवं मण्डार से रानीवाड़ा 33 के वी. विद्युत् लाइनों का प्रसार नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में आर. ई. सी. की योजना क्रियान्वित करने में मण्डल की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में कृषि कुओं पर बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने की चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

17. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चीतलवाना बांध पर अकाल राहत कार्य चालू रखवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में राहत कार्य के अभाव में कई मजदूरों के भूख से मरने की आशंका पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में अकाल राहत कार्य खोलने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल सहायता कार्य खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (प्राकृतिक विपदाओं के मुआवजे के लिए जिला जालौर में धन-राशि आवंटन में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

22. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल विद्युत (हाईड्रो) योजना बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर को 132 के. वी. लाइन से मिलाने में मण्डल की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय) राज्य सरकार द्वारा विद्युत विकास की दृष्टि से बाड़मेर जिले की अवहेलना जिस पर असंतोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील के (1) रामपुरा, (2) अजीत, (3) मीयों का बाड़ा, (4) भाना-वास, (5) कोटड़ी, (6) मजल, (7) मठ खंरटिया, (8) सामूजा, (9) गोडा का बाड़ा, (10) पतरों का बाड़ा, (11) भाले का बाड़ा, (12) दइपु (13) लालीया, (14) खंरटिया, (15) ढीढ़स के विद्युतिकरण नहीं किये जाने से ग्रामीण जनता में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के कवास तक विद्युत लाइन जाती है जिसके बादतू ग्राम जो बादतू पंचायत समिति का मुख्यालय है के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सूचना केन्द्र के खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

27. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की जयपुर से टेलीप्रिन्टर से सीधा सम्पर्क कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति होते हुये भी राहत कार्यों के खोलने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के समय बाड़मेर जिले में जिन ग्राम की जल संकट समस्या गंभीर है वहां ट्रकों से टंकियों द्वारा अपर्याप्त पानी पहुंचाने के कारण ग्रामीण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

30. श्री भोपालसिंह (सुजानगढ़): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में हाईडल शक्ति न पहुंचाने से वहां का भू-तल गत जल का उचित उपयोग न होने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु प्रधान इलाकों में पशुओं के विकास सम्बन्धी महत्व को नजर अन्दाज करने पर उचित राहत न पहुंचाने से वहां की आर्थिक ढांचे के अस्त-व्यस्त होने की संभावना पर चर्चा के लिये)।

32. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में विद्युतिकरण हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई इस पर चर्चा के लिये)।

33. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 734 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत मण्डल को दिये जाने वाले ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 258 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राणावत आयोग की सिफारिशों को मुद्रणालय कर्मचारियों पर लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 285 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विज्ञापन देने की वर्तमान दोष पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपूर्ण अकाल-राहत कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

37. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 258 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राणावत

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कमेटी की रिपोर्ट को मुद्रणालयों पर लागू करने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर लाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अन्दर बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। काश्तकार और उपभोक्ता कनेक्शन की एप्लीकेशन्स देकर के और अपने फार्म भरकरके 6–6 महीनों तक कनेक्शन के लिए घूमा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर जिले के गोपालगढ़ कस्बे का उदाहरण देना चाहता हूं। आज से लगभग एक वर्ष पहले माननीय राज बहादुर जी गोपालगढ़ आये और उन्होंने वहां विद्युत् योजना का उद्घाटन कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय। वहां पर . . .

श्री उपाध्यक्ष : अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्राइवेट बिल के सक्यूंलेशन के बारे में जानकारी चाही थी। उसके बारे में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य रामानन्दजी के प्राईवेट बिल का सक्यूंलेशन दिनांक 26–5–73 को किया गया है। नियमानुसार दूसरी बार उसके सक्यूंलेशन की आवश्यकता नहीं है। चूंकि कार्यालय में उस बिल की प्रतियां बहुत ही सीमित हैं इसलिए यदि कोई माननीय सदस्य यह चाहे कि उनके पास कापी नहीं मिली हो या बहुत आवश्यक है तो कार्यालय से 1–2 कापी प्राप्त कर सकते हैं। सक्यूंलेशन का जहां तक सवाल है वह सक्यूंलेशन पहले ही हो चुका है।

प्लीज कन्टीन्यू।

श्री मनोहरलाल : गोपालगढ़ के काश्तकार और उद्योग चलाने वालों ने करीब पचासों ने दरख्वास्तें दी 6 महीने पहले, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन लोगों को एक–एक वर्ष हो गया है और आज तक उनको कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है गोपालगढ़ में ?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आप कहीं भी चले जांय आपको हर जगह शिकायत मिलेगी कि विद्युत् मण्डल के अमूमन असिस्टेन्ट इन्जीनियर 500) रु. और एक हजार रुपये लेकर बिजली के कनेक्शन देते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार, उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमे में घुसा हुआ है। कहते हैं कि समाजवादी महकमा है, पब्लिक अन्डरटेकिंग है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस समाजवादी महकमे में है उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहीं भी नहीं है। सिंचाई और पी. डब्ल्यू. डी. विभाग इस बात के लिए बदनाम हैं, लेकिन वहां पर कम से कम पर्सेन्टेज तो है। पर्सेन्टेज से तो काम करते हैं, उसको भी मैं अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन यहां तो कोई सीमा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मण्डल ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। वह बात तो एक दूसरी है कि बढ़ाना उचित है या अनुचित है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर जिलों में 10–10, 15–15 बीघे के खेत वाले काश्तकार हैं। उन काश्तकारों को इस बात के लिए मजबूर करें कि आप कनेक्शन के लिए कनेक्शन लेने

(श्री मनोहरलाल)

से पहले 1920 रुपये मिनिमम चार्ज के जमा करायेंगे। बिजली का उपयोग करें या न करें पीछे, घन्टा भर करें या दो घन्टा करें, दो बीघे को पानी दें या 10 बीघे को, मगर उनको 1920 रुपया जमा कराना पड़ेगा..

(11.50 मध्याह्न पूर्व)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

उसका नतीजा यह हुआ, सभापति महोदय, कि लोगों ने कनेक्शन काट लिये और मोटरें बेच दीं और सिंचाई का काम बन्द कर दिया। आप जोधपुर, पाली जैसलमेर, बाड़मेर जहां-जहां बड़े-बड़े होल्डिंग्स हैं, जहां बड़े-बड़े काश्तकार हैं उन पर आपका यह लागू हो सकता है, लेकिन जहां छोटे होल्डिंग्स हैं खास तौर से भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर में उनके लिए यह रेट कम कर देना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह करना है, सभापति महोदय, इस महकमे के भ्रष्टाचार के बारे में कि शाहपुरा के काश्तकार पहले भी आये थे और आज भी आये हैं। उनका कहना है कि वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर एक-एक हजार रुपया मांगता है। कुछ लोगों से लिए हैं, कुछ लोगों ने एडवान्स की बात की है और उनको कनेक्शन का वायदा किया है। इस पर पचासों काश्तकारों ने अपने कुओं पर मोटरें लगा लीं, लेकिन उन लोगों को आज तक कनेक्शन नहीं मिला।

सभापति महोदय, इस तरह का भ्रष्टाचार इस विद्युत मण्डल में व्याप्त हो गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम और विभागों में आपका यह चलता आया है वह चलता रहेगा कमीशन का पर्सेन्टेज का लेकिन बिजली का प्रकाश का काम है इसमें भ्रष्टाचार घुस जायगा तो स्टेट में कुछ होने वाला नहीं, सारी जगह अन्धकार हो जायगा।

एक बात और इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जिन गांवों से 40–40, 45–45 दरख्वास्तें हों उन गांवों को कनेक्शन क्यों नहीं देते ? खर्चा कम नहीं पड़ता है तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कामां तहसील में रास गांव है उस गांव की 40 दरख्वास्तें कनेक्शन के लिए हैं। गांव से होकर बिजली का लट्ठा जाता है। वहां पर आपको बिजली के खम्भों का खर्चा नहीं करना पड़ता है। उसमें यही बात है कि बिजली देना पड़ेगी। न वहां पर तार का खर्चा है न और कोई खर्चा है केवल एक ही बात है कि आपको लेबर चार्जेज खर्च करना पड़ेगा वह भी आप वसूल करते हैं कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। जिन गांवों में होकर लाइन्स जाती हैं, जिन गांवों के पास में होकर लाइन्स जाती हैं ऐसे बहुत से गांव हैं सभापति महोदय, बंधेड़ा, बलाखा, फतेहपुर, कोटड़ा नीमली, हैं और भी बहुत सारे गांव हैं जिनके बीच में बिजली की लाइनें जाती हैं और काश्तकार बराबर मांगते रहे हैं। आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो, सभापति महोदय, ऐसा निवेदन करूंगा कि आप इनको बिजली दें।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, सभापति महोदय, अगर भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते हैं तो कम से कम उसका नाम ही बदल दें जैसा कि डाक्टर लोग करते हैं

(श्री मनोहरलाल)

कि किसी बीमारी से छुटकारा पाना है तो उसका नाम बदल दो। हैजे से छुटकारा मिल गया। हैजा तो होता ही है लेकिन उसका नाम रखा गया है आन्त्र-शोध। उन्होंने कहा हैजा मिट गया है और उसकी जगह आन्त्रशोध आ गया। इसी तरह से कहा गया कि टायफायड मिट गया। टायफायड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका नाम बदल दिया है। क्या नाम है टायफायड का? उसको एन्ट्रिक फीवर कहते हैं। बात वही है, सभापति महोदय। आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो मैं बधाई दूंगा और उनकी आत्मा को दुआ दूंगा, सभापति महोदय, कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय बरकत साहब थे उन्होंने इस बात को अनुभव किया तो उन्होंने कहा था कि या तो भ्रष्टाचार मिट जायगा या मैं मिट जाऊंगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात होती। वह जीवित होते और इस भ्रष्टाचार को देखते। आप इसको मिटाना चाहते हैं तो आप इसका नाम बदल दें। आप इसको भेंट कर दें या कुछ भी कह सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन कर रहा था कि बिजली के मामलों में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। जिन गांवों में लाइनें जाती हैं उन लाइनों पर आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। गांव वाले खर्चा करते हैं इसलिए उन गांवों में बिजली दें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, प्रेस के बारे में, अखबारों के बारे में। मैंने पहले भी निवेदन किया था सभापति महोदय, कि आप पत्रकारों के लिए, श्रमजीवी पत्रकारों के लिए। जो पत्रकार हैं, जो अखबार चलाते हैं उनके लिए एक मंडल का गठन हो। उनका कन्ट्रोल होगा। अच्छे पत्रकारों का प्रशिक्षण हो। आज घटिया पत्रकारिता क्यों पनपती है? उसका कारण यह है कि आप कोई सहायता नहीं देते हैं। आप स्वतन्त्र प्रेस की बात करते हैं लेकिन कोई स्वतन्त्र वातावरण नहीं हैं। सभापति महोदय यह क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अगर स्वतन्त्र प्रेस राजस्थान में चले और समाचार पत्र स्वतन्त्र हो, समाचारदाता स्वतन्त्र हों, तो सरकार की बात नहीं कहेंगे और सच्ची बात लिखने लगेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में सूचना केन्द्र कायम करें जहां पर कि जनता अपनी शिकायतें करें और जनता जो भ्रष्टाचार की बातें कहे वह अखबारों में छपना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं अकाल के बारे में। अकाल की बात यह है कि सारा हिन्दुस्तान और सारा राजस्थान आसमानी खेती पर निर्भर करता है...

जो खेती पर गुजारा करते हैं। पानी बरस जायगा तो खेती हो जाएगी। जाड़ा पड़ेगा, पाला पड़ेगा। सभापति महोदय, हमारे कामां तहसील में 23 तारीख को ओला वृष्टि हुई है। भयंकर ओला वृष्टि हुई है।

(श्री मनोहरलाल)
आप अकाल सहायता के नाम पर उनके लिए कुछ कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप काश्तकार से लेवी लेंगे। वह कहां से देगा। तो अकाल सहायता के नाम पर कम से कम इस सदन का सत्र समाप्त होने से पहले लेवी की नीति घोषित की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

काश्तकार को आप कम से कम यह बता दें कि लेवी नहीं ली जायेगी या लेवी ली जायेगी और वह किस प्रकार ली जायेगी। उसकी नीति क्या होगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, कृपया।

श्री मनोहरलाल : मैं यह महसूस करता हूं कि यह सदन समाप्त होने के बाद आप को महसूस होगा कि लेवी गलत तरीके से लगाई गई है। जब तक यह सरकार है, यह फौज है, यह सरकार चलती रहेगी। सभापति महोदय, खेती की सिंचाई के लिए पानी निकालें। इससे अच्छी पैदावार होगी। अच्छा अनाज मिलेगा।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) :-सभापति महोदय, मैं सबसे पहले विद्युत् के बारे में निवेदन करता हूं। विद्युत् के बारे में दो स्कीम हैं। एक तो साधारण स्कीम है। दूसरी एडवांस स्कीम है। जयपुर शहर के बारे में मैं निवेदन करूंगा। लोगों के हजारों प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं। सरकार ने एक भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। जयपुर जिले के किसानों की भयंकर समस्या है। सभापति महोदय, एडवांस स्कीम से लोगों ने 5,5 सौ रुपये जमा कराये हैं। पम्पिंग सेट के नाम से रुपये जमा कराये हैं। लोगों ने अपने जेवर बेच कर बिजली बोर्ड को रुपये जमा कराये हैं। लेकिन सरकार ने 18 जनवरी, 75 को आदेश निकाल कर इन दोनों योजनाओं में कनेक्शन देने से मना कर दिया। आज वह चड़स से भी पानी खींचने को मुहताज हो गये हैं। फिर सरकार लेवी लेने की बात कैसे करती है। किसानों से लेवी कैसे ली जायेगी। जब किसान का धान कट कर खलिहान में आ जायेगा। उसके बाद सरकार लेवी लेगी। जबकि उनको साधारण स्कीम में और एडवांस स्कीम में बिजली देने से मना कर दिया गया हैं। समय पर लोगों को विद्युत् नहीं मिलती है। किस प्रकार से लोगों के साथ में, किसानों के साथ में जो बिजली वाला महकमा हैं, वह मखौल उड़ा रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगह तो सरकार की बिजली व्यवस्था ही नहीं है। माउन्ट आबू में प्राईवेट कम्पनी चला रही है। वह किसी भी रेट में दे तो भी सरकार कोई हस्तक्षेप ही नहीं करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, यह बिजनेस की बात है। अभी 5 मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : 5 मिनट नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो अन्याय होगा।

श्री सभापति : समय नहीं है। अन्याय की कोई बात नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : पांच मिनट नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ढाई दिन के बाद तो सभापति महोदय, मुझे मौका मिला है।

श्री सभापति : आप दो मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जयपुर शहर के बाजारों में देख सकते हैं। यह कहा गया था कि अण्डर ग्राउण्ड कैबिन डाली जायेगी। जयपुर शहर के बाजारों में अन्धकार पड़ा हुआ है। विद्युत बोर्ड के लोग बैठे हुये हैं। सिरहड्यूढ़ी बाजार में आप चले जायें। जहां पर असेम्बली होती है। ट्यूब लाइटें आप लगा नहीं सकते हैं। पुराने जयपुर शहर में जो तार हैं वह बिल्कुल पुराने हैं। जोर की आंधी आ जाये। पानी आ जाये। तो अन्धकार हो जायेगा। तीन तीन दिन तक फ्यूज ठीक नहीं होता है। जो ठीक करने के लिए जाते हैं, उनके पास किसी प्रकार के औजार नहीं, प्लास नहीं। कुछ नहीं। जो जयपुर शहर में रहते हैं, उनको इसका पूरा आभास होगा। सरकार ने बिजली की रेट बढ़ा दी हैं। जिस प्रकार से सुविधा देनी चाहिए, वह देते नहीं हैं। जयपुर में कैबिन डालने की बात कही है, उसके आधार पर विद्युत बोर्ड ने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

गवर्नमेण्ट का जो अपना प्रेस है, उसके कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि उसकी मागें मानी जायेंगी। उनके वेतन देने के बारे में। उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अन्त में मैं एक ही मिनट और लेना चाहता हूं। राजस्थान में अकाल पड़ा। 200 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ है। 200 करोड़ रुपये में जयपुर से सवाई माधोपुर तक, जयपुर से अहमदाबाद तक, और उसी तरह से अकाल राहत में देखें तो बांसवाड़ा और सरदार गढ़, हनुमानगढ़ बनाया जा सकता था महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रुपयों का सदुपयोग किया गया है। राजस्थान सरकार पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकी। सीधी योजना पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है। पड़ोसी प्रान्तों ने मजबूती से अपनी बात केन्द्र में रखी है। वहां पर रेल्वे लाइन डाली जा रही हैं। अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में पैसा दिया जा रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

स्वयं हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने पैसे का सदुपयोग नहीं किया है। अकाल राहत में काम कर रहे हैं। उन मजदूरों को माइलो देते हैं, उसमें धतूरा मिला हुआ है। उनको बाजार से अनाज लाने के लिए विवश होना पड़ता है। महिला वर्ष में महिलाओं की मजदूरी पुरूषों के बराबर होनी चाहिए। राज्य सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाये। पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है। भविष्य में अकाल का समाधान होना चाहिए। इसका ठोस समाधान करने के लिए कमेटी बनायें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं समझता हूं कि पिछली भूल हुई है, वह भूल को कमेटी बतायेगी। राजस्थान में अकाल न पड़े, अकाल राहत कार्यों में पैसा का सदुपयोग हो इसकी कमेटी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

श्री केसरीमल : सभापति महोदय, हम विद्युत् विभाग की मांग मंजूर करने जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है, जो स्कीम गांवों को विद्युत् देने के लिए बनाई जा रही है, उस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि गांव उस लाइन के नीचे आ जाय, उनको कनेक्शन मिल जाय। माननीय सभापति महोदय, कई जगह लाइन गई है मीलों दूर तक लेकिन उसके बावजूद वहां उनको इतने कनेक्शन नहीं मिले हैं जिससे इस विभाग की आमद बढ़े। लेकिन कई गांव बीच में आ गये हैं, जिनसे आमद बढ़ सकती है, लेकिन मजबूरी यह है कि उनको यह कहें कि इतने गांवों के लिए स्कीम मंजूर हुई है, बाकी के गांवों को नहीं मिलेगी। तो एक तरफ तो आमद नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उन गांवों में कनेक्शन मिलने से आमद हो सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है। विद्युत् विभाग का जो यह सिलसिला है इसको ठीक से बैठाया जाय तो फायदा हो सकता है।

ऐसी ही जो स्कीम बनी हैं, उसके लिए लम्बे अर्से तक इल्तजा की जाती है किसानों की तरफ से कि इससे कुछ दो तीन मील और आगे बढ़ा दें तो किसानों के कुओं को बिजली मिलेगी और पैदावार बढ़ेगी और विद्युत् विभाग को फायदा होगा। विद्युत् विभाग का घाटा कम नहीं हो रहा है, एक तरफ यह हाल है, दूसरी तरफ यह स्थिति है कि इस विभाग में चोरी होती है, भ्रष्टाचार बेहद है, कनेक्शन बिना पैसा दिये मिलते नहीं हैं। साथ ही चोरी की भी हद नहीं है। डीडवाना का किस्सा है, सभापति महोदय, वहां मीटर में क्या क्या करके, न मालूम क्या क्या तरीके से विद्युत् की चोरी करते हैं। जब कर्मचारी हैं विद्युत् के, उन्होंने चोरी पकड़ी ..

श्री विजयसिंह : कोरम का अभाव है, माननीय सभापति महोदय !

श्री केसरीमल : कोरम नहीं होगा, होली है। चलने दीजिए।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : बस। माननीय सदस्य !

श्री केसरीमल : डीडवाना में और जगह भी इस तरह से जो विद्युत् की चोरी होती है, वहां के कर्मचारी सतर्क होकर चोरी को पकड़ते हैं तो उनकी पिटाई होती है। ऐसी घटना डीडवाना में हो गई। वहां पर लोग स्ट्राइक पर हैं, टूल डाउन स्ट्राइक पर हैं। कर्मचारियों ने चोरी करते हुए पकड़ा तो उनकी पिटाई हो गई। पिटाई हो गई, तो वह विभाग को कहते हैं, सरकार को कहते हैं तो उनकी रक्षा नहीं होती है। एक तरफ विभाग के पैसे की बचत करने, चोरी को रोकने का प्रयास करते हैं कर्मचारी, दूसरी तरफ उनकी पिटाई होती है। वह मार खाकर वहां से आये तो उनको यहां से दण्ड मिले कि तुमने लड़ाई लड़ी थी।

(श्री केसरीमल)

मैं निवेदन कर रहा था, इसी प्रकार कई चोर इस विभाग में ही काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा चोरी हो रही है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो राजनैतिक आड़ में बड़ी बड़ी चोरी करते हैं। वह पकड़े भी गये हैं। मैंने कई बार जिक्र किया है, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, पता नहीं आपके विभाग को क्यों प्रेम है चोरी करने वालों से कि उनको कुछ नहीं कहा जाता है। इस कारण चोरी करने वाले बरकरार हैं। उनको सस्पेन्ड करने वाली बात तो दूर उनका एक्स्प्लेनेशन तक काल नहीं किया जाता। लेकिन जो ईमानदारी से करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी भ्रष्ट करते हैं। इस प्रकार चोरी करके सीना जोरी करते हैं। इस प्रकार इस विभाग में चोरी बढ रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट हुए हैं...

श्री सभापति : तीन मिनट। एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री केसरीमल : कम से कम दस मिनिट तो देंगे।

श्री सभापति : आप एक मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री केसरीमल : इसी प्रकार मजदूरों के साथ में विभाग में ज्यादती हो रही है इसका जिक्र किया था एडजोर्नमेंट मोशन के जरिए। इस विभाग के अन्दर हजारों लोगों की छटनी करदी, लोगों को निकालने के लिए छटनी करदी, उनको तनख्वाह से और नौकरी से वंचित किया। तो न यह विभाग कर्मचारियों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार करता है और न चोरी रोक सकता है और न कर्मचारियों की रक्षा कर सकता है जो चोरी को रोकने का प्रयास करें। आखिर यह करना क्या चाहते हैं। इस कारण लोगों के सामने बड़ी मुश्किल पदा होती जा रही है। विभाग इन कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा तो कारखाने लगातार बंद होंगे, और हो रहे हैं। इससे नुकसान और होगा। आज भी कारखानों की पैदावार में नुकसान हो रहा है, मजदूरों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि विद्युत् पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। जो आपका पावर स्टेशन हैं, एटम एनर्जी का, यह लगातार बराबर कभी दस दिन, कभी पांच दिन, कभी दो महीने बन्द होता है। एनर्जी कम होने के कारण नुकसान हो रहा है। इसका आल्टरनेटिव कुछ सोचना चाहिए, दूसरी पावर को आपको पनपाना चाहिए, चाहे वह थर्मल पावर लगायें जिसके द्वारा कमी की पूर्ति की जा सके। इस पर सरकार संजीदगी के साथ ध्यान नहीं दे रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनिट और कह दूं।

सरकार के सामने बराबर फेमिन कार्य खोलने के लिए लोगों की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से उठाया गया, सरकार ने कहा भी है, विचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ करेंगे। यह कहा है कि अप्रेल तक काम खोलने की बात करेंगे, लेकिन अभी तक, सभापति महोदय, खबर नहीं है कि गांवों में काम खोलने की बात

(श्री केसरीमल)

की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि फेमिन के काम नहीं खोले हैं और वहां हालत गम्भीर होती जा रही है। जहां फेमिन है वहां राशन नहीं भेज रहे हैं, शक्कर नहीं भेज रहे हैं, और बिलकुल अव्यवस्थित कर दिया है। उनको खुद के हाल पर छोड़ दिया है, जिन्दा रहो तो जिन्दा रहो। मर जाओ तो मर जाओ। सरकार की जिम्मेदारी है कि काम खोले, राशन की व्यवस्था करे और उनको शक्कर दे (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) साथ ही कह रहा हूं कि पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है। ऐसे समय में जब लगातार अकाल पड़ते हैं, चम्बल का पानी अजमेर जिले में क्यों न ले जाय और पीने के पानी की व्यवस्था वहां पर क्यों न की जाय। आज हालात है, पानी नहीं मिल रहा है। जो व्यवस्था है इसको बदला क्यों नहीं जाय, इसका स्थायी हल क्यों नहीं किया जाय···

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री केशरी मल : साथ ही मेरा कहना है कि प्रेस कर्मचारियों के ऊपर राणावत कमीशन की सिफारिश लागू करने का झगड़ा बार बार आया है, इसको लेकर हड़ताल हुई है और बार बार आश्वासन दिये हैं कि उनकी मांगों को मान रहे हैं। लेकिन वायदा करके भी मागों को मंजूर नहीं किया गया है। यह मजदूर विरोधी बात है। उनकी मांगों को मानना चाहिए और राहत देनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत ! (विराम) आपकी रुचि नहीं हो तो श्री रघुनाथ बिश्नोई को बोलने दें।

श्री सुरेशचन्द्र : सभापति महोदय, मेरे यहां ओले पड़े हैं, मुझे कहना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप विराजें।

सभापति महोदय, बिजली की मांग के ऊपर मैंने छः कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान जालोर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रानीवाड़ा में लाइन गई है, विद्युत् की और आस पास बिजली देने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन की पूर्ति करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। मण्डावर से रानीवाड़ा तक लाइन है, वह मण्डावर तक आती है और सिरोही तक 33 के. वी. की लाइन आ रही है। उससे उसे कनेक्ट करें। रानीवाड़ा लाइन आ गई है, लेकिन पावर हाउस बिलकुल ही चौबीस घण्टे नहीं चल रहा है। इससे जल प्रदाय योजना भी कनेक्टेड है। आज क्या होता है कि अकाल की समस्या है, लेकिन पीने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर में इंजन पहुंचा है मौजूदा इंजिन पहुँचा है वह खराब हालत में है। वह चल नहीं सकता है। इसलिए जब तक पावर लाइन नहीं लगायें तब तक वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। आज लोगों की हालात खराब हो रही हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 132 के. वी. लाइन आ रही है, लेकिन जैसा कहा यह लाइन अभी नहीं लग सकी है और सांचोर में जब डीजल सेट लगाने में घाटा हो रहा है तो बाड़मेर में जब 33 के. वी. लाइन ले जा सकते हैं तो सांचोर तक ले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाने में क्या आपत्ति है, जब कि रेकरिंग एक्सेज घाटे में जा रहा है। यह करने से रिलीफ मिल जायगा। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) इसके अलावा दूसरे एग्रीकल्चर कनेक्शन देने का है। 132 के.वी. लाइन आयेगी तब विचार करेंगे। इसकी ओर मैं कट मोशन के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जालौर में अकाल की स्थिति भयंकर है। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था काम खोलने का। मैं चाहूंगा, अविलम्ब उसके बारे में विचार करके दस मील के रेडियस में काम शीघ्र नहीं खोलेंगे तो लोगों की भुखमरी की स्टेज आ चुकी है, अब उनसे बर्दाश्त होगा नहीं। इस ओर बराबर ध्यान आकर्षित किया है। अविलम्ब काम शुरू करके जो लोग काम करना चाहें उनको काम पर लगाना चाहिए। आज गम्भीर हालत है, लोगों को राशन कार्ड और जोब कार्ड दे रखे हैं। इसके अलावा जो काम खोलें हैं, उन पर मजदूरों की बन्दिश लगायी हुई है, उसको हटा कर व्यवस्था करें वरना हालत गम्भीर हो जायगी।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, जैसलमेर में वैसे तो अकाल है ही और बहुत गम्भीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन यह गम्भीर स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। गत 14 मार्च को एक प्रश्न के दौरान माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि धतूरा मिला हुआ माइलो नहीं बांटा जाये और उस सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री ने यह आदेश भी दिया कि धतूरा मिला हुआ माइलो नहीं बांटा जाये। लेकिन जैसलमेर की यह स्थिति है कि जो कुछ सरकार देती है, जो धान सरकार द्वारा बांटा जाता है, लोग उसी पर ही निर्भर करते हैं, और वहां बिना माइलो के कुछ भी नहीं है और माइलो भी केवल 2000 क्विन्टल ही है।

आज से तीन साल पहले भी 1972 में यह प्रश्न आया था और उस समय भी लोगों ने कहा था कि माइलो का वितरण नहीं करना चाहिये और उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि अगर सैटिसफैक्ट्री धान दे सकते हैं, तब तो भले ही माइलो का वितरण स्टाप कर दीजिये पर अगर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो, और दूसरा कोई धान नहीं हो, तो माइलो ही बांटा जाये। उस समय फिर यही उचित समझा गया कि धतूरा मिला हुआ माइलो भी बांट दिया जाये। वह बांटा गया और हमारे यहां आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ और हकीकत में पोजीशन यह है कि जब आपके पास सारा धान नहीं है, तो जो सस्ता धान है, वह बांटना भी बन्द किया जाये, और इस तरह का आदेश सरकार की तरफ से दिया जाये, इससे बहुत परेशानी होती है। हम धतूरा मिला हुआ माइलो भी लेने को तैयार हैं, और जिस रेश्यो में माइलो मिलता है वह हम लेने को तैयार है और साथ में दूसरा धान भी दे दें। हर औरत वैसे भी धान साफ कर के ही प्रयोग में लेती है, और हम खुद ही साफ करके काम में ले लेंगे। गवर्नमेंट की मशीनरी इतनी एफीशन्ट नहीं है कि माइलो को अच्छी तरह से साफ कर दें। इसलिये आप हमारे यहां माइलो और दूसरा धान देना चालू कर दीजिये। यह मत करियेगा कि दस हजार टन माइलो ही

(श्री भोपालसिंह)

जैसलमेर में भेज दें और गेहूं दूसरी जगहों पर भेज दें। जिस अनुपात में हमें व्हीट मिलने चाहिये वह दीजिये और साथ में जितने अनुपात में माइलो देना चाहते हैं, वह माइलो दीजिये। हमारे यहां पर 11 साल से अकाल की स्थिति है। उन लोगों की क्रय शक्ति बिलकुल कमजोर हो गई है और फ्री मार्केट में कोई दाम नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट आप यहां पर दीजियेगा कि जैसलमेर में माइलो और दूसरे धान का बांटना चालू हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : सभापति महोदय, मैं अधिक न कह कर, संक्षेप में ही कुछ बातों के बारे में निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है कि कोटपूतली में सकराले की योजना है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

इसके अलावा कोटपुतली के पांच गांव हैं जहां पर बिजली लाने का वायदा किया था, लेकिन वहां पर कोई ट्रान्सफार्मर नहीं है और छः छः महिनों से लोगों के पैसे जमा पड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन पांच गांवों में, जहां लाइन भी डाली गई हैं, वहां तो कनेक्शन देने की कृपा करें।

अकाल के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई। गुजरी 22 तारीख की रात को मेरे क्षेत्र में काफी ओले पड़े हैं और दस प्रतिशत को छोडकर बाकी फसल बर्बाद हो गयी है और वहां के किसान बुरी तरह से बर्बाद हो गये हैं। सरकार को चाहिये कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत पहुंचाये। जहां 300 मन की पैदावार होनी चाहिये थी, वहां केवल 30 मन की ही पैदावार होगी।

(12.15 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये जल्दी से जल्दी उन्हें राहत देने की आवश्यकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। वहां पर अकाल राहत कार्य खोलने चाहिये ताकि किसानों को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विद्युत मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 में जो विद्युत परियोजनाओं में अव्यवस्था पर कटौती प्रस्ताव आये हैं, और जिन पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक विद्युत का प्रसार किया जाये और इसी दृष्टि से हम अपने कार्यक्रमों को बनाकर चलते हैं।

माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्पेसीफिक बातें और दिक्कतें सामने रखीं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी हमने बिजली पहुंचाई है वहां सभी को कनेक्शन मिले और सभी को लाभ पहुंचे यह हम चाहते हैं। लेकिन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विद्युत् का प्रसार बहुत लम्बे लम्बे डिस्टेंसेज से करना पड़ता है और इसकी वजह से हमारी लाइन्स पर इतना भार हो गया है कि वोल्टेज कन्ट्रोल करने में दिक्कत हो गई है और यही कारण है कि आज हमारे यहां ज्यादा दिक्कत महसूस की जा रही है। हम प्रयत्नशील हैं और ट्रांसफार्मर्स की कैपसिटी बढ़ा रहे हैं और बड़े ट्रान्सफार्मर्स अलग से ले रहे हैं। कई जगह हम ने लाइन्स भी बदली हैं और जहां जहां 33 के. वी. की लाइन्स की जरूरत समझी है वहां 33 के. वी. की लाइन्स हमने डाली है और आगे भी प्रयत्न कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान आकर्षित किया। हमारा प्रयास यही रहा है कि जहां जहां स्पेसीफिक चार्जेज सामने आये है, वहां हमने कार्यवाही की है और सजाएं भी दी गई हैं। इस बात में मैं माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहता हूं कि वे मुझे स्पेसीफिक केसेज बताएं। यह एक सेवा का काम है, ऐसा मैं मानता हूं और इसमें भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिये। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य स्पेसीफिक केसेज हमारे सामने लायें ताकि हम उनको कम करने में आगे बढ़ सकें।

जहां तक विद्युत् की चोरी का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था कि राजस्थान में विद्युत् के लासेज 28 प्रतिशत होते है। इस चोरी को कन्ट्रोल करने में राजस्थान विद्युत् मंडल ने काफी प्रयत्न किये हैं और अब वह घट कर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गई है। इस के बारे में हमने जो लाइन्स स्कुएड्स अपाइन्ट किये हैं, उन्होने काफी कार्य किया है और चोरी को पकड़ने में काफी प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि यह लासेज अब और भी कम हो जायेंगे और 18 प्रतिशत से भी कम जायेंगे। कई जगहों पर बिना मीटर के पावर लेने के केसेज सामने आये हैं और कहीं कहीं पर आफिससं भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और हमने कार्यवाही भी की है।

डीडवाना का इन्सटेन्स सामने आया। डीडवाना में हमारे स्टॉफ द्वारा चोरी पकड़ी गई तो वहां उनके साथ लोगों द्वारा मार-पीट की गई तो एक तरफ तो यह कहा जाता है कि चोरी पकड़ी जाये और दूसरी तरफ जब हमारा स्टॉफ चोरी पकड़ता है, तो उसके साथ मारपीट की जाती है। जनता द्वारा हमको सहयोग नहीं मिलता। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्र में हमें जनता द्वारा यह सहयोग दिलाने में मदद करें। हमारे स्टॉफ के साथ जिन लोगों ने मारपीट की, उनमें से कुछ अरेस्ट भी किये गये और चालान भी उनका कर दिया गया है। हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें जनता और माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। टेक्निकल कारणों से जो बिजली के लासेज होते हैं, उनको भी कम करने के हम प्रयत्न कर रहे हैं।

साचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां की स्थिति के बारे में ध्यान दिलाया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मैंने उनसे भी निवेदन किया था और आज फिर कह रहा हूं कि सिरोही से डकोला जल्दी लाइन आ जायेगी और सांचोर के अन्दर काफी बिजली आ जायेगी। तो मैं जालोर जिले के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जिले में काफी विद्युत की व्यवस्था अब हो गयी है। जैसा कि वहां पर आपने कहा कि सांचौर में 24 घन्टे बिजली नहीं चलती है तो उसके लिये हम यह कह सकते हैं कि डीजल का सेट है वह इतना नहीं चल सकेगा लेकिन बीस घन्टे तक बिजली चलती है या नहीं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां पर 20 घन्टे तक बिजली चाहे आप मत दें लेकिन वहां पर पानी के लिये आप जरूर बिजली दे दे ताकि काश्तकारों को तकलीफ नहीं हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : पानी के बारे में आपने जैसा कहा है उसके लिये हम कोशिश करेंगे कि दिक्कत नहीं हो इसके लिये हम कोई दूसरा डीजल सेट और लगायेंगे ताकि वहां पर पानी की तकलीफ नहीं रहे। जहां तक हाइडल लाइन का सवाल है इसमें तो समय लग सकता है। इसी प्रकार ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर बिजली की चोरी होती है और डिपार्टमेन्ट के लोग खुद ही चोरी करवाते हैं। उसके लिये मेरा यही निवेदन है कि हमारा फ्लाईंग स्क्वेड काम करता है चोरियों को पकड़ता है लेकिन इसमें आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिये और जहां कहीं भी चोरियां बिजली की पकड़ी गयी हैं उसके लिये हमने कार्यवाही की है और आगे भी करेंगे।

श्री केसरीमल : कोई कार्यवाही आपने नहीं की है आज भी वह लोग वहीं पर बैठे हुए हैं साल भर से।

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक सवाल अलमूनियम और ट्रान्सफारमर के बारे में बात की कि समय समय पर खराब हो जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर काफी सन्तोषजनक स्थिति है और अब हम आगे भी प्रगति कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कह सकता हूं कि इस वर्ष हमने आर- ई स्कीम्स के अन्तर्गत काफी प्रोग्रेस की है। और अभी इसी साल में हमने 30 आर. ई. स्कीम्स सैंक्शन की है। उस में कुछ में तो काम भी शुरू हो गया है और कुछ का काम शुरू हो जायेगा। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विद्युत मण्डल ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बिजली के लिये काफी जागरूक है। हमने ग्रामीण विद्युतिकरण के अन्तर्गत इस साल यह भी निवेदन कर दूं कि 11 हजार कुओं को बिजली दी है कनेक्शन दिये जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि 31 मार्च, 1975 तक इनकी संख्या लगभग 12 हजार हो जायेगी। इसी प्रकार हमने 307 लोकेलिटीज में बिजली नयी जगह दी हैं और समझता हूं कि इस महीने के अन्त तक हम 400 लोकेलिटीज में बिजली दे पायेंगे। तो इस तरह हम अपने सीमित साधनों से लगातार आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन कठिनाई तो आती ही है। इसका कारण है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें बिजली देने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी हम लाइन्स का कनेक्शन दे रहे हैं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और जल्दी से जल्दी ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य पूरा करेंगे । इसी प्रकार राज्य विद्युत् मण्डल क्या उद्योग में कृषि के लिये सभी स्तर पर बिजली देने की कोशिश कर रही है । इसके लिये हम छोटी बिजली की लाइनों को हटाकर 132 के. वी लाइन लगा रहे हैं । धौलपुर में 132 के. वी. लाइन डाल रहे हैं इसी प्रकार भीनमाल और जालौर में 132 के. वी. पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । इस तरह से हम विकास की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं आप लोग जहां कहीं भी कोई लूपहोल्स रह गये हों वह आपको नजर आये तो आप हमें बतावें तो हम उनके लिये कार्यवाही करेंगे । इस प्रकार जहां कहीं भी बिजली की लोग चोरी करते है उन्हें आप हमें पकड़वाने में मदद करें ताकि हम आगे बढ़ सके ।

श्री केशरीमल : जो मजदूरों की छंटनी हो गयी थी उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि वर्कचार्ज लोगों की छंटनी के लिए रूल्स बने हुए है । उसी के अनुसार तो इन वर्कचार्ज केजुअल लेबर्स का एपोइन्टमेन्ट किया जाता है और उसी के अनुसार जब काम नही होता है तो समय समय पर उन्हें निकाला भी जाता है । यह तो जरूरत पर है कि उनको रखना भी पडता है और समय समय पर उन्हें निकालना भी पडता है । और जिनको भी निकालते हैं उन्हें रूल्स के अन्तर्गत जो भी बेनीफिट मिल सकते है वह देकर निकालते हैं । बिना बेनीफिट दिये किसी को भी नहीं निकाला गया है और गैरकानूनी कार्यवाही भी नहीं की गई है ।

श्री केसरीमल : कोई भी बेनीफिट नहीं दिया गया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी बात नहीं है । उनके संगठन बने हुए है । उन संगठनों से बातचीत करने के बाद एक्शन लिया गया है । वैसे माननीय सदस्य जानते हैं कि इनके लिये लेबर लॉ बने हुए हैं उसी के अनुसार ही कार्यवाही होती है । बस इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 14 को स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल राहत मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मांग संख्या 33 के संबंध में यहां पर सदन में जैसलमेर और कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्यों ने व दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । इनमें माननीय सदस्यों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का था कि अकाल राहत कार्य खोले जाय और अभी जो कार्य चल रहे हैं वह कम है इसलिए राज्य सरकार को चाहिये कि अधिक से अधिक अकालग्रस्त क्षेत्रों में कार्य खोले जाय । राज्य सरकार ने पहले अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को राजस्थान कैनाल के एरिया में काम करने के लिए कहा लेकिन परिस्थितियां उन लोगों के अनुकूल नहीं होने से वहां पर लोग अधिक नही जा सके । इसलिए राज्य सरकार ने और अधिक राहत कार्य खोलने का निर्णय ले लिया है ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अभी तक अकाल राहत कार्यों में एक लाख 70 हजार मजदूर काम करे रहे हैं। अप्रेल तक चार लाख लोगों को काम देने का राज्य सरकार ने तय किया है। यह कार्य वहां पर खोले जायेंगे जहां पर कि अकालग्रस्त एरिया है। इसमें उस एरिया में जो स्थानीय उत्पादक कार्य होंगे उन्हें हाथ में लिया जायेगा। इसके अलावा पिछले अकाल के समय जो कार्य अधूरे रह गये थे उन्हें भी पूरा करने का कार्य किया जायेगा। इसके अलावा वहां पर जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं या वहां पर योजना नयी बनने वाली है उन्हें पूरा किया जायेगा। इसके अलावा यह कार्य अकालग्रस्त क्षेत्र के दस मील के अन्दर अन्दर खोले जायेंगे। इनके लिये निर्णय ले लिया गया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसमें चार लाख लोगों को काम देगी। इसलिये जैसा कि कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले 22 मार्च को बरसात हुई है उसमें ओले पड़े हैं जिससे कि फसल को काफी नुकसान हो गया है। इसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि अभी तक तो राज्य सरकार के पास फसल ओलों से खराब होने की कोई खबर आयी नहीं है। हमने इसके लिये जानकारी चाही है और अगर इससे किसी प्रकार का नुकसान फसल को हुआ होगा तो वहां पर जिलाधीश से रिपोर्ट आने पर तात्कालिक राहत दी जा सकेगी। इसके लिये राज्य सरकार उस पर जरूर कार्यवाही करेगी। इसी प्रकार जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां पर बुरी तरह से अकाल पड़ा हुआ है और लोगों को खाने को कुछ भी नहीं है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि पहले जो धतूरे के बीज मिली हुई माइलो दी जाती थी उसे ही राज्य सरकार को चाहिये वह माईलो वितरित कर दी जाये। वहां पर उसको साफ कराकर काम में ले ली जायेगी। चूंकि वह माईलों वहां के लोगों ने खायी थी और उससे वहां पर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा इसलिये आप उस माईलो को वहां पर वितरित करा दें ताकि लोगों को राहत मिले। चूंकि इस बारे में पिछले सदन में एक प्रश्न पूछा गया था और काफी वाद-विवाद हुआ था इसलिये खाद्य मन्त्री महोदय ने उस माईलो को वितरित करने को मना कर दिया था। अब जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है तो राज्य सरकार इस बारे में विचार करेगी। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर के एरिया में अगर वहां पर लोग चाहेंगे तो वितरण करने के बारे में राज्य सरकार विचार करेगी। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में 1972 में जो लोगों को पैसे दिये जाते थे उनके अनुरूप अब पैसे कम दिये जा रहे हैं तथा कहां कितना कार्य खोलना चाहिये यह तो जिलाधीश की रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है इसमें राज्य सरकार किसी को कम पैसा मिले या कम काम खोले जायें इसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि रिलीफ वर्क्स के लिये राज्य सरकार कोई कोताई नहीं करेगी। वह आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं अब मुख बन्द का उपयोग करता हूं।

Page No 112

(112)

मांग संख्या 14

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,23,83 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 8,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 5,16,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,29,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,06,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,32,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)

1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,72,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,98,67,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 93,39,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,03,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 3,30,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,48,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को 8,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,23,49,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,19,82,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,06,10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 72,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31, मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,80,71,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,28,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 57,27,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,72,79,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 49,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,28,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,70,22,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,18,88,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,62,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1,67,75,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,57,62,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 51,78,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,76,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,27,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,93,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 73,99,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 43,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,13,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विराम

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,92,59,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विराम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)
महोदय को 5,64,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधेयक का पुरःस्थापन—माननीय मंत्रीजी,

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक सदन के सामने आज प्रस्तुत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अन्य देशों में मूल्य वृद्धि हुई है उसी अनुपात में अन्य देशों में मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। पर हमारे राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अन्य देशों में मूल्य वृद्धि और मजदूरी का अनुपात इस प्रकार से है:—

	मूल्य वृद्धि	मजदूरी में वृद्धि
इटली	47.5	62.5
इंगलैण्ड	45	67.5
जापान	40	87.5
पश्चिमी जर्मनी	37.5	40
कनाडा	35	45
फ्रांस	32.5	65
आस्ट्रेलिया	30	52
अमेरिका	25	37.5
बेल्जियम	10	75

और भारत का हाल यह है कि मूल्य वृद्धि 125 से 150 प्रतिशत तक हुई है और मजदूरी में केवल 20 से तीस प्रतिशत तक ही वृद्धि की गई है। अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत और राजस्थान की स्थिति कहां पर जाकर रुकी हुई है। अब मैं पावर कट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पावर में 1965 से लेकर 68 तक 23 परसेन्ट कटौती की गई थी और 68 से 71 तक 45 परसेन्ट कटौती की गई और 71 से 73 तक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पावर में 34 परसेन्ट की कटौती की गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आदरणीय भार्गव साहब, क्या आपने समाजवादी देशों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के आंकड़े देखने का कष्ट नहीं किया। यह तो केवल पूंजीवादी देशों के ही आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको उन्हें सहयात्री बना लेना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो भारत में ही रहूंगा, आप जाइये वहां। मैं तो यहीं पर पैदा हुआ और यहीं पर अपना काम करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: तब तो दोनों साथ चलेंगे वहीं।

श्री उपाध्यक्ष ; क्या माननीय सदस्य पिछले तीन दिनों की कसर निकालना चाहते हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल नहीं बोला हूं, मांगों पर भी नहीं, इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुद्रास्फीति के बारे में भी यहां चर्चा की गई। 1969 तक 5136 करोड़ रुपये के नोट छापे गये और उसके बाद तीन वर्षों में ही नोटों की संख्या 9518 करोड़ हो गई यानि केवल तीन वर्षों में 4582 करोड़ के नोट छापे गये। सरकार के पास कागज के नोट छापने के लिये तो कागज बहुत है परन्तु अखबार वालों के लिये उनके पास कागज नहीं है। विद्युत् का उत्पादन भी घटा है और राजस्थान में भी विद्युत् का उत्पादन घटा है। दूसरी ओर मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इतने नोट छापने के कारण भयंकर रूप से देश में मुद्रास्फीति हुई है। देश का 2336 करोड़ रुपया केवल 12 परसेन्ट लोगों के पास है और बाकी का पैसा है जो केवल 1411 करोड़ है। ऐसी स्थिति में अब माननीय वित्त मन्त्रीजी कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि वे आगामी वर्ष में आर्डिनेन्स के मार्फत कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा है कि घाटा है वह हम 28 करोड़ का केन्द्र से पूरा कर लेंगे और वे इस घाटे को पूरा करने का प्रयास करेंगे परन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और उनको चुनौती देना चाहता हूं कि 31 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो जायगा और फिर वे आर्डिनेन्सेज के मार्फत जनता पर टैक्सेज लगायेंगे। पिछले वर्ष भी उन्होंने ऐसा किया था। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह विधेयक अप्रजातान्त्रिक है और यह सरकार एक धोखाधड़ी की सरकार है, जनता को धोखे में डालना चाहती है। और टालमटोल करके यह कहना चाहते हैं कि हम केन्द्र से सहायता ले लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण भी इसी प्रकार से कहा गया है, केन्द्र की ओर मुंह ताकने का है ऐसा खूबसूरत इनका चेहरा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और पांव इनके हैं नहीं। इस प्रकार का जो चित्र इन्होंने राजस्थान का किया है वह जनता को धोखा देने के लिए किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा में चार बार राजस्थान में ड्राईपोर्ट बनाने की घोषणा की गई यह भी कहा गया कि तेल शोधक कारखाना बनाया जायगा। वह मथुरा में बन

Page No 120

(120)

(श्री उपाध्यक्ष)

गया परन्तु हमारी राजस्थान सरकार की हमेशा इस ओर उदासीनता की नीति रही है। केन्द्रीय सरकार जो विकास करना चाहती है, जो कुछ देना चाहती है वह उनकी ओर प्रयास भी नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 25 वर्षों में 200 करोड़ से अधिक रुपया राजस्थान को अकाल के नाम पर दिया गया है लेकिन कोई स्थायी योजना नहीं बनाई गई। और यह कहना कि भूख से किसी को नहीं मरने देंगे जबकि लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने को अन्न नहीं है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आदमी लम्बे समय तक धीरे-धीरे भूखा रहेगा तो क्या यह अमानवीय कार्य नहीं है। भूख से निरन्तर मरता चला जाय तो वह मरेगा ही, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लोग कमजोर होते चले जायेंगे, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, उनको पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे तो वे भूख से ही मरते चले जायेंगे। मरुस्थल से आदिवासी क्षेत्रों में 20% लोग रतौंधी के शिकार हो गये। क्या राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कोई सर्वे कराया है। बजट पर प्रभावी व्यक्तियों के क्षेत्र में काफी खर्चा कर दिया जाता है और पूर्व और पश्चिमी इलाके की चर्चा भी सदन में हुई है।

यह आरोप लगाना चाहूंगा कि बजट का अधिकांश हिस्सा उन प्रभावशाली लोगों के क्षेत्र में, खर्च होगा, अप्रभावशाली लोगों के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट के अन्दर प्रावधान रखा है वह खर्च नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सुखाड़िया साहब...

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बड़ा भारी बोलने का..,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य तीन दिनों की पूर्ति कर रहे हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बोला नहीं हूं। जो कुछ कहना माननीय उपाध्यक्ष महोदय 5—7 मिनिट में कह कर समाप्त कर देता हूं।

एक माननीय सदस्य : होली है, कह लेने दो माननीय सदस्य को।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता था नलकूपों के सम्बन्ध में जो नलकूप बन्द पड़े हैं उनको चलाने के लिए राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिये जो नलकूप बन्द हैं उनको बिजली से क्यों नहीं जोड़ दिया जाता है लेकिन राज्य सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कोई यह कहे कि 25 वर्षों में राजस्थान ने जागीर प्रथा के बारे में, राजा-रानी के बारे में, कभी बाढ़ के बारे में, कभी अकाल के बारे में और कभी हिन्दुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बारे में किया है तो वह भ्रान्ति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वह मुल्क, ऐसे थपेड़े सहने वाला मुल्क जो हमेशा आगे बढ़ता है वह आगे न बढ़ पाया है क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं और यह कहें कि अगर हमसे पार नहीं तो विरोधी लोग हमारे यहां हैं उन सुझावों को मानें। माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं हम विकास करना चाहते हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनको रोका किसने है, आप विकास करना चाहें करें हमने रोका नहीं है लेकिन कांग्रेस सरकार जो सिद्धान्त की दुहाई देती है आज भी आपने समाचार-पत्रों में पढा होगा और लोक सभा में आया है कि दल बदल को चुनौती देनी चाहिये और यहां उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान सरकार बहुमत में है फिर 8 आदमियों को मिलाने की यहां कौन-सी आवश्यकता थी लेकिन हम आज उन परम्पराओं को निभाना नहीं चाहते हैं। दल-बदल कर दूसरे लोग आयें और मैं निवेदन करना चहता हूं पिछले मुख्य मंत्री थे उनका इतिहास इसी आधार पर रहा है चाहे बहुमत हो राजस्थान सरकार का लेकिन प्रलोभन के आधार पर लाना इस सरकार का, राजस्थान की गवर्नमेंट का मैं समझता हूं इतिहास वह इसी प्रकार का रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार को यदि विरोधी सुझाव देते हैं तो वे मानेंगे नहीं, उनके अच्छे-अच्छे सुझावों पर उनका ध्यान जाता नहीं। आज राजस्थान में न्याय और कानून की शान्ति की व्यवस्था है तो फिर राजस्थान का औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो रहा है। आपका बहुमत है विरोधी अल्प मत में है–राजस्थान में शान्ति की व्यवस्था है लेकिन यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी कहेंगे मेरे पर नौकरशाही हावी नहीं है। आज भी आई. ए. एस. के लोग हावी हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव खुराना साहब इन पर हावी हैं। केवल सदन में भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज प्रशासन ठप्प पडा है। प्रशासन में केवल एक–दो मंत्री अपने आपको शक्तिशाली समझते हों तो समझते हों बाकी कोई मंत्री शक्तिशाली नहीं है उनको कोई बात अधिकारी नहीं मानते हैं, अधिकारी उनकी बात को मानेंगे नहीं यह तो राजस्थान में प्रशासन का तरीका है।

घोषणायें हो जाती हैं कर्मचारियों के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना होगी और प्रशासन में खर्चा कम होगा, देवपुरा समिति की सिफारिशों को फौरन माना जायगा आदि आदि कई बातें हैं लेकिन वे घोषणायें केवल घोषणा मात्र ही रह जाती हैं उनकी क्रियान्विति ये अधिकारीगण नहीं करते हैं। घोषणाओं पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये और यदि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जनता जागरूक है इस निकम्मी सरकार को जो वोट पर टिकी हुई है, जो राजस्थान की बहबूदी नहीं चाहती है उसको उखाड फेंकेगी। आर्डिनेन्स के जरिये टैक्स लगाने वाली सरकार को अब जनता माफ करने वाली नहीं है।

यहां पर बहुत-सी बातें कही गई, बजट असन्तुलित है आखिर उसका आधार क्या है? अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय स्वयं कहते हैं हमारे पास असेट्स कम हैं, लायबिलिटीज ज्यादा हैं, नौकरशाही हम पर हावी नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय वहां यह भी कहेंगे कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा चले गये उनकी बात को अवश्य कहेंगे लेकिन नये युग में नये सामन्तवादी पैदा हो गये। ये सफेद पोश धारी लोग नये युग के नये सामन्त पैदा हो गये···

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय सदन का समय विनियोग विधेयक पारित हो जाय तब तक के लिए बढा दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1975 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करने जा रहा था हम जो कहते हैं उसमें कथनी और करनी में अन्तर है। आज मंत्री लोग कहते हैं सादा जीवन बिताना चाहिये और गरीबी शाही भोजन करना चाहिए। आप चले जाइये इनके यहां चाहे शादी हो और चाहे कोई दूसरी चीज हो तो रेफ्रीजरेटर होना चाहिये, कूलर होना चाहिए, बिजली का हीटर होना चाहिए इन सब बातों की सुविधा इनको होनी चाहिये···

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा·· दो मिनट में समाप्त कर दूंगा··· जो पाकिस्तान से सिन्धी शरणार्थी आये हैं उनको किस प्रकार बसाना चाहिए था, जिस प्रकार उनको भोजन मिलना चाहिए था राज्य सरकार ने एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा है। आज जब दूसरा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है और इन्होंने अपने देश में काफी कुर्बानी की है फिर भी इनकी किसी प्रकार की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इन सिन्धी शरणार्थियों ने भारत की रक्षा में योगदान दिया है इस राजस्थान सरकार ने पूरे सदन में उनके निवास के बारे में, उनकी भोजन की व्यवस्था के बारे में, उनकी चिकित्सा और शिक्षा के बारे में यहां पर नहीं कहा, किसानों की लेवी के बारे में कुछ नहीं कहा। जयपुर में राज्य कर्मचारी आन्दोलन हुआ और माननीय उपाध्यक्ष महोदय 200–300 कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये गये, राज्य सरकार ने उनके मुकदमें तो वापिस ले लिये इसके लिए तो धन्यवाद लेकिन जो अपना काम कर रहे थे, दुकानों पर बैठे हुये थे उनको घसीटकर लाया गया, विभिन्न प्रकार की धारायें उन पर लगाई गई और माननीय उपाध्यक्ष जी मर्डर तक की धारायें उन पर लगाई गई राज्य सरकार ने वापिस लेने की घोषणा नहीं की।

सैनिकों की चिकित्सा और निवास की सुविधा के बारे में आपने बजट भाषण में एक शब्द नहीं कहा। राज्य सरकार ने सूची में परिवर्तन कर दिया और आज राज्य सरकार उनकी गलत सूची के आधार पर ब्लेक मार्केटियर्स को, मुनाफा खोरों को चोरों को पनाह दे रही है। लाखों रुपया उनके पीछे खर्च किया जा रहा है। आप चूरू में चले जाइये राज्य सरकार के केन्द्रीय सरकार···

(समय-समाप्ति-सूचक-दीर्घ घंटी)

इन्ही शब्दों के आधार पर क्योंकि आप समय नहीं देना चाहते हैं मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था अतः यही निवेदन करता हुआ कि राज्य सरकार इन पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह विनियोग विधेयक थोडी देर में काफी बहुमत होने के कारण पास भी आसानी से हो जायगा लेकिन जनता की जो समस्यायें हैं वे यों की यों बनी रहेंगी। अकाल का प्रश्न सदन के सामने आया उसका उत्तर भी दिया है और कहा है कि चार लाख मजदूरों को रोजगार दिया जायगा। कितने अफेक्टेड हैं अकाल से राजस्थान में और उसके बाद कुछ भी नहीं के बराबर केवल चार लाख लोगों को रोजगार दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय डेढ करोड से ऊपर जनता अकाल से अफेक्टेड है उनमें क्या काम दिया जायगा। और वह भी अप्रेल से शुरू किया जायगा। आज उपाध्यक्ष महोदय कितनी भुखमरी फैल रही है उसके लिये कहा है एक कमेटी बनाकर जगह जगह-जाकर जांच की जायगी तो इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। कितनी भीषण अग्नि अकाल में फैल रही है और केवल चार लाख लोगों को रोजगार दिया जाय यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अकाल के बारे में बहुत बडी राशि की आवश्यकता है। यहाँ से की जाय तो बहुत ठीक है नहीं तो केन्द्रीय सरकार से हरचन्द कोशिश की जाय और वहा से राशि प्राप्त कर बहुत ज्यादा काम खोले जाय।

उपाध्यक्ष महोदय एक सुझाव है काम किस प्रकार खोले जायं।

उपाध्यक्ष महोदय एक सुझाव है काम किस प्रकार खोले जावं, यह सही बात है पिछले अकाल के ऊपर लगाया गया सारा पैसा फिजूल में गया। जगह-जगह मिट्टी डाली गई वह उड गई इसमें जो योजनायें थीं वे सब बेकार गई इसलिए आइन्दा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो पैसा अकाल में लगे उसका पूरा सदुपयोग हो और आगे भी काम आये इस बात का ध्यान रखना चाहिये, जिस इलाके में सडके बनाई जा सकती हैं जिस इलाके में सडकों की बहुत आवश्यकता है उनको प्राथमिकता दी जाय, जहां पानी मीठा है वहां ट्यूबवैल्स बनाये जायं अकाल फन्ड्स से उनको कुछ सबसिडि दी जाय। कुछ बैंकों से लोन दिलवाया जाये दस पन्द्रह आदमी कुए के बनाने में अपना टाइम भी व्यय कर सकते हैं और इससे उत्पादन में भी सहूलियत हो सकती है। इसी तरह से अकाल के मसले पर छोटी योजनायें गावों के अन्दर हाथ में ली जानी चाहिये। जोहडों आदि के बनाने का काम भी होना चाहिये। जैसी भी स्थिति है इलाके की उसके अनुसार उसमें काम कराने की व्यवस्था की जाये जिससे कि अकाल का मसला हल हो सके, पैसों का मिस यूज नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके और काम मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी चीज के लिए कुछ दिन पहले कांग्रेस के माननीय सदस्य की तरफ से एक सुझाव आया था कि एक दिन का टाइम सैपरेट डिसकशन के लिए अकाल की समस्या पर अपने विचार प्रकट करने के लिए दिया जायगा लेकिन मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय असेम्बली का अधिवेशन प्राय: समाप्ति के ऊपर है और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी और हम लोग यहां से चले जायेंगे लेकिन यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। जब तक इसके ऊपर बहुत गहराई से विचार नहीं किया जायगा और जब तक एक या दो दिन

(श्री मोहरसिंह)

इस समस्या के ऊपर डिसकसन के लिए नहीं मुकर्रर किए जायेंगे तब तक हम यों ही करते जायेंगे और असेम्बली भी खतम हो जायगी और यह समस्या बराबर इसी तरह खडी रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारा रिवाज है 6 महीने के बाद दूसरी असेम्बली बुलाने का क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा प्रजातंत्री हैं, हम जरूरत से ज्यादा लोकतंत्री हैं, और जब अड जायें बिल्कुल उस समय असेम्बली को हम काल करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच के 6 महीने में बार-बार हमने यह मांग की और उसके बाद मुख्य मंत्री जी के पास मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी हमने दरख्वास्त की कि अकाल की समस्या के लिय ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य खोलें लेकिन आज तक इसके ऊपर विचार नहीं किया गया और अब भी जो कुछ विचार किया जा रहा है। यह थोडा सा एम. एल. एज. का मुह बन्द हो जाये और असेम्बली का टाइम पूरा हो जाये और खतम होने के टाइम तक इसको खींचा जा रहा है लेकिन देखा जाये तो इस समस्या के प्रति सचमुच विचार नहीं किया जा रहा है। मेरा अब भी उपालम्भ है और इसी के लिऐ कल हम मार्क्सवादियों का यहां विधान सभा के सामने प्रदर्शन आया 25 हजार लोगों का और उसमें सबसे पहली डिमाण्ड यही है कि जो राजस्थान के दुखी इलाके के लोग हैं, जो इलाके अकाल से पीड़ित हैं उनके लिए पहले से पहले इस समस्या को हल किया जाय।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, न केवल अकाल ही वल्कि और भी कई समस्यायें हमारे प्रदेश के अन्दर हैं। राशन की भी एक समस्या है और यह इतनी भयानक है कि इसको बहुत ही लाइटली सरकार की ओर से लिया जा रहा है। आप दूर-दराज के गांवों में जाकर देखिये कि लोगों को चीनी नहीं मिल पा रही है, अनाज नहीं मिल पा रहा है और आज उनके पास खाने के लिए नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं। आज हम भूखे नहीं हैं और हम आराम से रोटी खाकर बैठते हैं यहां और गांवों के अन्दर लोग सिसक-सिसक कर अपने प्राण दे रहे हैं और उनके लिए हम यह कहते हैं कि वह बीमार होकर मर गये। यह कौन कहेगा कि फलां आदमी भूख से मर गया। भूख से भी बीमारियां पैदा होंगी और लोग मरेंगे। इस तरह से भूखे लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था नाम मात्र की है। बस यहां इस बात की चिन्ता नहीं है कि गांवोंमें लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं। बस जल्दी से जल्दी असेम्बली का अधिवेशन पूरा हो जाये और 6 महीने के बाद फिर असेम्बली काल होगी। फिर कौन आयेगा और कहेगा? इस प्रकार की जो समस्यायें हैं इसी तरह से रोजगारी की समस्या है, लेक्चरार्स की नये वेतनमानों की और दूसरी तरह की समस्यायें हैं, बिजली की समस्या है, उसकी रेट की समस्या है और अभी तक लीपापोती के लिए थोड़ा-सा कहा गया लेकिन यह बिजली की जबरदस्त उग्र समस्या है—इसमें दो राय नहीं है। जहां मीठा पानी है लोग कोशिश करते हैं। इलाका गरीब है और चाहते हैं कि नीचे से पानी निकाल कर दिया जाये लेकिन उनके सामने जो डिफिकल्टीज हैं, मिनिमम वैजेज की डिफिकल्टी है कनेक्शन देने के बाद फसल के समय झटका देकर रिश्वत लेने के लिए तार काट दिये जाते हैं यह डिफिकल्टी है, बिजली विभाग के

(श्री मोहरसिंह)

अन्दर और सिंचाई विभाग के अन्दर डिफिकल्टी है । इसी तरह से इण्डस्ट्रीज परपजेज के लिए लाइट परपजेज के लिए डिफिकल्टी है वास्तव में जिन गांवों से पोल पास होकर जा रहे हैं और उन्हीं को बिजली के कनेक्शन दिये नहीं जाते हैं । उनके सिर के ऊपर से होकर बिजली जा रही है लेकिन उनके लिए बिजली नहीं है और आगे के इलाके को बिजली दी जा रही है । बीच का इलाका देखता रहे, उनके खेतों के अन्दर और उनकी छाती के ऊपर पोल लगे हुए हैं और उन्हें बिजली नहीं दी जाये—यह कहां का न्याय है ? क्या उन लोगों को बिजली लेने का हक नहीं है ? खेतों में तरह-तरह की दिक्कतें वह बरदाश्त करते हैं तो फिर उस बिजली से क्या लाभ कि उनके ऊपर से बिजली जा रही है और उनके खेतों में ही पोल गड़े हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह से बिजली की जो समस्या है, सिंचाई के लिए, इन्डस्ट्रीज के लिए, लाइट परपजेज के लिए समस्या है इसके लिए संबंधित मंत्री महोदय को और भी ज्यादा गहराई से विचार करना चाहिए। जगह-जगह से दरख्वास्तें आती हैं, डेपुटेशन आते हैं । कल शेखावाटी से डेपुटेशन आया और उसके बाद में और भी डेपुटेशन आ रहे हैं, गंगानगर का डेपुटेशन भी मांग कर रहा था कि वहां बिजली का बहुत संकट है । इसलिए इस बिजली के संकट को सरकार को दूर करना चाहिए और जनता को राहत पहुंचाई जानी चाहिए । टाइम का अभाव है इसलिए और अधिक न बोलता हुआ जो खास-खास समस्यायें हैं उनकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। मंत्री महोदय को जल्दी-से-जल्दी इन समस्याओं के लिए गौर करना चाहिए ।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में आज हमारा अधिवेशन 17 फरवरी से चल रहा है इसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है और सदन में यह बात बार-बार आई है । इस तरह से पुलिस आतंक फैला रही है और लोगों को तंग कर रही है और झूठे केसेज लोगों के खिलाफ, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ बनाये जा रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम ही है कि हम तो विरोध में काम करते रहे हैं । हमने देखा है, यहां पर गुण्डा एक्ट बनाया जा रहा है और पुलिस को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं । हमें यह सारी चीजें सिर के ऊपर झेलनी पडेंगी । लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसे आंख नहीं मींच सकते । यह भी एक समस्या बाकी है । पुलिस को किस प्रकार से अधिकार दिये गये हैं और किस प्रकार से 307 के अन्दर पालिटिकल कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमें बनाये गये हैं और मेरी मांग है कि ऐसे जो फर्जी 307 के मुकदमें हैं उन पालिटिकल वर्कर्स के ऊपर और किसान सभा के ऊपर, जनसंघ के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर और किसान भाई हैं उनके ऊपर नकली मुकदमें बनाये गये हैं 307 के उन केसेज को विथड्रा करना चाहिये और साथ-ही-साथ हमने मिनिमम वेजेज की भी बात रखी है । आज तक नहीं बताया गया है कि किसान संघर्ष समिति की मांगों के ऊपर हाऊस कब विचार कर रहा है । और मंत्री महोदय कब विचार व्यक्त करना चाहते हैं या उनका इस बारे में क्या जवाब है—यह नहीं बताया गया है । उपाध्यक्ष

(श्री मोहरसिंह)

महोदय, कल मार्क्सवादियों की रैली के बाद जो ज्ञापन दिया गया है सरकार उनका सत्र समाप्त होने से पहले बयान दे अन्यथा कल जो 25 हजार लोगों का प्रदर्शन विधानसभा के भवन के सामने हुआ उससे भी बड़ा प्रदर्शन आइन्दा होगा। कल जो प्रदर्शन हुआ उसकी मांगों के बारे में भी जवाब देने के लिए मंत्री महोदय उस स्थिति में नहीं हैं। ऐसी सूरत में मैं बतला रहा हूं कि इस प्रकार की जो वास्तव में जनता की समस्यायें हैं जिससे जनता त्रस्त है, दुखी है उन समस्याओं को अगर विधान सभा के अधिवेशन के दौरान तय नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि बात में कोई गौर करने वाले नहीं है। फिर 6 महीने के लिए छुट्टी यदि अभी अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत में होने के नाते यह विधेयक तो पास हो जायेगा किन्तु जनता की समस्यायें ज्यों-की-त्यों रह जायेंगी यही हालत यह करने वाले हैं इसलिए मैं अभी से कह देता हूं कि अकाल के मसले के ऊपर एक दिन का टाइम मुकर्रर किया जाये। हम यहां पर 31 तारीख तक तो बैठेंगे ही तो एक दिन और भी रुक सकते हैं और इस अकाल जैसे अहम मसले पर विचार कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। अगर सरकार को अकाल की समस्या के बारे में विश्वास नहीं है तो 5 एम.एल.ए. की एक कमेटी बैठाकर जो जो अकाल पीड़ित जिले हैं कुछ स्थानों को चुनकर देख लिया जाये कि वहां क्या हालत है। इन्हीं शब्दों के साथ जितनी भी समस्यायें हैं जनता की जो बतलाई गई हैं इनका समाधान किया जाये। वैसे तो जनता की और भी बहुत सी तकलीफें हैं लेकिन समयाभाव के कारण जो छोटी मोटी चीजें हैं वह इन्डीविजुअल रूप से मैं संबंधित मंत्री महोदय को भेज दूंगा–उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय जो मांगें रखी गई हैं किसान संघर्ष समिति की तरफ से 29 तारीख को उनके ऊपर मैं सरकार का कुछ जवाब चाहूंगा। चाहे आप 30 तारीख मुकर्रर कर लें लेकिन जवाब जरूर आना चाहिए और यदि उनको दरगुजर किया गया तो अभी तो 25 हजार आदमियों का प्रदर्शन हुआ है और फिर लाखों आदमी आने के लिए तैयार रहेंगे। यह चुनौती नहीं है यह वास्तविकता है। शांति आप रखना चाहते हैं तो जवाब आना चाहिए। पुलिस की लाठियां हों चाहे अश्रु गैस के गोले हों लेकिन इसका मतलब यह है कि आज जनता चुप हो जावेगी और चुपचाप बैठे रहें और ध्यान नहीं देंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सम्बन्धित मिनिस्टर साहब को कह देना चाहता हूं, जो जिम्मेदार हैं हाऊस के लिए, कि यह किसान संघर्ष समिति और कल के प्रदर्शन की मांगों के सम्बन्ध में हाऊस के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय, का स्टेटमेंट दिलावायें, फिर चाहे वह 29 को करें, 30 को करें या 31 को करें। आप यह सोचते रहें कि इसी तरह से हम चले जायेंगे, यहां पर यह सोच कर बैठे रहें कि जनता चुप बैठी रहेगी तो मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि जनता इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगी, इन समस्याओं का सालूशन चाहती है, इन समस्याओं का हल

(श्री मोहरसिंह)

चाहती है बड़े भारी शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहती हैं लेकिन उसके बाद में भी किक मारा गया, उसके बाद में भी यह जो गुंडा नियंत्रण अधिनियम है उसके अन्दर त्रपित किया गया तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि यह सारी चीजें जनता बरदाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं साफ तौर पर फिर कह देना चाहता हूं कि इन डिमाण्ड्स के ऊपर मुख्य मंत्री का भाषण, उनका उत्तर असेम्बली में चाहता हूं उससे पहले कि यह डिजोल्व हो। सारा स्टेटमेंट उससे पहले जनता चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये शब्द कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत लम्बा–चौड़ा भाषण तो नहीं करना चाहता केवल दो पोइन्ट रेज करना चाहता हूं। एक तो इसकी मांग सं. 41 में 34 लाख रुपये के शेयर जो जे. के. इंडस्ट्रीज लि. के खरीदने की बात है और इसके साथ–साथ जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का भी बकाया अदा करने की बात है। मैंने और मेरी पार्टी ने अपने सिद्धान्तों को बजट के दौरान गवर्नमेंट के भाषण के दौरान इस सदन में व्यक्त किया है । आज भी प्राईवेट इंडस्ट्रीज के अन्दर हम अपनी शेयर मनी बढाते चले जा रहे हैं लेकिन अपना कण्ट्रोल नहीं बढ़ाते चले जा रहे हैं। शार्दुल टेक्सटाईल मिल्स गंगानगर में हमारे 49 परसेंट शेयर हैं और आडिट ओब्जेक्शन हैं हजारों। सबसे ज्यादा लोसेज हुए हैं पांच लाख मीटर कपड़ा सिर्फ चार महीने में कम प्रोड्यूज हुआ है लेकिन यह सरकार कभी नहीं सोचती है कि जहां हमारे 49 परसेंट शेयर हैं उस इंडस्ट्री को हम अपने हाथ में ले लें और यह वहीं मिल है जो कि गरीबों के लिए कपड़ा पैदा करती है और जो कपड़ा गरीबों को क्यू में खड़े होकर राशन-कार्ड पर लेना पड़ता है। वहां के खुद के मजदूरों को कभी-भी एक मीटर से अधिक कपड़ा अपने परिवार के लिए नहीं मिलता है। चाहे बजाज की फैक्ट्री हो, चाहे बिड़ला की सीमेंट फैक्ट्रीज हों, चाहे सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टीज हों, चाहे मान इन्डस्ट्रीज हों, जिस तरह से हम अपनी मनी को उसमें डालते चले जा रहे हैं, यह बिल्कुल ही गैर-समाजवादी और प्रतिक्रियावादी तरीका है। आवश्यकता तो यह है कि झालरा पाटन की शुगर हो, चाहे मेवाड़ की शुगर मील हो और चाहे कोई टैक्स टाईल मिल्स हो, इन सबको सरकार अपने हाथ में ले और अपनी इकोनामी का जनरेशन करें। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सारा बजट है मैं इनको एक बजट आफ डिपेंडेंस कहता हूं। इस बात का गौरव जरूर ले सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारा 12 लाख का सरप्लस बजट है लेकिन उसकी सही व्याख्या आज ही मुख्य मंत्री जी ने पब्लिक ग्रान्ट (यूनिवर्सिटी) कमीशन की बात को करते समय करदी। 12 लाख का बैलेंस क्या है। यूनिवर्सिटि ग्राण्ट कमीशन की बात करते समय कही है। करोड़ों रुपयों की डिपेंडेंस वर्ल्ड बैंक के ऊपर। 212 करोड़ की डीपेंडेंस को लेकर जिसका मेजर आपरेशन आपके पास आयेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मेजर डिपेंडेंस है। खुद आपकी इकोनामिक जनरेशन क्या

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
है ? मैंने अपने भाषण के दौरान में कहा था कि चार लाख क्यूसेक एकड़ वाटर से इरिगेशन कर सकते हैं। आज 18 हजार गांवों में अकाल है, 24 हजार गांवों में अकाल की हालत है और आपकी डेढ़ करोड़ से ज्यादा पापुलेशन अकाल से इफैक्टेड है। आपने इस अकाल की फोर्स को कहां पर युटिलाईज किया है ? बड़ी करुण स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान नहर के ऊपर आज कार्ड होल्डर्स सिर्फ छः हजार पहुंचे हैं राजस्थान नहर पर। अनआफिशियल आंकड़े तो चालीस हजार के हो सकते हैं लेकिन आफिशियल कार्ड होल्डर्स जिनको आपने ट्रकों पर पहुंचाया है, नागौर से पहुंचाया है, फलौदी से पहुंचाया है या चूरू से पहुंचाया है. वे केवल छः हजार हैं अब कि आप अगर मोबीलाईज करते तो चूरू, बीकानेर तथा दूसरे सारे क्षेत्रों से बाकायदा दो लाख से ज्यादा लोगों को,यहां पर मोबीलाईज कर सकते थे। फिर ये छः हजार लोग, इनकी स्थिति क्या है उपाध्यक्ष महोदय। इनको क्या गेहूं मिलता है, इनको क्या राशन मिलता है। आज भी डिपेंडेंस है। आपके इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी वर्ल्ड हैल्थ ओर्गनाईजेशन से एड आने वाली है और उस एड से इस फैमिन के लोगों को काम देंगे और फिर जगह-जगह आप अपने काम करायेंगे। क्या आपने इनको वैजेज दिये हैं, क्या इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है। नागौर के डेढ हजार लोग जी. बी. नहर पर कार्य कर रहे थे और इनसे जो बल पूर्वक काम कराया जा रहा है कि तीस हजार क्यूबिक फुट का अर्थ वर्क और फिर कहीं पर दो-सौ फुट का लीड, कहीं पर तीन-सौ फुट की लीड। इन्क्रेडेबल है काम करने में और इतना काम होने पर भी पेमेंट नहीं हुई है, उपाध्यक्ष महोदय। आपकी खुद की साधुवाला और नांदीवाला हैड पर जनवरी के महीने में 1500 अकाल ग्रस्त लोग तीन दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। काम करने के बाद भी उनको पेमेंट नहीं हुआ। एच. माईनर पर हजारों लोग बैठे रहे लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया गया। चाहे वह फलौदी के लोग हों चाहे जैतारण के लोग हों, चाहे बाड़मेर के लोग हों और चाहे नागौर के लोग हों, चाहे जोधपुर के लोग हों, आपको कोई फैसेलिटि क्रियेट नहीं की। मैंने खुद सूरतगढ़ ब्रांच पर अकालग्रस्त लोगों से काम करते हुए बात की। मालूम हुआ कि वहां पर फलोदी के लोग मौजूद थे और वह काम कर रहे थे प्राईवेट कांट्रेक्टर के नीचे। उनको ढाई रुपये किलो आटा खरीद कर जैतसर मण्डी से लाकर खाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कौन-सी फोर्स है। आपको मालूम है गंग कैनाल किस तरह से बिल्ट हुई। कौन-से बुल डोजर्स थे, कौन-सी मशीनरी थी, कौन से दूसरे मोडर्न इक्वपमेंट थे। सारी ह्यूमन फोर्सेज से गंग कैनाल को बिल्डअप किया गया है और अपने इकोनोमिक सिस्टम को जनरेट किया है और खुद की 15 हजार की स्टेट को साढ़े तीन करोड़ की स्टेट में कन्वर्ट किया है सारे फैमिन के अन्दर इसको करके। अगर आपकी इंटेंशन हो, अगर आप इनको फैसेलिटि दें तो आप अपने रिकरिंग फैमिन एरिया के लोगों से आप अपनी इकोनोमी को बिल्ट कर सकते हैं। आप सारी राजस्थान कैनाल को बिल्टअप कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको जनता की कमेटियां

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बनानी पड़ेगी, मोबाईल करना पड़ेगा। कैसी करुण स्थिति है। मंत्री महोदय कम-से-कम यह तो देखें कि जो दूर-दराज से आने वाले प्रभावित लोग हैं उनको पेमेंट नहीं मिला है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

फिर मैंने आपसे कहा आपकी इकोनोमी, सारी-की-सारी इकोनोमी डिपेंडेंट है। भाखरा सिस्टम आपका कम्पलीट हो गया। सात लाख एकड़ के अन्दर इर्रीगेशन होता है लेकिन आप आज तक इकोनोमिक जनरेशन के लिए उसका यूटिलाईजेशन नहीं कर सके। इन मण्डियों को एस्टेब्लिश नहीं कर सके। आपके पास करोड़ों रुपया इन मण्डियों से आ सकता था। इनके प्लाट्स के सेल से आ सकता था, इनके इण्डस्ट्रियल प्लाट के सेल से आ सकता था लेकिन कभी आप मन्डी कमेटी बनाते हैं और कभी कार्पोरेशन बनाते हैं। फिर राजस्थान कैनाल की मण्डियों का सवाल ही नहीं। अगर आप राजस्थान कैनाल पर हण्ड्रेड मंडियों का निर्माण करें तो आपके पास करोड़ों रुपया राजस्थान कैनाल को बिल्ट करने के लिए वहां की इकोनामी से जनरेट हो सकता है। गंग कैनाल की मिसाल आपके सामने है। रामनगर अकेले के अन्दर 1926 के साल के अन्दर 80 लाख रुपये के प्लाटों का सेल हुआ था और सारी मंडियों का डेढ़ करोड़ के प्लाटों का सेल हुआ था। अगर आप रामगढ़ तक अपनी मंडियों का निर्माण करें और ईमानदारी से उसमें इण्डस्ट्रियल प्लाट मिडिल इन्कम ग्रुप और लोअर इन्कम ग्रुप ये सारी कैटेगरीज बनाकर अगर आप प्लाटों की सेल करते तो आपकी इकोनोमिक जनरेशन के निर्माण के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज डवलप कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा हालांकि वह इनकंसिस्टेंट होगी। चूंकि आज के बाद केवल 29 तारीख को होली के बाद उपस्थित हो सकूंगा, इसलिए मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि कोई चंदा रायसिंहनगर में कलेक्ट हुआ और एक माननीय सदस्य ने...

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए मजबूर हूं। किसी और पाइन्ट को कहें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : केवल इतना ही कहना चाहता हूं। एक बहुत बडा सकेण्डल यहां पर हुआ है और...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले कह चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए एक कमेटी बन जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप शासन से एक कमेटी की घोषणा कर दे इस सदन के माननीय सदस्यों की। जो लाखों रुपयों का चंदा हुआ है, उसका स्केन्डल हुआ है, उसकी जांच यह कमेटी करे। तो उसके अन्दर मुझे कोई एतराज नहीं है। इसके लिए मेरी सहमति है और मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय...

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

...दूसरे चार्जेज मेरे सम्बन्ध में लगे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपके खिलाफ कोई चार्जेज हैं, मेरी अर्ज सुन लीजिये। मेरा यह

(श्री उपाध्यक्ष)

सुझाव यह है, माननीय सदस्य कल मौजूद नहीं थे। जब माननीय श्री रामचन्द्र चौधरी ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर अपने विचार व्यक्त किए थे। आप सदन की प्रोसिडिंग्स को देख लें। आपके विरोध में या आपके खिलाफ या मानहानिकर कोई आरोप समझते हैं तो आपको जरूर मौका दूंगा। मेरी जानकारी में ऐसे कोई आरोप नहीं थे। उस समय आप सदन में नहीं थे इसलिए इस मुद्दे को उठाने की मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप प्रोसिडिंग्स को देख लें और देखने के बाद अगर आप यह महसूस करते हैं और आप मुझ को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कोई ऐलीगेशन आपके खिलाफ हैं तो मैं आपको मौका देने को तैयार हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तो निश्चित रूप से था…

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए मैं आपको मौका देने को तैयार हूं। मेरा यह निवेदन है कि दल के सम्बन्ध में जो ऐलीगेशन थे, उसके लिए मैंने आपके दल के नेता महोदय को, आपके दल की ओर से कल श्री रामानन्द अग्रवाल को समय दे दिया है। इसलिए यह अध्याय समाप्त हो गया है। व्यक्तिगत तौर पर आप पर कोई आरोप है तो आप को कहने का अधिकार है। इससे पहले आप सदन की प्रोसिडिंग देख लें और आप सेटिस्फाई कर दें तो आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका देने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद। अन्त में मैं यह कहूंगा कि आप अपनी इकोनोमिक जनरेशन के लिए जागीरदारों की सम्पत्ति, जायदाद को लेने की प्रक्रिया को तेज कीजिये करोड़पतियों में आपकी जो बकाया है, वह आप वसूल कीजिये। बिजली की बकाया है, वह करीब 50 करोड़ के करीब है, उसको भी आप वसूल कीजिये। इस ओर कदम उठा कर आप इकोनोमी को जनरेट कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, आत्म-सन्तोष के लिए कह दें कि राक फास्फेट का हमने इतना एक्सप्लाइटेशन किया है, परन्तु आपका लिग्नाइट आज भी रो रहा है। रशियन स्पेशिलिस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। इस पर आप एक्शन ले सकते हैं और इकोनोमी को जनरेट कर सकते हैं। यह आपकी इकोनोमी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। इसी तरह से आपके यहां पर मिनरल में ग्रेफाइट है जो इकोनोमी के अन्दर पार्ट प्ले कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे यहां पर ज्वेलरी भी इकोनोमी में पार्ट प्ले कर सकती है जो पेरेलल इकोनोमी क्रिएट होती है, उसमें इसका भी हाथ है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जयपुर का बाजार वर्ल्ड में ज्वेलरी का सबसे बड़ा मार्केट है और आज ज्वेलरी का सबसे बड़ा स्मगलिंग जयपुर के बाजार में होता है। एक कपट द्वार नहीं जयपुर के अन्दर 100-100 कपट द्वार हैं–ज्वेलर्स का जो धर्म कांटा है, राजस्थान सरकार, एक्साईज कमिश्नर इस पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि खरबों रुपया हम को यहां से मिल सकता है और हमारी इकोनोमी को जनरेट कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीत सिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, 75–76 का बजट इस सदन द्वारा पारित कर दिया गया है और चालू वर्ष के लिए भी हम सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स को मन्जूर करने जा रहे हैं परन्तु माननीय सदस्यों को राहत देने के लिए हमारे वित मंत्री ने इस सदन में कोई आश्वासन नहीं दिया है। आज मंहगाई से जनता त्रस्त है। जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं। माननीय सदस्य भी इससे त्रस्त हैं। इससे राहत देने के लिए मंत्री महोदय को आश्वासन कम से कम आज देना चाहिए ताकि माननीय सदस्यों की परेशानियों में और इजाफा न हो। कम से कम जो कन्ट्रोल रेट का सामान है, वह माननीय सदस्यों को दिलवाने की व्यवस्था करें....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह क्या भीख मांग रहे हैं ?

श्री अजीतसिंह : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों का भी ध्यान रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल वैद (वित मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जो बहस हुई, उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो कीमती बातें हुई हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी जैसे कोई अकाल के बारे में हमने आंखें मूंद रखी हैं। हम लोगों को राहत देना नहीं चाहते हैं। पहले जब बजट पर बहस हुई थी, मैंने यह कहा था और कल भी कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, अकाल के बारे में यह कहा था, इस कार्य के सिलसिले में जो राहत कार्य होंगे, उनमें किसी तरह की कोई कन्जूसी, कोताई नहीं करेंगे। मैं आज फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने अधिकांश ने इस बात को ही कहा है। मैं यह दोहरा देना चाहता हूं कि फिजूलखर्ची कितनी हो, वहां पर हम कन्जूसी करेंगे लेकिन जहां तक विकास का कार्य है, जहां तक विपदाओं पर होने वाले कार्य का सवाल है, उन सब कामों के लिए किसी तरह की कन्जूसी नहीं की जाएगी और जितनी धन राशि की जरूरत होगी, उतनी धनराशि हम मुहैय्या करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे 200/– रुपये की फिजूलखर्ची की बात हो, चाहे 500/– पड़े, चाहे कितनी ही नाराजगी उठानी पड़े, इसको रोकने के लिए उठाऊंगा लेकिन जहां विकास के कामों को करने का सवाल है, उन कामों को करने का सवाल है, उन कामों को हम करेंगे, इसके लिए कोई कन्जूसी नहीं है। उदाहरणार्थ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमें बिजली का प्रसार करना है। इस काम के लिए दो करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बजट है, जितना पैसा उसके लिए था उससे एक्सेस 2 करोड़ रुपये हमने दिए हैं, बिजली का प्रसार करने के लिए। अगर यह सवाल है कि अलवर में 132 के. वी. की लाईन डालने के लिए 80 लाख रुपये की जरूरत है तो यह धनराशि राजस्थान सरकार ने मुहैय्या की है। मैं यह अर्ज करना चाहता

(श्री चन्दनमल बैद)

हूं कि जो विकास के कार्य हैं, जो ऐसे काम हैं, जो विपदा आपत्ति के लिए हैं, अकाल राहत के काम हैं, इनके लिए सरकार जैसे भी हो, धनराशि की व्यवस्था करेगी और इनके लिए धनराशि मुहैय्या करने का सरकार का इरादा है। अगर पैसे की जरूरत है तो सरकार उसको मुहैय्या करने का विचार करती है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास अकाल राहत कार्यों के लिए 10 करोड़ 19 लाख रुपया था मार्जिन मनी के रूप में। अप्रैल 75 से मौजूद है। इसके अलावा हमने भारत सरकार को लिखा है और भारत सरकार की ओर से स्टडी टीम 1 अप्रैल से पहले राजस्थान में आ रही है। कम से कम जितना पैसा 74-75 का मिला है उससे ज्यादा पैसा प्लान एडवान्स के लिए जरूरत पड़ी तो वह लिया जायेगा। मैंने यह अर्ज किया था, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्लान 75–76 का है उसमें से अलग से कितना पैसा कितने राहत कार्यों के लिए डाइवर्ट करेंगे। इसके अलावा जो प्लान के काम है, उनको किस तरह से तेजी के साथ चला सकते हैं, उनको भी जल्दी शुरू करेंगे जिससे जो लोग पीडित हैं उन लोगों को मदद मिल सके। ऐसा काम हम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अकाल के सिलसिले में हमने अब तक जो योजनाएं बनाई हैं, वह योजना 30 करोड़ रुपयों की हैं और 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई तक इस योजना के अनुसार अकाल राहत कार्य चलाये जाएंगे 30 करोड़ रुपये की मदद देंगे। यह 30 करोड़ की योजना बनायी गयी है। जहां तक मजदूरों का सवाल है, यह तय किया गया है, अभी तक हमारे अकाल राहत कार्यों पर 1 लाख 70 हजार मजदूर लगे हुए हैं। यह तय किया गया है कि इनकी संख्या बढ़ा कर अप्रेल में 4 लाख कर दी जाये और मई में 6 लाख और जून में मजदूरों की संख्या बढ़ा कर 8 लाख हो जाये। इतने मजदूरों को अकाल राहत कार्यों पर लगाने के लिए राज्य सरकार सोचती है। यह भी तय किया गया है कि दस मील की परिधि में हम राहत कार्य खोलेंगे जिससे लोगों को राहत कार्य के लिए 10 मील की परिधि से बाहर नहीं जाना पड़े। इस परिधि में लोगों को काम मिल जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने यह सारा इन्तजाम किया है। मै यह मानकर चलता हूं कि अकाल राहत के प्रति हम कोई कन्जूसी नहीं कर रहे हैं, अकाल राहत कार्यों के प्रति हम आंख मूंद कर नहीं चल रहे हैं। यह बात सही नहीं है। यह गलत है। राज्य सरकार इस जिम्मेदारी के प्रति सजग है, सतर्क है और अकाल के कारण किसी भी राजस्थान के व्यक्ति को, आदमी को, जनता को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अकाल पीड़ित जनता को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा पूरा हम ख्याल रख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, कुछ बातें और भी उठाई गई है उनके बारे में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैं बजट के बारे में जवाब दे रहा था तब मैंने यह कहा था कि हमारे जो लोन्स एण्ड एडवान्सेज हैं वह बड़े बड़े पूंजीपतियों में कितने हैं। आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ों रुपये पूंजीपतियों में बाकी है वह

Page No 133

(133)

(श्री चन्दनमल वैद)

सही नहीं है। केवल 5–6 करोड़ रुपया हमारा उनमें बाकी है जिसको हम वसूल कर रहे हैं। वह बाकी है ऐसा नहीं है।···

श्री केदारनाथ : रिप्लाई सुना नहीं था।

श्री चन्दनमल वैद: रिप्लाई नहीं सुना था लेकिन मेरी मुश्किल इस बात में हो जाती है कि जो पाइंट उठाते हैं उनका जवाब देना जरूरी हो जाता है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, अर्ज करना चाहूंगा बिजली के बारे में बहुत सी बातें उठाई गई हैं। सिंचाई मंत्रीजी ने उसके बारे में काफी स्पष्टीकरण कर दिया। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि हमने इस बात का निश्चय कर लिया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के कुओं को हम बिजली देने के लिए प्रिफरेन्स देंगे, और साथ ही साथ हमने यह भी तय कर लिया है कि जो मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स हैं उनको बिजली लेने के लिए एक्स्ट्रा पोल के लिए पैसा देना पड़ता है वह नहीं देंगे। इस बारे में मार्जिनल फार्मर्स को एक्स्ट्रा पोल्स, जो कानून के अनुसार मिलने चाहिए, तो मिलेंगे ही उनके अलावा जो एक्स्ट्रा पोल्स लगते हैं उनका चार्ज उनको नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी हमने तय कर लिया है कि स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को मिनिमम चार्जेज भी नहीं देने पड़ेंगे। यह भी हमने तय कर लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में यह प्रश्न भी उठाया गया है कि जे. के. इन्डस्ट्रीज के अन्दर 34 लाख रुपये देने की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, वह एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है 8 करोड़ का जो कि आज ज्वाइन्ट सेक्टर में लगने वाला है। इस ज्वाइंट सेक्टर में दूसरी पार्टी करोड़ों रुपये लगायेगी। उसमें 34 लाख रुपये लगाकर हमने अपनी हिस्सेदारी डाली है और मैनेजमेंट पर अंकुश रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि सही दिशा में काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने 15 लाख रुपया आर. एफ. सी. को दिया है और इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन 15 लाख रुपया उनको देगी तो 30 लाख रुपया मिलाकर उनकी लोनिंग केपेसिटी एक करोड से ज्यादा बढ़ जायगी। इस तरीके के जो भी हम इन्वेस्टमेन्ट कर रहे हैं इस ख्याल से कर रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से हमारा और हमारी जनता का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो विनियोग विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव किया है उसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष····

श्री केदारनाथ : पारित कराने का मूव करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं? अभी देना चाहें तो अभी दे सकते हैं।

श्री केदारनाथ : फाइनेन्स मिनिस्टर के रिप्लाई के बाद पारित होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : H॰ ॰॰॰

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने यह चाहा था कि इस सत्र के अवसान के पहले पहले लेवी के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति घोषित कर दे तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह वक्तव्य देना चाहता हूं।

रबी 1975–76 के 'प्राक्योरमेंट' के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्रीजी की अध्यक्षता में गठित मन्त्री–मण्डलीय उप-समिति की सिफारिशों पर मन्त्री-मण्डल ने दिनांक 21-3-75 को निम्न निर्णय लिये हैं:—

(1) राज्य में गेहूं की वसूली उत्पादकों पर लेवी लगाकर की जावे।

(2) राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व चूरू जिले मुख्यतः गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं होने से गेहूं की वसूली से मुक्त रखे जायं तथा अन्य सभी जिलों में लेवी वसूली का कार्य किया जाय।

(3) लेवी की निम्नलिखित स्केल निर्धारित की जाय।

(क) असिंचित भूमि पर	(1) प्रथम हैक्टर भूमि पर कुछ नहीं (2) तत्पश्चात् प्रत्येक हैक्टर अथवा उसके भाग पर 1 क्विन्टल प्रति हैक्टर की दर से।
(ख) कुओं, तालाबों, छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं आदि (ग) में वर्णित सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त द्वारा सिंचित भूमि पर।	प्रत्येक हैक्टर अथवा उसके भाग पर 2 क्विन्टल प्रति हैक्टर की दर से।
(ग) सिंचाई योजनाओं, कोटा व बूंदी जिलों में। चम्बल परियोजना, गंगानगर जिले में गंगनहर, भाखरा एवं राजस्थान नहर परियोजनाओं द्वारा सिंचित भूमि पर।	प्रत्येक हैक्टर अथवा उसके भाग पर 3 क्विन्टल प्रति हैक्टर की दर से।

(4) लेवी संग्रह का कार्य भारतीय खाद्य निगम तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के द्वारा करवाया जाय।

(श्री शिवचरण माथुर)
इसके अलावा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ को भी लेवी संग्रह हेतु कार्य बूंदी जिले में दिया जाय।

(5) लेवी वसूली हेतु राज्य के अन्दर गेहूं के आवागमन पर कोई अन्तर्जिला प्रतिबन्ध नहीं होगा। परन्तु यह आवश्यक है कि कृषक के द्वारा देय लेवी की अदायगी के पश्चात् ही उसे अपनी शेष उपज को बेचने, हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा।

(6) लेवी में प्राप्त गेहूं का मूल्य वही रखा जाना है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक शब्द इस संबंध में···

श्री उपाध्यक्ष : किस बारे में? यह इन्फार्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : छोटे–बड़े किसानों दोनों के लिए आपने एक प्रकार की व्यवस्था कर दी है और किसान को कितना खर्चा आयेगा, कितनी लागत आयेगी वह भी मैं समझता हूँ माननीय मंत्रीजी ने···

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस समय अभी एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस चल रही है। उसके बीच में इन्टरवीन करते हुए माननीय कृषि मंत्रीजी ने जानकारी दी है। वह बिल पास हो जाय तो उसके बाद में कोई अगर माननीय सदस्य बातचीत करना चाहें, कोई क्लेरिफिकेशन लेना चाहें तो ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, यह कैसे संभव हो···

श्री उपाध्यक्ष : मैं आगे समय दे दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बीच में आप इतनी महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं···

श्री केदारनाथ : पालिसी स्टेटमेंट पर 29 तारीख को बहस हो जाय। यह हमारे रूल्स में है। आज एप्रोप्रियेशन बिल पास कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष से इसके बारे में निवेदन कर दूंगा। वह जैसा भी उचित समझेंगे निर्णय ले लेंगे। अगर इस संबंध में स्टेटमेंट दिलाना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल लें। उनके चैम्बर में सम्पर्क स्थापित करके और जैसे भी बिजनस को एडजस्ट करना चाहें··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, और विनियोग विधेयक के बीच में समय दे सकें तो···

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्षजी से सदन के समाप्त होने के पश्चात या जैसा भी आप उचित समझें उनसे सम्पर्क स्थापित कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 29 तारीख को इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय। पालिसी मेटर है और बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप अलग से स्टेटमेंट चाहते हैं विस्तृत रूप में तो माननीय अध्यक्ष से उनके चैम्बर में सम्पर्क स्थापित कर लें। किस तरह से वे इसको कार्य सूची में रखना चाहते हैं उनके विवेक की बात है। आप उनसे सम्पर्क कर लें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था…

श्री उपाध्यक्ष : आपका पालिसी के बारे में डिसीजन था। सरकार ने जो निर्णय इस संबंध में लिया है उसकी जानकारी माननीय कृषि मंत्रीजी ने इस सदन में दी है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शनिवार दिनांक 29 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1 बज कर 38 मिनिट पर शनिवार दिनांक 29 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 775 की सूची)

(क)

नाम माह	मात्रा (मैट्रिक टनों में)
अक्टूबर, 74	6150
नवम्बर, 74	7224
दिसम्बर, 74	7910
जनवरी, 75	7550
फरवरी, 75	7077
मार्च, 75	6925

———

Page No 138

(ख)

क्र.सं.	नाम जिला	शहरी	ग्रामीण
1.	अजमेर	220	150
2.	अलवर	100	220
3.	बाड़मेर	30	110
4.	बून्दी	30	70
5.	बांसवाड़ा	30	120
6.	भरतपुर	110	250
7.	भीलवाड़ा	80	200
8.	बीकानेर	100	80
9.	चूरू	130	130
10.	चित्तौड़गढ़	60	160
11.	डूंगरपुर	20	100
12.	गंगानगर	120	230
13.	जयपुर	500	350
14.	जोधपुर	200	160
15.	जैसलमेर	15	25
16.	जालौर	20	135
17.	झुंझुनू	20	160
18.	झालावाड़	30	115
19.	कोटा	200	175
20.	नागौर	75	220
21.	पाली	60	170
22.	सीकर	50	175
23.	सिरोही	40	70
24.	सवाई माधोपुर	75	210
25.	टोंक	55	105
26.	उदयपुर	120	320
	योग	2590	4200

परिशिष्ट–2

(ता. प्र. सं. 777 की सूची)

तालिका 'म'

कच्ची बस्ती 'कचरा' में किये गये आवन्टनों की सूची

क्र. सं.	नाम एवं पिता/पति का नाम
1	2
1.	श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री शिवलाल सिंह
2.	श्री सोहन सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
3.	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
4.	श्री योगराज सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
5.	श्री भंवर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
6.	श्री कजोड़मल पुत्र नरसी लाल
7.	श्री नारायण पुत्र छोटू
8.	श्री प्रभाती लाल पुत्र ग्यारसीलाल
9.	श्री सेवाराम पुत्र छाजूराम
10.	श्री रामसहाय पुत्र नानगराम
11.	श्री चुन्नीलाल पुत्र धर्मीराम
12.	श्री मूलचन्द्र पुत्र सुखलाल
13.	श्री मोहनसिंह पुत्र टेनीराम
14.	श्री रफीक अहमद पुत्र अहमद हुसैन
15.	श्री मानसिंह पुत्र कानसिंह
16.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री रामकिशन
17.	श्री सूरजमल पुत्र कजोड़मल
18.	श्री भीमसेन पुत्र जंगीराम
19.	श्रीमती रहीमन पत्नी सुलतान
20.	श्री जुम्मा पुत्र अब्दुल्ला
21.	श्री नसीरखां पुत्र मोहम्मद भाई
22.	श्री महबूब पुत्र कासीम
23.	श्री इब्राहीम खां पुत्र नबीखां
24.	श्री शकूर पुत्र मकबूदीन

Page No 140

(140)

1	2
25.	श्री नाथू लाल पुत्र गौरीलाल
26.	श्रीमती जुम्मा पत्नी मो. बशी
27.	श्रीमती जन्नत पत्नी जहूर मोहम्मद
28.	श्री प्रतापसिंह पुत्र मेवासिंह
29.	श्री अमरजीतसिंह पुत्र किशनसिंह
30.	श्री करमसिंह पुत्र बसंतसिंह
31.	श्री बख्शीशसिंह पुत्र रोड्यासिंह
32.	श्री सीताराम पुत्र मांगीलाल
33.	श्री दुर्गासिंह पुत्र बख्शसिंह
34.	श्रीमती बेगम पत्नी कल्लू खां
35.	श्री अब्दुल शकूर पुत्र रमजानी
36.	श्री पृथ्वी पुत्र मांगीलाल
37.	श्री चांदमल पुत्र भंवरलाल
38.	श्री भीमसिंह पुत्र पन्नालाल
39.	श्री जालमसिंह पुत्र प्रभात
40.	श्री ज्वालासिंह पुत्र बागसिंह
41.	श्री अब्दुल अजीज पुत्र मोला बख्श
42.	श्री गुलामशबीर पुत्र नूरमोहम्मद
43.	श्री त्रिलोकचन्द्र पुत्र कपूरचन्द्र
44.	श्री गोरधनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह
45.	श्री ग्यारसीलाल पुत्र नानुराम
46.	श्री राम किशोर पुत्र गणेश
47.	श्री रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण
48.	श्री गोपाल पुत्र माधो
49.	श्री सूरज पुत्र रामदेव
50.	श्री रामू पुत्र हरदेव
51.	श्री पूरण पुत्र भागीरथ
52.	श्री मांगीलाल पुत्र भागीरथ
53.	श्री भजनसिंह पुत्र करतारसिंह
54.	श्री गुरदयालसिंह पुत्र अर्जुन सिंह
55.	श्री निजामुद्दीन पुत्र कमाल खां
56.	श्री भेरू राम पुत्र तेजाराम
57.	श्री मकसूद पुत्र नियाज मोहम्मद

Page No 141

(१५१)

1	2
58.	श्री भगवान सहाय पुत्र चिरन्जी लाल
59.	श्री बलबीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह
60.	श्री मोहम्मद यूसूफ पुत्र जमालुदीन
61.	श्री मोहम्मद हाशम पुत्र जमालुद्दीन
62.	श्री किशनलाल पुत्र मूलचन्द्र
63.	श्री सरफुदीन पुत्र अमीर बख्श
64.	श्री रामधन पुत्र रामलाल सोनवाल
65.	श्री कालूराम पुत्र पैमाराम
66.	श्री सीताराम पुत्र मूलचन्द्र
67.	श्री चिरंजी लाल पुत्र रामप्रसाद
68.	श्री करतारसिंह पुत्र झुम्मनसिंह
69.	श्री हनुमान सहाय पुत्र मोहनलाल
70.	श्री गोपालसिंह पुत्र कानसिंह (विचाराधीन)
71.	श्री लुकमान पुत्र अमीर बख्श
72.	श्री बहादुर सिंह पुत्र वृद्ध सिंह
73.	श्रीमती दिलजीतकौर पत्नी श्री अमरसिंह
74.	श्री भूरा राम पुत्र गणेश नारायण
75.	श्री रामधन पुत्र नारायण
76.	श्री मलसिंह पुत्र बख्तसिंह (विचाराधीन)
77.	श्री गोपाल पुत्र मांगू
78.	श्री यासीन पुत्र सुभान
79.	श्री शम्भु पुत्र लादूराम

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं 778 की सूची)

सूची

तहसील का नाम	पशु चिकित्सालय का नाम	पशु संख्या
केशोरायपाटन	केशोरायपाटन	1,55,269

Page No 143

(143)

परिशिष्ट–4

(ता.प्र.सं. 783 की सूची)

सूची 'अ'

पंचायत समिति हिण्डौली व नैनवा के ग्रामों की सूची
जिनका विद्युतिकरण स्वतन्त्रता के बाद अब तक हुआ है

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	हिण्डौली	17.	सथुर
2.	ईमरतिया	18.	बालापुरा
3.	मोतीपुरा	19.	नैनवा
4.	दुरमा	20.	धोरपुर
5.	भीमगंज	21.	घुग्घली
6.	टोकडा	22.	कोरमा
7.	पंथ की बावडी	23.	सुवानियां
8.	बडागया गांव	24.	करवर
9.	रघुनाथपुरा	25.	बुडकरवर
10.	चिचडी	26.	कल्याणखेडी
11.	धोरखंडी	27.	कनकपुरा
12.	बडादिया	28.	बाछोला
13.	तलाब गांव	29.	सिसोला
14.	ढोकरदा	30.	दुगारी
15.	अलोद	31.	बांसी
16.	सिंगाडी	32.	देई

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

भारत-पाक युद्ध से फ़सल को क्षति और उसका मुआवजा

786. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा भारत-पाक युद्ध के समय गंगानगर जिले की पाक सीमा क्षेत्र के प्रभावित किसानों को फसलों का क्षति पूर्ति मुआवजा देने, का निर्णय लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो गंगानगर जिले में कुल कितने किसानों की कितनी फसल प्रभावित हुई और क्षति पूर्ति मुआवजे की कितनी राशि आंकी गयी ?

(3) क्या इस राशि का किसानों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 14,318 व्यक्तियों की 83202-16 बीघा फसल प्रभावित हुई और 1,47,19,820।– रुपये की राशि की क्षति आंकी गई है।

(3) 2,04,220/– रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

जयपुर में जनस्वास्थ्य विभाग के किराये के मकानों में कार्यालय

787. श्री रतिराम यादव (तिजारा): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में विभाग के कितने कार्यालय किराये के मकानों में हैं ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग के मुख्य अभियन्ता कार्यालय की चहार दीवारी में काफी जमीन भवन निर्माणार्थ उपलब्ध है ?

(3) क्या राज्य सरकार इसी कार्यालय भवन में ऊपर एक मंजिल बनाकर तथा आसपास और निर्माण करवाने का विचार रखती है और शहर के विभिन्न मार्गों में स्थित विभागों के अन्य कार्यालयों को भी एक ही स्थान पर लाने का विचार करेगी ताकि सरकार का खर्चा कम हो और कार्यकुशलता बढ़ सके ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में जनस्वास्थ्य विभाग के अधीन जितने कार्यालय किराये के मकानों में हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार से जैसे जैसे धन राशि उपलब्ध होती है मुख्य अभियन्ता कार्यालय की चहार दीवारी में भवन निर्माण कार्य किया जाता है। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर व निर्माण हो जाने पर अन्य कार्यालय भी यहां लाये जा सकेंगे।

प्रश्न संख्या 1 की सूची

(1) अधिशासी अभियन्ता, जिला खण्ड, जयपुर मय दो उप-खण्डों के।

(2) अधिशासी अभियन्ता, डिजाइन एण्ड प्लानिंग खण्ड प्रथम जयपुर।

(3) अधिशासी अभियन्ता, डिजाइन एण्ड प्लानिंग द्वितीय खण्ड जयपुर।

(4) अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड प्रथम जयपुर।

(5) अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड द्वितीय जयपुर का मीटर सेक्शन।

(6) अधिशासी अभियन्ता, विशेष अनुसन्धान खण्ड, मय दो उप-खण्डों के, जयपुर।

(7) अधिशासी अभियन्ता, भू-मापन एवं जन्म निस्सारण खण्ड जयपुर मय एक उप-खण्ड के।

अध्यापकों का बकाया वेतन,

789. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि पंचायत समिति जवाजा के अध्यापकों को जो समिति के मातहत शिक्षा का कार्य कर रहे हैं दिसम्बर सन् 74 और जनवरी, 75 का वेतन नहीं दिया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इससे अध्यापको में तीव्र असन्तोष फैला है ? क्या सरकार के यह ध्यान में हैं कि वे इसकी वजह से आन्दोलम पर जा रहे हैं ? यदि वे आन्दोलन पर गये तो क्या विद्यार्थियों को परीक्षा के नजदीक समय में नुकसान नहीं होगा ?

(3) उक्त अध्यापकों को किन कारणों से वेतन नहीं दिया ? इस कृत्य के लिए कौन जिम्मेवार है ? सरकार इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है। जिसकी वजह से परिस्थिति बनी क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करायेगी कि ऐसी घटना दुबारा न हो ?

उत्तर

(1) अध्यापकों को दिसम्बर, 74 व जनवरी, 75 का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

(2) अब कोई समस्या नहीं है।

(3) वित्त विभाग द्वारा लघुकालीन ऋण की बकाया राशि 2,05,000.00 रुपये की सीधी कटौती पीडी लेखों से करने के फलस्वरूप पंचायत समिति के पीडी लेखे में राशि उपलब्ध नहीं रही। इसी वजह से समय पर अध्यापकों को वेतन का भुगतान नहीं हो सका। इसमें किसी का भी दोष नहीं है।

ग्राम मढ के निकट दिया गया खनन् पट्टा

789. श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : क्या राज्य खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में ग्राम मढ़ के निकट मैसर्स टहलाराम एन्ड सन्स को खनिज पट्टा अधिनियम 1960 के अन्तर्गत माइनिंग लीज नं. 3156 में 610 एकड भूमि की माईनिंग लीज, खनिज ह्वाइट क्ले के लिए तीन विभिन्न प्लाटों में दिया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि मै. टहलाराम एन्ड सन्स द्वारा 610 एकड के बजाय 750 एकड भूमि में अनधिकार रूप से खनन् कार्य किया जा रहा है ?

(3) यदि हां, तो माइन्स एन्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट की धारा 21 (1) एवं 21 (ए) के अन्तर्गत उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही की गई ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सर्व श्री टहलाराम एन्ड संस को खनन् पट्टा सफेद मिट्टी का निकट ग्राम मढ व कोटरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर में 410 एकड का तीन प्लॉटों में खनिज रियायत नियम 1960 के अन्तर्गत स्वीकृत है।

(राज्य खनिज मंत्री)

(2) इस बाबत आवश्यक सर्वेक्षण व जांच के आदेश दे दिये गये है।

(3) यदि अनाधिकृत कब्जा पाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

वन भूमि को रेवेन्यू में दिये जाने हेतु कमेटी

790. **श्री जगमोहनसिंह (छाबड़ा)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने वन भूमि को रेवेन्यू में दिये जाने हेतु जिला स्तर पर कमेटियां बना रखी है?

(2) कोटा जिले में गठित समिति के समक्ष कितने प्रार्थना-पत्र कब से विचाराधीन है और इन पर निर्णय क्यों नहीं किया जा रहा है? इन प्रार्थना पत्रों का निर्णय कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख है तथा 16 प्रार्थना–पत्र विचाराधीन हैं। नियमानुसार शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

सब–तहसील मुख्यावास अन्ता में ट्रेजरी

791. **श्री शिवनारायण (बारां)** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल सब-तहसील अन्ता के मुख्यावास पर ट्रेजरी नहीं है जिससे अन्ता क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक परेशानी होती है?

(2) क्या राज्य सरकार का अन्ता में किसानों की सुविधा हेतु ट्रेजरी खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि अन्ता में ट्रेजरी नहीं है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से उप तहसीलों में उप कोषालय खोलना सम्भव नहीं है।

शशी ग्राम सेवा सहकारी समिति बरवाला

792. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (बगापुर)**

श्री भरतलाल : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शशी ग्राम सेवा सहकारी समिति बरवाला तहसील नादोती जिला सवाईमाधोपुर कब बनाई गई थी?

(2) क्या यह सत्य है कि जब से उक्त समिति बनाई गई है तबसे उक्त समिति का आडिट नहीं हुआ है?

(3) उक्त समिति को किन किन सहकारी संस्थाओं से कब कब कितना ऋण मिला है तथा समिति ने किन किन व्यक्तियों को ऋण बांटा है तथा उन व्यक्तियों से

(श्री भरत लाल)

ऋण कब वसूल किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

भदवासी जिप्सम माईन्स

793. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भदवासी जिप्सम माईन्स (जिला व तहसील नागौर) पर ए. सी. सी. कम्पनी को कब से लीज दिया हुआ है एवं कब तक यह लीज चालू रहेगी ?

(2) भदवासी जिप्सम माईन्स पर ए. सी. सी. कम्पनी जिप्सम किस भाव से उठा रही है एवं लोकल सेल में किस भाव से बेच रही है एवं इसी तहसील नागौर में आर. आई. एम. डी. सी. किस भाव से जिप्सम बेच रही है ?

उत्तर

(1) ए. सी. सी. कम्पनी को जिप्सम की लीज भदवासी, नागौर में 1-8-55 से 31-7-75 तक बीस साल के लिये दी हुई है ।

(2) ऐ. सी. सी. कम्पनी सीधे (directly) कोई लोकल सेल (sale) नहीं कर रही है अलबत्ता सरकार ने मोहम्मद एण्ड सन्स को 12000 (बारह हजार) टन प्रतिवर्ष Local sale में बेचने के लिये अपना एजेन्ट (agent) नियुक्त किया हुआ है और इनको यह 12000 टन जिप्सम ए. सी. सी. कम्पनी देती हैं यह जिप्सम मोहम्मद एंड संस 11) (ग्यारह) रुपये में लोकल sale में (या जो भी सरकार समय समय पर निर्धारित करें) में बेचती । जिसमें से मोहम्मद एण्ड सन्स 2.50 रुपये रॉयल्टी और एक रुपया कमीशन सरकार देती है–आर. आई.एम.डी.सी. नागौर तहसील 16) सोलह रुपये के हिसाब से जिप्सम local sale कर रही है ।

सुनेल कस्बे की सड़क की मरम्मत का कार्य

794. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा सुनेल तहसील पिडावा में कस्बे की आबादी से होकर गुजरने वाली सड़क का एक किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा है जहां से जनता को बरसात के मौसम में आने–जाने में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के पास इस सड़क को बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक बनादी जावेगी ?

उत्तर

यह सही है, इसकी मरम्मत कराने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

किशनगढ़ वास में परिवर्तित कृषि भूमि

795. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिलाधीश कितनी कृषि भूमि को आवासीय या व्यवसाय हेतु नियमानुसार किस दर से परिवर्तन कर सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़-बास, जिला अलवर में खसरा नम्बर 262

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

की 4840 वर्गगज भूमि को तथा दिनांक 28-12-72 को 2400 वर्गगज भूमि को नियमानुसार आबादी में जिलाधीश द्वारा परिवर्तन किया गया ?

(3) क्या उक्त परिवर्तन जिलाधीश ने नियमानुसार किया है ?

(4) क्या यह सही हे कि खसरा नम्बर 272-273 पर बनाया गया भवन व चाहर दीवारी नियमानुसार सड़क से 50 फुट के भीतर है ? यदि नहीं, वो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि खसरा नं. 272-273 में बनी हुई सम्पूर्ण चाहर दीवारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैधानिक बनी हुई है। यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त चाहर दीवारी को हटायेगी ? यदि नहीं तो, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय व व्यवसाय हेतु 25 पैसे प्रति वर्गगज से कृषि भूमि का परिवर्तन करने का नियम है ?

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) खसरा नं. 272-273 पर बनाया गया भवन सड़क से 150 फुट दूर है तथा चाहर दीवारी सड़क से 33 फुट की दूरी पर है।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विद्युत के मिनिमम चार्जेज

796. श्री झावरमल सूण्डा (फतेहपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल ने मिनिमम चार्जेज मोटर (पम्पसेट) के होर्स पावर के आधार पर तय किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पानी की गहराई व जोत की सीमा को मिनिमम चार्जेज का आधार बनाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) मीटर के चालू न रहने (डेमेज, बन्द, जम्प करने) पर बिजली उपभोक्ता किसान से एवरेज चार्जेज किस आधार पर लिये जाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बिलों का कोई सही रिकार्ड नहीं रहता ? अगर यह सही नहीं है तो हजारों रु. के एवरेज बिलों का सैकड़ों रु. में चुकारा कैसे सम्भव है जो अभियन्ताओं की एक आम प्रेक्टिस हैं ?

(5) क्या यह सही है कि सी. सी ए. (कन्जूमर्स चार्जेज एक्ट) के अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को ट्रान्सफर कर दिये हैं। कन्जूमर्स की कठिनाई देखते हुए क्या इन्हें वापिस सहायक अभियन्ताओं को दिये जाने का मण्डल का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां, मण्डल द्वारा निर्धारित मिनिमम चार्जेज की दरों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची प्राप्त नहीं हुयी)

(विद्युत मंत्री)

(2) जी नहीं। पानी की गहराई व जोत की सीमा को आधार बनाने से हर क्षेत्र और हर कुए के लिये अलग-अलग मिनिमम चार्ज निश्चित करने पड़ेंगे जो न तो व्यवहारिक ही होगा और न ही कार्यान्वित किया जा सकेगा।

(3) मण्डल की "जनरल कन्डीशन्स आफ सप्लाई" की धारा 19 (डी) व 29 (सी) (11) के अनुसार एवरेज चार्जेज लिये जाते हैं।

(4) जी नहीं। एवरेज चार्जेज के बिल नियमानुसार ही बनाये जाते हैं, तथापि यदि किसी बिल में कोई गलती हो जाती है तो उसकी जानकारी होने पर निश्चय ही बिल को सुधार दिया जाता है।

(5) जी हां, 'मण्डल के रेवेन्यु मेनुअल" की धारा 65.2 के अनुसार किसी भी 'डेबिट' को बदलने से पहले सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता से अनुमति लेना आवश्यक है। इन नियमों को बदलने की फिलहाल आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट–6

(ता.प्र.सं. 766 की सूची)

नाम पंचायत समिति एवं पोषक क्षेत्र	रकबा (क्षेत्र) जिसमें भूमि सुधार का कार्य हुआ	
(1) पंचायत समिति शाहपुरा :		भूमि सुधार का कार्य
(1) ग्राम चन्द्रेशस	65 एकड़	,,
(2) कोटड़ी	65 एकड़	,,
(3) तायेड़	165 एकड़	,,
(2) पंचायत समिति सुलतानपुर :		
(1) सोरन	48 एकड़	,,
(2) धनतरी	12 एकड़	,,
(3) मोतीकुआं (प्रथम) कैचमेन्ट	500 एकड़	,,
(4) मोतीकुआ (द्वितीय) कैचमेन्ट	250 एकड़	,,
(3) पंचायत समिति इटावा :		
(1) मीठोद	37 एकड़	,,
(2) कंवरपुरा	25 एकड़	,,
(3) धम्बूलिया	26 एकड़	,,
(4) स्यावडा	10 एकड़	,,
(5) समानपुरा	1000 एकड़	,,
(6) बाडा गैला	125 एकड़	,,
(7) डूंगली	65 एकड़	,,
(4) पंचायत समिति अन्ता :		
(1) ठिकरिया (प्रथम एवं द्वितीय) कैचमेन्ट	400 एकड़	,,
(2) ठिकरिया (तृतीय) कैचमेन्ट	45 एकड़	,,
(5) पंचायत समिति टाखेडा :		
(1) सुवास (द्वितीय) कैचमेन्ट	130 एकड़	,,
समस्त योग :	3568 एकड़	

परिशिष्ट-7

(ता. प्र. सं. 768 की सूची)

सूची कृत्रिम गर्भाधान पंचायत समितिवार

नाम पंचायत समिति	गीर	जरसी	मुर्रा
1. भूपालसागर	4	21	1
2. भदेसर	54	213	76
3. छोटी सादड़ी	14	106	40
4. निम्बाहेड़ा	11	14	5
5. कपासन	6	111	1
6. राश्मी	5	103	17
7. बैगू	22	94	15
8. चित्तौड़गढ़	184	759	201

परिशिष्ट--8

(अता. प्र. सं. 481 की सूची)

प्रश्न संख्या 2 की सूची

(चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किये गये खर्च का विवरण)

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण योजनाएं लाख रु. में	नगरीय योजनाएं लाख रु. में
1.	अजमेर	15.05	10.34
2.	अलवर	17.24	13.82
3.	जयपुर	73.81	101.71
4.	जोधपुर	198.21	92.53
5.	बीकानेर	92.72	16.55
6.	उदयपुर	38.15	144.56
7.	कोटा	14.83	41.64
8.	टोंक	14.75	9.64
9.	भरतपुर	6.72	103.85
10.	गंगानगर	30.75	27.66
11.	भीलवाड़ा	36.10	31.71
12.	बांसवाड़ा	14.45	6.03
13.	बून्दी	3.32	11.17
14.	नागौर	171.26	59.78
15.	पाली	127.32	32.62
16.	जालौर	126.81	4.40
17.	बाड़मेर	172.26	0.41
18.	सिरोही	35.28	35.67
19.	सवाई माधोपुर	42.37	24.24
20.	जैसलमेर	103.20	1.29
21.	चूरू	144.65	71.32
22.	सीकर	34.71	45.49
23.	डूंगरपुर	12.15	0.12
24.	चित्तौड़गढ़	53.69	20.16

Page No 154

(154)

1	2	3	4
25.	झुन्झुनू	79.49	38.54
26.	झालावाड़	13.87	4.07
	अन्य	419.15	135.48
	कुल	2090.31	1150.59

Page No 155

155

प्रश्न संख्या 3 की सूची

(खर्चा जनवरी 75 तक का)

क. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण योजना	शहरी योजना
		खर्चा लाख रुपये में	
1.	अजमेर	0.86	4.35
2.	नागौर	23.17	4.32
3.	कोटा	2.61	1.98
4.	बून्दी	0.94	1.10
5.	झालावाड़	2.27	–
6.	अलवर	0.79	0.82
7.	भरतपुर	(–) 0.65	5.70
8.	जयपुर	12.91	46.53
9.	सीकर	2.59	0.16
10.	झुन्झुनू	12.33	4.31
11.	सवाई माधोपुर	3.03	(–) 0.41
12.	टोंक	0.74	0.53
13.	बाड़मेर	46.87	3.09
14.	जैसलमेर	41.70	–
15.	जोधपुर	33.68	0.70
16.	पाली	39.97	1.66
17.	सिरोही	0.60	–
18.	जालौर	51.34	1.72
19.	बीकानेर	44.13	(–) 0.01
20.	चूरू	36.09	10.47
21.	श्री गंगानगर	10.00	4.19
22.	उदयपुर	3.98	23.62
23.	डूंगरपुर	1.48	–
24.	बांसवाड़ा	0.36	–
25.	भीलवाड़ा	8.67	3.96
26.	चित्तौड़गढ़	5.37	1.43
27.	अन्य	–	4.97
	कुल टोटल	381.73	125.11

(158)

परिशिष्ट—9

(प्र. ता. प्र. सं. 484 की सूची)

साबी नदी के कैचमेन्ट में आने वाली लघु सिंचाई योजनाओं की सूची मय अनुमानित लागत व अनुमानित सिंचाई आंकड़ों के निम्नलिखित है ।

1. जिनका सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है :—

योजना का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	अनुमानित सिंचाई एकड़ों में	तहसील जिला	विवरण
1—बनाड़ी सिंचाई योजना	11.79	1,952	कोटपूतली। जयपुर	
2—बांतिल का नाका योजना	2.73	350	उपर्युक्त	
3—बामरु योजना	3.28	370	बैराठ।जयपुर	
4—छतरपुरा (राजपुरा)	10.50	200	उपर्युक्त	
5—मुकलावास योजना	1.50	100	उपर्युक्त	

2. जिनका सर्वे कार्य चालू है :—

योजना का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	अनुमानित सिंचाई एकड़ों में	तहसील जिला	विवरण
1—झासी सिंचाई योजना	5.00	680	बैराठ।जयपुर	
2—धूल कोट सिंचाई योजना	3.47	304	उपर्युक्त	योजना स्थगित करदी गई है एक अन्य साईट 1।2 मील नीचे चुनी गई है जिसकी सर्वे की जायेगी ।
3—लुहाकरना सिंचाई योजना	1.96	116	उपर्युक्त	
4—बड़ी जोड़ी सिंचाई योजना	2.00	116	उपर्युक्त	
5—रामपुरा पातेला योजना	1.63	80	उपर्युक्त	
6—रघुनाथपुरा योजना	1.50	304	उपर्युक्त	
7—छापरा सिंचाई योजना	3.00	168	उपर्युक्त	
8—जारवाली सिंचाई योजना	5.00	360	कोटपूतली। जयपुर	

Page No 157

(157)

9–मडगाव सिंचाई योजना	2.30	92	उपर्युक्त	
10–सराउन्ड सिंचाई योजना	20.00	832	उपर्युक्त	योजना को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इसके बराव में अच्छी किस्मों की जमीन व कुए डूब में आते हैं, एवं रिपक वे के लिये अच्छी जगह नहीं है।
11–नवलपुर सिंचाई योजना	12.53	1,230	भानपुर। अलवर	
12–बागवाली सिंचाई योजना	18.00	782	उपर्युक्त	

3. जिनका सर्वे कार्य करना शेष है :—

1–भाई खेड़ी सिंचाई योजना	2.40	120	बैराठ। जयपुर
2–सोईवार सिंचाई योजना	7.00	456	उपर्युक्त
3–त्रिवेणी सिंचाई योजना	1.56	72	उपर्युक्त
4–नैसिंग सिंचाई योजना	1.00	36	बहरोड़। अलवर
5–अजमेरी सिंचाई योजना	4.00	209	नीम का थाना जयपुर
6–देवन सिंचाई योजना	0.47	–	बाढ़ नियन्त्रण योजना में

परिशिष्ट—10

(अता. प्र. सं. 485 की सूची)

List to be appended to
assembly Question No. 389

S. No.	Name of Tehsile	Years		
		1972-73	1973-74	1974-75
1.	Sikarai	10	70	189
2	Baswa	395	441	688
3.	Dausa	396	604	631
4.	Bassi	223	149	224
5.	Lalsot	215	669	559

Appendix 'B'

S. No.	Name of Tehsil	Years				
		1972-73		1973-74		1974-75
		No. of Consumers	Amount Rs.	No of Consumers	Amount Rs.	No of Consumers
1.	Sikarai	—	—	3	30	316 6
2.	Baswa	44	440	22	220	94 1
3.	Dausa	92	1630	83	2460	28 4
4.	Bassi	26	320	58	1870	134 1
5.	Lalsot	—	—	57	1380	454 8

परिशिष्ट-11

(श्रेता. प्र. सं. 488 की सूची)

LIST OF ELECTRIFIED VILLE GES OF SIROHI DISTRICT.

1. ARTHWARA
2. Bharv
3. Badgaon
4. Chandana
5. Posaliya
6. Palri
7. Sheoganj
8. Oda
9. Jayla
10. Jogapura
11. Alpa
12. Bagsin
13. Uthman
14. Khandra
15. Akhapura Kharal
16. Rukhada
17. Kesarpur
18. Jawal
19. Kalendre
20. Mohabbat Nagar
21. Padiv
22. Rampura
23. Sirohi
24. Madwada
25. Gaili
26. Gol
27. Barloot
28. Mand Wariya
29. Palri
30. Deldar
31. Jamotra
32. Warda
33. Bhootgaon
34. Manwara
35. Tawari
36. Phoogani
37. Chadaul
38. Angor
39. Dodua
40. Khambal
41. Sendrth
42. Makroda
43. Veerwara
44. Jhadoli
45. Parlai
46. Pindwara
47. Sanwara
48. Undra
49. Mount Abu
50. Abu Road
51. Reodar
52. Mandar
53. Magriwara
54. Varman
55. Wasan
56. Kalari
57. Derol
58. Rampura
59. Badaka
60. Jolpur
61. Malwa
62. Adadra

160

परिशिष्ट—12

(अता. प्र.सं. 493 की सूची)

(सूची ब)

नाम जिसके द्वारा कार्य कराया गया	नाम कार्य	मूल्य
ठेकेदार द्वारा	1—सालवुड चौराड	14,100)रु.
	2—टीक वुड शटर्स	32,400)रु.
विभाग द्वारा	1—स्टोर केस रेलिंग अलमीरा शटर्स	31,832)रु.

परिशिष्ट-13

(अता. प्र. सं. 494 की सूची)

(सूची–अ)

अतारांकित प्रश्न संख्या 270 सि.मं.

क्रमांक नाम सड़क	नाम तहसील	कार्य विवरण	व्यय धनराशि मार्च 74 तक
1. ग्रेवल रोड़ चित्तौड़ से गोपालपुरा	फागी	2.5 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य तथा 2 किलोमीटर में कंकर कल्वशन कार्य हुआ है।	55,509)
2. ग्रेवल रोड़ माधोराजपुरा से चादमा कलां वाया हनुमानजी खोड़ा।	फागी	9.5 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य तथा 13 किलोमीटर ग्रेवल कल्वशन का कार्य हुआ है।	2,79,631)
3. ग्रेवल रोड़चाकसू से गरुडवासी	चाकसू	मिट्टी एवं ग्रेवल कल्वशन का 8 किलोमीटर में काय कराया गया है।	1,51,113)
4. एम.आर. कोट खावदा से हरिनारायणपुरा	चाकसू	मिट्टी एव सोलिंग कल्कशन का कार्य 7 किलोमीटर में कराया गया है, तथा वेलास्ट कल्कशन का कार्य 6 किलोमीटर में हुआ।	1,55,686)
5. एम.आर. कोटखावदा से दहलाला	चाकसू	9.5 किलोमीटर में केवल मिट्टी कार्य हुआ है।	1,36,969)

परिशिष्ट-14

(अता. प्र. सं. 495 की सूची)

(सूची—अ)

वर्ष	निर्माण कार्यों पर व्यय	स्थाई कर्मचारियों पर व्यय	अस्थाई कर्मचारियों पर व्यय
1971—72	5,67,593)	23,145)	11,743)
1972—73	17,12,930)	1,77,392)	26,152)
1973—74	36,88,977)	1,95,600)	29,317)

नोट:—सार्वजनिक निर्माण विभाग के बूंदी खण्ड की स्थापना माह दिसम्बर, 1971 में हुई थी, अतः वर्ष 71—72 की व्यय केवल माह फरवरी, 72 से माह मार्च, 72 तक अंकित किया गया है।

परिशिष्ट-15

(प्रता. प्र. सं. 497 की सूची)

नाम ग्राम	जन संख्या
1. मठोरा	2773
2. प्रचवास	2614

———

(169)

परिशिष्ट–16

(अ. ता. प्र. सं.498 की सूची)

भाग (1) (ग) की सूची

बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वीकृत ट्रान्सपोर्टेशन पर शंकर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (1973–74)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत दर प्रति टन
1.	आमेर	42/– रु.
2.	कोटवाड़ा	42/– रु.
3.	चाकसू	47/– रु.
4.	सांगानेर	42/– रु.
5.	बस्सी	45/– रु.
6.	जमवारामगढ़	45/– रु.
7.	गोविन्दगढ़	48/– रु.
8.	कोटपूतली	57/– रु.
9.	बैराठ	55/– रु.
10.	शाहपुरा	50/– रु.
11.	फागी	42/– रु.
12.	दूदू	40/– रु.
13.	सांभर	45/– रु.
14.	दौसा	48/– रु.

शुद्धि-पत्र

दिनांक 25 मार्च, 1975

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
53	नीचे से नवीं	ानी	पानी
55	नीचे से पांचवीं	निाम	निगम
65	नीचे से छठी	समम्या	समस्या
69	नीचे से ग्यारहवीं	–	485
71	नीचे से चौथी	–	486
72	नीचे से चौथी	हर	पर
77	ऊपर से तेरहवीं	द्वार	द्वारा
95	नीचे से दसवीं	हो	–
96	नीचे से सातवीं	सूचा	सूचना
97	ऊपर से तीसरी	दुर्लैभसिह	दुर्लभसिह
116	नीचे से दसवीं	अप	आप
117	ऊपर से चौदहवीं	वहां	वही
149	नीचे से ग्यारहवीं	रामनन्द	रामानन्द
150	नीचे से बारहवीं	श्री भानुकुमार	श्री भानुकुमार शास्त्री
151	नीचे से तेरहवीं	रिकार्ड नहीं किया गया	–
154	नीचे से चौथी	श्री राजेन्द्र भारतीय	श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय
157	नीचे से पांचवीं	श्री मीठालाल	श्री मीठालाल मीणा
165	ऊपर से नवीं	पीछो	पीछे
168	ऊपर से 4,7,10	रेकर्ड	रेकार्ड
168	ऊपर से 10	गुमानलल	गुमानमल
168	नीचे से 1, 4	अश्रृव्य	अश्रव्य
169	ऊपर से प्रथम	,,	,,

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
187	नीचे से सातवीं	–	राज्य मंत्री
188	ऊपर से प्रथम	–	राज्य मंत्री
193	नीचे से सातवीं	गत	–
200	नीचे से चौथी	चायगी	जायगी
241	ऊपर से प्रथम	गिराधरी लाल	गिरधारी लाल
245	नीचे से छठी	मुभाव	सुभाव
252	नीचे से आठवीं	दिखावोयं	दिलवायें
255	ऊपर से आठवीं	की	को
256	ऊपर से बारहवीं	आपको	आपने
256	नीचे से तेरहवीं	इक्वपमेंट	इक्विपमेन्ट
283	नीचे से बारहवीं	श्री भरतलाल	श्री भरतलाल (बामनवास)
285	ऊपर से तीसरी	गगंगज	वर्गगज
285	नीचे से 4,14,17, 21वीं पंक्ति	चाहर	चहार